राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] तेरहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का चौबीसवां दिवस [संख्या : 12

बुधवार,

17 मार्च, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास हेतु स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत आबंटित एवं व्यय राशि

179. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास के लिए उनकी आबादी के अनुपात में बजट राशि व्यय करने का प्रावधान है? यदि हां, तो प्रावधानों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गत 10 वर्षों में उक्त प्लान के तहत राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति पर बजट राशि व्यय की गई है? यदि हां, तो किस-किस विभाग में इन जातियों के व्यक्तियों के लिए कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया और कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए बजट में समुचित राशि व्यय करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। प्रावधानों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

(2) जी हां। विगत 10 वर्ष के विभागवार विवरण अनुसूचित जाति उपयोजना परिशिष्ट ''ब'' एवं जनजाति उप योजना का विवरण परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

(3) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के लिए वर्ष 2010-11 हेतु अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उप योजना के अन्तर्गत राज्य योजना की राशि का क्रमश: 16.39 एवं 12.54 प्रतिशत प्रवाह रखना प्रस्तावित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आप एक-एक बात स्पष्ट कर दें कि as per the guidelines of the Planning Commission, जितने प्रतिशत के अनुपात में अनुसूचित जाति और जितने प्रतिशत के अनुपात में अनुसूचित जनजाति हैं, इस गाइड लाइन में यह नहीं कहा गया कि जितना भी आप प्लान का मद रखें आपको पापुलेशन के पर्सेंटेज के अनुपात में रखना है? आप 2010-11 का भी अगर ले लें तो उससे तो यह स्पष्ट है कि जहां 17.86 होना चाहिए था या अपन 2001 की सेंसस ले लें, सेंसस में आंकड़ा बिलकुल सही है, 17.16 है तो अनुसूचित जाति का तो जहां 17.16 होना चाहिए था वहां आपने प्रावधान ही 16.39 किया है, बिगनिंग में ही it is 1% less than what it should have been. और अगर हम ऐसा ही अनुसूचित जनजाति का करें ... तो इसमें अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात जरूर निवेदन करना चाहूंगा, this is not an issue related to any political party or any government. मैंने आपसे 10 साल का मांगा है और अगर आप 10 साल का दिखायेंगे, चाहे 1998 से लेकर के आज तक का हो, यही सही है कि जिस प्रकार से आपने इसको स्पेंड किया है, आपने स्वयं ने यह बात फरमाई है। 2009-10 में जहां हमको पूरा का पूरा एवरेज आपने निकाल दिया, 2009-10 की वार्षिक योजना का वह 14.98 है वह भी 17.16 से बहुत कम है और 17.16 मैं 2001 के सेंसस के हिसाब से कर रहा हूं। जहां अनुसूचित जनजाति का 12.15 या 12.80 होना चाहिए था वहां आपके यहां 11 प्रतिशत है। अगर आप इसे खण्डवाइज ले लें तो जहां कृषि सम्बन्धित क्षेत्र आता है, एग्रीकल्चर कनेक्टेड, वहां आपका रेशो सिर्फ 5.43 प्रतिशत है। यह आपने ही दिया है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। जहां एग्रीकल्चर के अन्दर आपको 17 प्रतिशत रखना चाहिए था क्योंकि आपने अनुपात ऊर्जा में बढ़ा दिया, 17 से भी ज्यादा

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कर दिया इसलिए आपका एवरेज बढ़ गया, क्योंकि आपने क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में बढ़ा दिया इसलिए बढ़ गया। तो एक बात तो यह बतायें।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करूंगा कि इसमें पाइंटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता और यह मैं कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से पूछ भी नहीं रहा हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, आपके पास यह स्टेटिस्टिक्स प्लानिंग डिपार्टमेंट से आई है, प्लानिंग डिपार्टमेंट से अगर यह स्टेटिस्टिक्स आई है तो प्लानिंग डिपार्टमेंट की आपकी स्टेटिस्टिक्स वाल्यूम 4बी की है। यह सही है? आप पूछ लेना, कन्फर्म करा लेना, there are people sitting in the Officers' Gallery, जो करें। 4बी से आपने यह लिया है और 4बी से जो प्रावधान हैं वो खर्च होकर के जाते हैं आपके बजट बुक में। बजट बुक में आपके तीन हैं। तीन में एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का है जो 3ए है जहां आप सारे खर्चे जो आप करते हो। प्रोविजन आपने कर दिया, मैंने आपको बता दिया प्रोविजन एज पर प्लानिंग कमीशन की गाइड लाइंस के नहीं हैं, कम हैं, चाहे दो प्रतिशत कम हो, चाहे तीन प्रतिशत कम हो। इसको अगर विषयवाइज ले लेते तो एग्रीकल्चर में तो 10 प्रतिशत से 11 प्रतिशत कम है। अब अगर आप 3ए का कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लें और आपकी दो सर्विसेज रेवेन्यू मैन्युअल में है एक सोशल सर्विसेज और इकोनोमिक सर्विसेज। जहां यह एक्सपेंडिचर वहां जाकर के उसके अन्दर खर्च होने का दर्ज है जो 2स और 2द हैं। अगर आप इनका देखेंगे तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर छोटी सी चीज देता हूं, इसका मैन्युअल का कोड 789 है, 789 में तो अनुसूचित जाति का दर्ज होता है और 786 में अनुसूचित जनजाति का दर्ज होता है। यह इनका विभागवाइज कोड है, खर्चा जिसमें होता है। सर, अगर इसका मैं पूरा एवरेज लगा लूं जो आपने वार्षिक योजना का लगाया है, मैं 2007-08 ले लेता हूं, 2007-08 में सरकार का कुछ हिस्सा आपका भी रहा और कुछ हिस्सा हमारा भी रहा इसलिए मैं जो आंकड़ा दूंगा इससे यह नहीं लगेगा कि मैं किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से दे रहा हूं। 2007-08 का भी आंकड़ा ले लें तो 2007-08 में जो टोटल इसके अन्दर आता है वह खर्च होने के समय जहां आप 14 प्रतिशत में अगर मान लिया जाए कि चलते हैं तो जो खर्च होता है, अगर आप सामाजिक सेवा ले लें तो 3.86 होता है। अगर 2009-10 का ले लें क्योंकि 2009-10 का आर.ई. में पास है तो 2009-10 का 5.07 है। अगर इकोनोमिक सर्विसेज का ले लें तो इकोनोमिक सर्विसेज का 3.11 है, उसके बाद में तो यह 2.35 ही हो गया। अगर आप इन दोनों का मिलाकर लेते हैं तो, आदरणीय, यह कुल राज्य बजट का 2.36 प्रतिशत है और बाद में यह 2.96 प्रतिशत आया।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं, हरदम सरकार में रहने वाले सरकार के नुमाइंदों को वहां प्लानिंग की स्टेटिस्टिक्स बता दी जाती है। अगर आप वहां से खर्चे का मद पकड़ना चालू करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां ये 14 से 15 प्रतिशत बता रहे हैं, आपको 3 से 4 प्रतिशत के ऊपर एससी, एसटी पर खर्चा नहीं मिलेगा। अगर आप वास्तविक में उसको पकड़ेंगे तो एक तो आप मुझे यह बतायें। दूसरा, आप मुझे यह बतायें कि अगर यह सही था तो 1975 को ले लीजिये, आदरणीय इंदिराजी जब प्रधान मंत्री थीं उनका लैटर है जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट को आया हुआ है और लेटेस्ट लैटर आपका 2008 में प्लानिंग कमीशन का चन्द्रपालजी का आया हुआ है, जहां उन्होंने कहा है कि क्योंकि स्टेट्स पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं और सेंटर के डिपार्टमेंट भी खर्च नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमको उन्होंने वापस इन गाइडलाइंस को दिया है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि क्या ऐसे भी विभाग हैं जहां खाता भी नहीं खुला है, जहां बजट प्रोविजन जीरो है? क्या ऐसे भी हैं क्या? ये तीन चीजें आप बता दें फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पहली बात जो आपने बताई है, यह बात सही है कि चाहे एससी सब-प्लान को ले लें, चाहे टीएसपी को ले लें, इनकी मांग संख्या 51 और दूसरे की मांग संख्या 30 है, इसका हैड आपने बताया 396 तो टीएसपी का और 789 एससी का। तो 43 हैड ऐसे हैं, सैक्टर्स ऐसे हैं जिनके तो बजट हैड खुले हुए हैं लेकिन 15 से भी ज्यादा इस तरीके के हैं जिनके कि बजट हैड नहीं खुले हुए हैं। यह तो पोजिशन एससी की है। टीएसपी की जो पोजिशन है वह भी यह है कि 20 के तो बजट हैड खुले हुए हैं और बाकी कइयों के हैड नहीं खुले हुए हैं और यह जो भी प्राब्लम आ रही है, जो काउंट नहीं हो पा रहे हैं यह सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो आप काउंट कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं बजट वाल्यूम से और बजट वाल्यूम में डायरेक्ट बेनेफिट का जो खर्चा है वह तो आप बता रहे हैं लेकिन फ्लो का खर्चा आप उसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। जो फ्लो खर्चा अगर आप उसमें काउंट करेंगे तो पोजिशन कुछ और ही आयेगी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं मान गया। फ्लो का खर्चा। अब आप आगे वाले पर और पधार जाओ जिससे मैं जो पूछूं उसमें मैं...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इस बात का तो जवाब आ गया?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): कोई दिक्कत नहीं, आपने बिलकुल सही फरमाया है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, इस बात का तो जवाब आ गया?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): बिलकुल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अब सवाल दूसरा यह है कि आपने प्लानिंग कमीशन की गाइडलाइंस को बताया है, प्लानिंग कमीशन की गाइडलाइंस डेफिनेटली यही है कि पापुलेशन के आधार पर खर्चा किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको यह भी बताता हूं कि यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। यह बीसों साल से इस प्रकार से हो रहा है और हर गवर्नमेंट की, चाहे गवर्नमेंट आपकी रही हो चाहे हमारी रही हो, सब ने बराबर प्रयास किये हैं। 2006 के दो लैटर मैं आपको बताता हूं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लिखे हैं, वह आपको बताता हूं लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हैड खुले, कुछ विभागों ने उन पर काम किया और कुछ विभागों ने काम नहीं किया। जिन विभागों ने काम नहीं किया, उनका जो फ्लो होता है, उस फ्लो को काउंट करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है तो आदमी को यह भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ।

दो गाइडलाइन्स हैं इसकी प्लानिंग कमीशन की, मैं पढ़कर बताता हूं आपको और मैं एग्री करता हूं उससे कि यह भी होना चाहिए, मैं आपके सुझाव भी आमंत्रित करता हूं कि आप मुझे सुझाव दें इस बात के लिए कि इसको सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए - "Only those schemes should be included under the SCP/TSP that ensure direct benefit to the individuals or families belonging to the Schedules Castes or Schedules Tribes; (ii) Outlay for area oriented schemes directly benefiting the Schedules Castes hamlets/villages having a majority of the Scheduled Castes population, tribal hamlets and villages may be included in the SCP and TSP."

मान्यवर, दिक्कत सबसे बड़ी क्या आती है, देखिये, जहां तक हमारा सवाल है, एस.सी. के, एस.टी. के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार कृत-संकल्पित है, यह विश्वास रखिये। मैं आपको इस सदन के सामने बहुत दृढ़ता से इस बात को कहना चाहता हूं कि एस.सी और एस.टी. का जो निर्धारित फ्लो-फण्ड है, उनके प्रावधान विभिन्न विभागों के बजट के टाइम पर हम रखते हैं और इनके व्यय को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। 24

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

नवम्बर और 28 नवम्बर, the then Planning Secretary & Finance Secretary ने सब विभागों को यह पत्र लिखा कि इस तरह के तरीकों का प्रोविजन होना चाहिए और बजट हैड खुलने चाहिए, 7 8 9 का भी खुलना चाहिए, 7 9 6 का भी खुलना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ विभागों ने पृथक बजट हैड खोले और कुछ विभागों ने नहीं खोले। यह नहीं खोलने की वजह से यह सारी की सारी भ्रम की स्थिति पैदा हुई।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक विभाग में बी.एफ.पी. ने उनको दिये गये एस.टी. और एस.टी. के प्रावधानों को लागू करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए यह कहा गया कि ये प्रावधान जरूर लागू होने चाहिए। यह बात अलग है कि सम्पूर्ण बजट का व्यय बजट सब-हैड में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। जो मेरा ख्याल है, आप भी इस बात को एग्री करेंगे कि जितना भी खर्चा होता है, वह सारा का सारा बजट सब-हैड में कभी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है और इन वर्गों के लिए जो किया जा रहा योजना व्यय है, अगर हम उनको मिलाकर देखें तो यह फण्ड-फ्लो है, निर्धारित एस.सी. के लिए और एस.टी. के लिए निश्चित तौर पर 15 से 16 प्रतिशत और 11 से 12 प्रतिशत बैठता ही है।

मैं आपको यह और बताना चाहता हूं और फिर आपके सुझाव भी आमंत्रित करूंगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजट अनुमान 2010-2011 तो अब आ चुका है, अब इसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता है लेकिन हमारी कोशिश यह रहेगी कि हम अगले वित्तीय वर्ष में मतलब 2011-2012 के वित्तीय वर्ष में यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेंगे कि एक्चुअल रिफ्लेक्शन किस प्रकार से हो। बजट सब-हैड सब जगह खोले जायें और उनका रीयल, एक्चुअल रिफ्लेक्शन हो, वह किस तरह से हो ताकि यह जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि खर्चा कम हुआ है, जबकि हुआ ज्यादा, फ्लो को जोड़ते हैं तो ज्यादा होता है लेकिन हुआ कम तो हुआ कम, यह भ्रम की स्थिति किसी प्रकार से खतम हो।

मेरा आपसे निवेदन है, देखिये, मैं आपको दो-तीन एग्जाम्पल देना चाहता हूं और आपके सुझाव भी चाहता हूं, फ्लो का अमाउंट कभी भी एग्जेक्टली काउंट हो ही नहीं सकता। एग्जेक्टली काउंट तभी होगा जब बजट हैड खुल जायेगा, डाइरेक्टली लोगों को बेनेफिट मिलेगा। डाइरेक्टली लोगों को बेनेफिट मिलेगा तो वह काउंट हो जायेगा बाकी फ्लो का कभी भी नहीं होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अस्पताल खोल लिया। अब उस अस्पताल में कितने एस.सी. के लोग इलाज करवा रहे हैं, कितने एस.टी. के लोग इलाज

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

करवा रहे हैं, कोई पता नहीं है। जयपुर से जोबनेर सड़क बना दी। जयपुर से जोबनेर की सड़क के बीच में 10 गांव और आ गये। 10 गांवों में किस गांव में कितने एस.सी. के लोग रहते हैं, कितने एस.टी. के लोग रहते हैं, कितने उस सड़क पर चलते हैं, वह काउंट हो नहीं सकता। सामुदायिक भवन बना लिया, एनीकट बना लिया, बांध बना लिया, कितने एस.सी. के लोगों को फायदा पहुंचेगा, कितने ट्राइब के लोगों को फायदा पहुंचेगा, कोई काउंट नहीं कर सकता।

इसलिए मेरा निवेदन है, उस रोज भी आपने जो बात कही थी, मैं उस बात पर आना चाहता हूं। आपने कहा था कि 2.47 प्रतिशत जो यह आता है, निश्चित तौर पर आपने गलत नहीं कहा था, जो कहा था, सही कहा था। दिक्कत यह थी कि वह जो भी आपने कही थी, वह पिक्चर अधूरी थी। अधूरी इसलिए थी कि उसमें फ्लो काउंट पूरा नहीं किया। यह मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आप मेरी बात को स्वीकार करते हैं, मैं निश्चित तौर पर आपका प्रशंसक हूं और इसलिए मैं आपसे कहता हूं आप मुझे सुझाव दीजिये ताकि उसमें किस तरह से सुधार हो सके और लोगों में हमारा विश्वास जाग्रत हो सके कि जो भी सरकार चुनकर आती है, निश्चित तौर पर एस.सी. एस.टी. के बेनेफिट के लिए जितने प्रयास करते हैं, जितने प्रयास वे लोग चाहते हैं, उतने के उतने प्रयास वह करके दिखाते हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए बिलकुल I agree. इस फ्लो को स्टेटिस्टिक्स में लाने के लिए ही 2006 के अन्दर प्लानिंग कमीशन ने दुबारा गाइडलाइन्स जारी कीं। यह तो पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच में, 1979 में गाइडलाइन्स आई थीं, जिनके बारे में अपन बात कर रहे हैं, पर उसमें 20 साल के अंतराल के बाद में जब गवर्नमेंट आफ इण्डिया को यह बात पता लगी कि फण्ड का अलाटमेंट हैडवाइज होना चाहिए लेकिन कई स्टेट्स इस फण्ड का अलोटमेंट हैडवाइज नहीं कर रहे हैं। तो 26.12.2006 तीन पहले वाली लाइन पढ़ देता हूं जो शायद आप जो फरमा रहे थे, उससे कोरोबरेट कर जायेगी - "Strategies for the Scheduled Castes Sub-Plan for the Scheduled Tribes and Tribal Sub-Plan for Scheduled Tribes were introduced in the 6th Plan and 5th Plan for channelising to these categories of people their due share of Plan benefits and outlays. The strategies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes envisage channelising the flow of outlays ..." अब यह फ्लो की बात कर रहे हैं - "...outlays

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

and benefits from all sectors of development of Annual Plans of States, UTs and Central Ministries. But physical and financial term implementation of SCSP and TSP was not being done uniformly in all States, Union Territories and Central Ministerial Departments. Different States had adopted different ways of putting up the mechanism without exploring the effective mechanism for the planning, implementation and monitoring of the SCSP and TSP Plans. The State Governments may see and exercise .." अब आपका आएगा फ्लो वाला..."...exercise their qualification as divisible and non-divisible components." जो नोन -डिवीजिबल कम्पोनेंट है, उससे फ्लो आता है। डिवीजिबल कम्पोनेंट का तो आपने हैड डाल दिया और मैं यह भी आपको करेक्ट कर दूं कि 34 ऐसे हैड्स हैं, नाट 28 और 29, 34 ऐसे हैड्स हैं जो खुले ही नहीं, जहां उस फ्लो को आप चैक इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब हैड ही नहीं खुले तो उसमें रुपया खर्च हुआ, 10 रुपया खर्च हुआ, 15 रुपया खर्च हुआ, वह आपको पता ही नहीं पड़ेगा।

मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं, क्या यह सही नहीं है कि सड़क बना दी पी.डब्ल्यू.डी. ने और पी.डब्ल्यू.डी. ने सड़क बनाई 1,000 करोड़ की और उसमें से 170 करोड़ रुपये एस.सी. के नाम पर कट कर दिये। 12 प्रतिशत के हिसाब से ट्राइबल के कट कर दिये यह कहते हुए कि सड़क सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन यह बताइये, आपके पास में 2,011 तो सम्बल ग्राम थे। अब आपने उसका 4,000 कर दिये। अगर सम्बल ग्रामों में आप उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलते हैं, सम्बल ग्रामों में आप सड़क बनाते, सम्बल ग्रामों में अगर आप स्कूल खोलते तब पता पड़ता कि फ्लो वाकई में कहां जा रहा है। यह क्यों नहीं हुआ, इसको खोलने में क्या परेशानी थी?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। मैं जवाब दिला रहा हूं। जवाब दिला रहा हूं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): दोनों का साथ आ जायेगा, अध्यक्ष महोदय।

एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पर बात इसकी नहीं है। मैं आपको कृषि विपणन का उदाहरण देना चाहता हूं। कृषि विपणन के अन्दर आपकी जो स्टेटिस्टिक्स आई है, उसमें स्टेट प्लान का जीरो है और खर्चा किया इसमें 700 करोड़ रुपये। अब आप यह बताइये कि जिसमें प्लान

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

का पैसा ही नहीं आया और इसमें इन्होंने खर्चा कर दिया, जब 700-700 करोड़ का पता नहीं पड़ता कि कहां से आ रहा है, तो यह कहां से सुनिश्चित होगा कि जो फ्लो बताया गया है, वह वाकई में वह फ्लो है। जब आपने बजट हैड नहीं खोला और यहां इसी वजह से तो 2006 में प्लानिंग कमीशन की गाइडलाइन्स आईं कि 20 साल पहले जिस एस.सी. और एस.टी. के उत्थान करने के लिए, सर्वांगीण विकास करने के लिए हमने प्रयास किये थे, आज तक नहीं हुए पर मैं यह चाहता हूं कि 2006 के बाद, सरकार हमारी भी रही और वर्तमान में आपकी है, 2006 के बाद ऐसे कौन से कदम उठाये गये जिससे यह फ्लो आइडेंटिफाई हो सके और जब आप यहां बैठकर इस सदन में बजट के समय यह बात कहें कि हमने एस सी वर्ग पर पन्द्रह प्रतिशत खर्चा किया है, अठारह प्रतिशत खर्च किया है ....

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): और दूसरा, अध्यक्ष महोदय, यह किसने अधिकार दिया कि आप 17 से 14 कर दो? दो परसेंट बहुत बड़ा होता है। पचास हजार करोड़ का दो परसेंट क्या होता है? और किसने अधिकार दिया कि 14 परसेंट जिसको, करीब 14.50 परसेंट रहना चाहिए उसको आप घटा कर 11 कर लें?

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल मीणा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अब, अध्यक्ष महोदय, स्कटल मत करवाना। अच्छा, यह कोई पालिटिकल मामला नहीं है, यह बेसिक सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाय, यह वाली चीज है।

श्री अध्यक्ष: आपका जवाब दिला रहा हूं। आपसे जवाब दिलवा रहा हूं, आपका भी जवाब दे देंगे। (व्यवधान) इनका भी साथ ही दे दें फिर। मेरे ख्याल से 19-20 मिनट हो गये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): साथ में जवाब दे दें, साहब।

श्री अध्यक्ष: जल्दी एक सवाल पूछ लें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ठीक है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मांग संख्या 30 के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रीय विकास

(श्री नन्दलाल मीणा)

विभाग में प्रवाह होता है। इस प्रवाह के अन्तर्गत जो प्रावधान आपने वर्ष 2009-10 में किये थे, उस प्रवाह के विरुद्ध कितनी राशि व्यय हुई? क्या यह सही है कि जनजाति विकास विभाग में जो बजट प्रावधान होता है वार्षिक, उसका सेंट्रलाइजेशन जनजाति विकास विभाग मंत्री द्वारा किये जाने की वजह से आज तक जो प्रावधान किया गया है उसके विरुद्ध व्यय नहीं हुआ है? क्या यह सही है कि हैण्ड पम्प तक की स्वीकृति जनजाति विकास विभाग के मंत्री के दफ्तर से निकलती है? इसलिए आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है। इन बिन्दुओं पर आप जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक चीज आप और बता दें। एक हैड आपका बिलकुल क्लियर है नरेगा का। एक मिनट, मैं अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): नरेगा के अन्दर जो आपका फोरमेट है न मस्टररोल का, उसमें एक हैड बिलकुल क्लियर है, एससी हैड, एसटी हैड.. (व्यवधान) आज तक जो अपने पास में वेबसाइट पर पड़े हैं मस्टररोल...

श्री अध्यक्ष: अब शार्ट करें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एससी का हैड है ही नहीं। जो कुछ भी है, कुल कितने लोगों को दिया, तो नरेगा में भी हैड होते हुए अपन क्यों नहीं खोल रहे? यह भी आप बतायें।

श्री अध्यक्ष: शार्ट करें, माननीय सदस्य।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जी हां, यह मैं पहले आपको निवेदन कर चुका हूं कि कई बजट हैड खुले हुए हैं और कई नहीं खुले हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़े-बड़े इम्पोर्टेंट विभागों के बजट हैड आज भी नहीं खुले हुए हैं। मिसाल के तौर पर कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को ले लें आप। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ऋण देता है, एससी को भी देता है, एसटी को भी देता है लेकिन कोई पता नहीं कितनों को डाइरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, कितनों को नहीं मिल रहा, यह सब कुछ होता चला आ रहा है।

आपने जो बात कही कि 2006 और 2007 की बात कहूं, 2006 की माफ करना, जब मैंने पिछली बार कुछ आंकड़े देने की कोशिश की थी तो आपने एक बात कही थी यहां पर हाउस में कि हम तो कुए में डूब गये, आप

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

तो डूबने से बच जाओ। आजकल कुए में तो कम डूब रहे हैं, यह बोरवेल में ज्यादा डूब रहे हैं आदमी। (व्यवधान) मेरी अर्ज सुनें।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दे दें माननीय, शार्ट करें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरी अर्ज सुनें साहब, मेरी अर्ज सुनें।

2006 और 2007 में, 2006 की तो हालत यह थी कि आपके अनुसूचित जाति सब-प्लान के तहत जो वास्तविक व्यय हुआ आप उसकी पापुलेशन की तो बात ही छोड़िये, क्योंकि पापुलेशन तो 2001 में जो ली थी वह तो शिड्यूल कास्ट की पापुलेशन आती थी 16 प्रतिशत। तो 16 प्रतिशत के हिसाब से खर्चा होना चाहिए था लेकिन 2006 की मेरे पास फीगर है, 2006-07 में उस वक्त की गवर्नमेंट ने सिर्फ 10.20 का खर्चा किया था।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): आप जो कर रहे हैं वह बताओ न।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां-हां, मैं वही बात कह रहा हूं। मैं पहले ही कह चुका कि मैं कोई कम्पेयर नहीं करना चाहता लेकिन चूंकि उस रोज आपने कुए में डूबने की बात कह दी थी तो इसलिए मैंने यह बात छेड़ी है, नंदलालजी, आप समझिये बात को।

श्री अध्यक्ष: सम-अप करें। सम-अप करें। समाप्त करें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): 07-08 का भी बता दें। जब 06-07 का बता रहे हैं, 07-08 का भी बतायें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं उसी बात पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: और भी सवाल हैं, सम-अप करें। और भी सवाल हैं, जल्दी करें। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहती हूं...

श्री अध्यक्ष: आप तो, मंत्रीजी, इनके सवालों का जवाब दे दीजिये। प्लीज बैठिये। बैठिये आप, बैठिये।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ...कि जो एस सी, एस टी के जो...

श्री अध्यक्ष: आपको अलाउ नहीं किया है। जल्दी करिये।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): और हमारे भी जरूरी हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अच्छा, उसके बाद में आपने 07 और 08 की बात कही कि 07 और 08 में खर्चा क्या किया। यह वास्तविक जो खर्च हुआ एस सी सब-प्लान पर वह 14.49 हुआ और एस टी पर जो खर्चा हुआ है वह 8.80 हुआ। आज की तारीख में भी मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि तीन क्वार्टर के खर्चे अभी तक हमें मिल पाये हैं, चौथी क्वार्टर बाकी है और आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कुछ खर्चा होता है थर्ड क्वार्टर तक, वह 60 या 65 प्रतिशत के आसपास होता है, बाकी सारे का सारा खर्चा फोर्थ क्वार्टर में ज्वाइंट होता है। वह भी प्रोग्रेस देख लीजिये आप कि 8.53 और 6.90 आ रहा है। मुझे यह उम्मीद है कि जो टारगेट हमने फिक्स किये हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि 17-16 पर हम नहीं पहुंच सकते, न कोई गवर्नमेंट आज तक पहुंची है, न आपकी पहुंची, न हमारी पहुंची। हमारी कोशिश यह रहेगी कि हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष: सम-अप करें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उसी के लिए हमने 2010 और 2011 का जो प्लान बनाया है और आपकी दुआओं से जो प्लान बना वह 22,421 करोड़ रुपये का बना जो कि आपके बजट वोल्यूम में भी मौजूद है और यदि इस प्रस्तावित योजना को जो तेरहवें वित्त आयोग का जो 1400 करोड़ रुपये हमें ज्यादा मिल रहे हैं इससे यह बढ़ कर के 23,822 करोड़ रुपये हो जायेंगे तो जब यह 23,822 करोड़ रुपये हो जायेंगे तो उसी अनुपात में एससी, एसटी का पैसा बढ़ेगा।

मैं यह समझता हूं कि जो चिंता आपने जाहिर की है कि इनको अपना हक मिलना चाहिए, निश्चित तौर पर यह सरकार प्रतिबद्ध है और खास तौर से....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम। (व्यवधान) विराजें, विराजें।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय...

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): हमारे भी बहुत जरूरी सवाल हैं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से एक बात पूछना चाहती हूं...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): खास तौर से मुख्य मंत्रीजी... (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): प्रश्न संख्या 180 ।

श्री अध्यक्ष: खत्म करिये। (व्यवधान) आबकारी मंत्रीजी।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): कि एस सी, एस टी के जो स्टूडेंट्स पालिटेक्नीक, आईटीआई के अन्दर पढ़ रहे हैं, उनकी स्कोलरशिप को कम कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। विराजें । विराजिये, विराजिये। इनको मैंने अलाउ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इन महिलाओं की बाद में बात कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: उनको मैंने अलाउ नहीं किया। आप तो विराजें।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): अध्यक्ष महोदय, हमारा भी स्टूडेंट्स का बहुत जरूरी सवाल है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ठहरो भाई, एक मिनट ठहरो। एक मिनट ठहर जाओ मैडम, बाद में बात कर लेंगे अपन, आप चैम्बर में आ जाना।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, मंत्रीजी। विराजिये, विराजिये, हो गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: हो गया। और प्रश्न नहीं आयेंगे, 25 मिनट निकल गये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक मिनट, एक लाइन रह गई। मैं आपको यह एश्योर करना चाहता हूं कि 2011-12 में प्रावधानों का एक्चुअल रिफ्लेक्शन संबंधित बजट हैड में करना सुनिश्चित करने का मुख्य मंत्रीजी ने पूरा इरादा बताया है और खास तौर पर यह कहा है कि यह काम इन सालों में जो है, आगे सरकार करके रहेगी।

श्री अध्यक्ष: विराजें। आबकारी मंत्रीजी। जवाब दें। (व्यवधान) आप विराजिये।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 क्षेत्र जयपुर-बीकानेर के मध्य संचालित शराब विक्रय केन्द्र

180. श्री अमराराम (दांतारामगढ़): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) देशी व अंग्रेजी शराब की दुकान स्वीकृत करने के क्या मानदण्ड हैं?

(श्री अमराराम)

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर जयपुर से बीकानेर तक ग्रामीण क्षेत्र में कितनी मदिरा की दुकानें संचालित हैं? सड़क के दोनों ओर संचालित दुकानों का विवरण मय उनकी एक दूसरे से दूरी तथा तय मानदण्डों के अनुसार उनकी स्थिति सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक मानदण्डों का उल्लंघन करने पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(4) दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2009 तक हरियाणा निर्मित मदिरा एवं स्प्रिट कितनी पकड़ी गई एवं उनके मुख्य अभियुक्त कौन-कौन हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) राज्य में सरकार द्वारा हरियाणा में निर्मित अवैध मदिरा की आवक व बिक्री की रोकथाम के क्या उपाय किये गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) देशी व अंग्रेजी मदिरा की दुकानों को संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है। उक्त नियम 75 की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर जयपुर से बीकानेर तक ग्रामीण क्षेत्र में मदिरा की कुल 39 दुकानें संचालित हैं। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर संचालित दुकानों का विवरण, एक दूसरे से दूरी तथा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उनकी स्थिति का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) मदिरा दुकानों की अवस्थिति मानदण्डों के अनुसार ही संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती है। उक्त राजमार्ग संख्या 11 पर मानदण्डों के उल्लंघन का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(4) दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2009 तक की अवधि में हरियाणा निर्मित पकड़ी गयी मदिरा एवं स्प्रिट का विवरण एवं इन प्रकरणों के अभियुक्तों और उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यदि आज्ञा फरमायें तो ज्यादा नहीं है, करीब सौ पृष्ठ हैं, मैं यह पढ़ करके सदन के समक्ष रखूं।

श्री अध्यक्ष: सुनाने की जरूरत नहीं है, आप रख दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सदन के पटल पर ही? कल आपने माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को आज्ञा प्रदान की थी ।

श्री अध्यक्ष: छोड़िये कल की तो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): तो आपकी आज्ञा हो तो कोई ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से ही हैं।

श्री अध्यक्ष: रख दो आप तो। आप तो पटल पर रख दो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): नहीं । जैसी भी आपकी आज्ञा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो पूरी तैयारी के साथ आया था, भाई सारे का सारा...

श्री अध्यक्ष: सप्लीमेंट्री पूछेंगे, तब तैयारी का पता लगेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सदन के समक्ष सब का जो है.. (व्यवधान) परिशिष्ट-3 पर सदन के पटल पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांति रखिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): (5) राज्य में हरियाणा में निर्मित अवैध मदिरा की रोकथाम के लिए निम्न उपाय किये गये हैं:-

1. समय-समय पर आबकारी विभाग, आबकारी प्रवर्तन निदेशालय एवं पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई।
2. आबकारी प्रवर्तन निदेशक द्वारा पड़ोसी राज्यों हरियाणा एवं चण्डीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर अवैध शराब के आयात को रोकने का प्रयास किया गया।
3. पड़ोसी राज्यों से इस बारे में उपयोगी सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है।
4. आबकारी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर आकस्मिक नाकाबंदी लगायी जाती है।
5. अवैध शराब के संबंध में सूचना देने हेतु मुखबिर प्रोत्साहन योजना लागू की गई।
6. प्रवर्तन निदेशालय के सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिये विशेष इंटेलीजेंस सेल गठित किया गया।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपके मदिरा की दुकानें खोलने का नियम आबकारी अधिनियम 1956 के नियम 75 के अनुसार है। इसमें साफ लिखा है – ''A shop for the retail sale of country liquor, foreign liquor and Indian Made Foreign Liquor, beer or Hemp Drugs shall not be located

(श्री अमराराम)

within a distance of 150 meters on both sides from the centre of National or State Highway. But this condition shall not apply in areas falling within the jurisdiction of Municipal Corporation/Municipal Council/Municipality."

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि मैंने जो सवाल पूछा है कि इस आबकारी अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे के मध्य से दोनों तरफ 150-150 मीटर में कोई शराब की दुकान नहीं खुल सकती। इस नियम में केवल म्युनिसिपली एरियाज में छूट हैं। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, अकेले जयपुर से लेकर बीकानेर तक 39 शराब की दुकानें केवल नेशनल हाइवे के बिलकुल बाउण्ड्री में खुली हुई हैं जिससे कि हमेशा राजस्थान में जो सड़क हादसे होते हैं उसमें बहुत बड़ा कारण उन ड्राइवरों के द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाना होता है। आबकारी मंत्रीजी के विभाग के तमाम जिला आबकारी अधिकारियों ने इन नियमों को धता बताकर केवल अकेले नेशनल हाईवे नम्बर-11 में जयपुर से वहां तक 39 दुकानें नियम विरुद्ध खोली हैं और उत्तर दिया है ये नियमानुसार हैं। मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करें कि इस नियम की धज्जियां न केवल नेशनल हाइवे नम्बर-11 पर बल्कि राजस्थान के तमाम नेशनल हाइवेज और स्टेट हाइवेज पर उड़ाई गई हैं। यह किस कारण से उड़ाई गई हैं, यह बता दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि नियमों की कोई धज्जियां उड़ाई नहीं गई हैं। माननीय सदस्य ने आबकारी अधिनियम, 1956 के नियम 75 का जिक्र किया। इसमें माननीय सदस्य यदि दो लाइन और आगे पढ़ लेते, इसमें पांच पर है – ''A shop for the retail sale of country liquor, foreign liquor and Indian Made Foreign Liquor, beer or Hemp Drugs shall not be located within a distance of 150 meters on both sides from the Centre of National or State Highway. But this condition shall not apply in areas falling within the jurisdiction of Municipal Corporation/Municipal Council/Municipality..." उसके आगे माननीय सदस्य यदि आप एक लाइन और पढ़ते – ''.. or where a developed market at a distance specified by Public Works Department is located." यदि आप यह लाइन और पढ़ लेते तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस नियम में जहां विकसित बाजार हैं, उस विकसित बाजार को भी यह छूट दी गई है। जैसे नगर परिषद हो, कारपोरेशन हो, नगरपालिका हो, उन क्षेत्रों के साथ-साथ जहां विकसित बाजार हैं, वहां पर भी यह छूट दी गई है कि 150 मीटर से हम रिलेक्सेशन देकर के वापस दुकान खोल सकते हैं। यह नियम में है और यह साफ-साफ लिखा गया है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: विकसित बाजार का क्या मतलब है? विकसित बाजार का मतलब क्या है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): विकसित बाजार का मतलब, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि रोड साइड पर जहां पांच सात दुकान बन जाती हैं, जहां से आम ग्राहक जो उधर से गुजरते हैं उन लोगों के लिए कानून में प्रावधान है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कानून में प्रावधान है और साफ-साफ लिखा हुआ है- ''..or where a developed market at a distance specified by Public Works Department is located." इसमें स्फेसिफिक कहा गया है। इसमें नियमों का उल्लंघन करने और आबकारी अधिकारी द्वारा इनका पालन न करना, यह कहीं है ही नहीं। साफ-साफ लिखा हुआ है नियमों में, नियमों के अन्तर्गत ही सारी की सारी दुकानें खोली गई हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह छूट केवल म्युनिसिपल कारपोरेशन में भी वहां होगी जहां मार्केट विकसित है।

श्री अध्यक्ष: जहां विकसित बाजार बन गये वहां भी होगी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, नहीं, यह केवल म्युनिसिपेलिटी के लिए है...

श्री अध्यक्ष: जहां पर पांच-सात दुकानें बन जाती हैं ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप पढ़ लीजिए न।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह नियमों में है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। साफ-साफ नियमों में है। आप एक लाइन और पढ़िये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हां-हां, पढ़ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप खुद अवलोकन कर लीजिए यह केवल जो म्युनिसिपेलिटी और कारपोरेशन है उसमें भी यह छूट वहीं होगी। वहां नहीं होगी जहां खुला एरिया है। जैसे रींगस में आप पधारेंगे, रींगस म्युनिसिपल एरिया है लेकिन वहां कोई मार्केट नहीं है तो वहां शराब की दुकान नहीं होगी। म्युनिसिपेलिटी के लिए एक्सप्लेनेशन है यह। उसके नीचे भी एक्सप्लेनेशन है। मैं आप कहो तो सब पढ़ दूं। यह केवल म्युनिसिपेलिटी के लिए छूट हैं, केवल वहां होगी, मंत्रीजी यह कौनसा बाजार है? वहां फतेहपुर के थाने के सामने कोई मार्केट नहीं है, रसीदपुरा में कोई मार्केट नहीं है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्रीजी ने कहा विकसित बाजार।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): विकसित बाजार भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, केवल एक दुकान है शराब की ...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): ...(व्यवधान) थाने में दुकानदारी करने आते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं तो यह कह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता, पहले मूल प्रश्नकर्ता। आपको मौका दे रहा हूं, पहले मूल प्रश्नकर्ता।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपके माध्यम से यह निवेदन है कि यह जो छूट है, यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं है। यह केवल म्युनिसिपेलिटी में एक्सप्लेनेशन किया गया है। विकसित बाजार जहां नहीं है, वहां म्युनिसिपल एरियाज में भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने तो पूरे राजस्थान में छूट दे दी। आज से पहले कभी नहीं थी। केवल आबकारी मंत्रीजी के चहेते लोगों...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कानून 1956 का है, यह आज के दिन नहीं बनाया गया है। इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि जहां कहीं भी विकसित बाजार होगा वहां यह छूट देंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): विकसित बाजार की परिभाषा क्या है? आप यह बता दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें है क्या? और इसमें आम आदमी की सुविधा के लिए है।

श्री पेमाराम (धोद): ग्रामीण इलाकों में ...(व्यवधान) गांवों में बस अड्डे पर ...(व्यवधान) रसीदपुरा, खुरी, कसू एक-एक में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप कहां बीच में?

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि गांवों में कितनी शराब की दुकानें रोड पर हैं? नेशनल हाइवे पर जो गांव हैं उन गांवों पर कितनी दुकानें हैं, जहां विकसित नहीं हैं जैसे एक-एक दुकान है?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 39 तो केवल जयपुर से लेकर बीकानेर तक, मैं समझता हूं कि इतनी ही ग्राम पंचायतें हैं और एक-एक ग्राम पंचायत में दो-दो खोल रखी हैं। यह गारिन्डा में जो ग्राम है, हरसावा में दो खोल रखी हैं और गारिन्डा में भी खोल रखी हैं। एक-एक पंचायत में दो-दो खोल रखी हैं

(श्री अमराराम)

और विकसित बाजार, मंत्री महोदय, मैं तो कम पढ़ा-लिखा आदमी हूं, यह केवल छूट, माननीय अध्यक्षजी, आप फरमा दीजिए। यह केवल जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है यह भी केवल म्युनिसिपेलिटी के लिए दिया गया है। नीचे भी एक्सप्लेनेशन दिये गये हैं चार, मंदिर का, स्कूल का लेकिन जिस तरह नेशनल हाइवेज, मैं समझता हूं कि एक तो आप जो विकसित बाजार हैं उसकी परिभाषा बता दीजिए कि विकसित बाजार दो दुकान में आता है या पचास दुकानों में आता है। आपकी जितनी भी हैं...

श्री अध्यक्ष: बैठिये-बैठिये। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ...(व्यवधान) दो चार पांच दुकानें जहां भी होंगी हाइवेज पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ट्रेफिक रहता है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड...

श्री अध्यक्ष: पहले जवाब।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाइवेज पर इतना ट्रैफिक रहता है, वहां जो भी यात्री गुजरते हैं उन लोगों की सुविधा के लिए जगह-जगह बाजार बनाते हैं और उन बाजारों में....

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): शराब की सुविधा, आप शराब की सुविधा देकर के मरवाना चाहते हो, सौ-सौ लोग मारे जाते हैं...

श्री सुखराम (बसेड़ी): ...(व्यवधान) एक्सीडेंट होते हैं। यह कौनसी सुविधा है?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह सुविधा दे रहे हैं। और सुविधा से एक-एक बस में चालीस-चालीस लोग मारे जा रहे हैं। इसी हाइवे पर एक बस के एक्सीडेंट में चालीस लोग मर गये हैं। और यह सुविधा दे रहे हैं? अगर ऐसी ही सुविधा देते हो तो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): कोई सुनना ही नहीं चाहता। मेरा निवेदन यह है कि हाइवे से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये, जवाब दे रहे हैं। सुनिये पहले, जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बात को घुमा-फिराकर के इनकी जैसी नीयत है वहीं ले जाते हैं। मेरी बात पूरी सुन नहीं रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि हाइवेज हैं, हाइवेज पर इतना ट्रैफिक

(श्री राजेन्द्र पारीक)

गुजरता है, आम आदमी की सुविधा के लिए वहां पर छोटे-मोटे मार्केट भी बनते हैं, चाय की दुकान भी बनती है, वहां जनरल सामान का मार्केट बनता है, वहां कहीं खाने का भी होता है। जहां इस तरह का डवलप मार्केट हो जाता है वहां इस नियम में छूट दी गई है और छूट देकर के वहां पर ये दुकानें कायम की गई हैं। इसमें बुराई क्या है?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, आप इस मार्केट की परिभाषा बता दें ...(व्यवधान) रसीदपुरा में कौनसा मार्केट है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। माननीय तिवाड़ी जी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): और इनको निमंत्रण देने थोड़े जाता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद सदस्य यह जानना चाह रहे हैं...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अभी मार्केट की परिभाषा तो बता दें और यह बता दें कि यह शहर के लिए है या गांव के लिए भी है? (व्यवधान) स्पष्टीकरण है, वह बता दें। उसके बाद तो नीचे वाले चार खण्ड हैं उनको तो मैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय तिवाड़ीजी, पहले तिवाड़ीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं इनकी तरफ से ही पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह इनका विषय नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, इनकी तरफ से, आपके दल के उप नेता हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, पहले मैं तो पूछ लूं।

अध्यक्ष महोदय, एक तो उसका जवाब दिला दें। दूसरा, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि हरियाणा निर्मित शराब के मामलों में केवल वाहन चालकों का चालान किया गया है, जबकि हरियाणा निर्मित शराब हरियाणा से जाकर गुजरात तक जा रही हैं। मंत्री महोदय ने बताया कि इतनी लम्बी-चौड़ी सूचना है, इसमें आप वह बता दें कि शराब माफिया जो व्यवसाय कराते हैं उनके केवल ड्राइवरों को आपने पकड़ लिया। उन माफियों के खिलाफ कितने केसों में, केवल आपने ट्रक के ड्राइवर को, जीप के ड्राइवर को पकड़ लिया। सीकर में शराब दुखांतिकाएं, जो पहले भी फतेहपुर में हुई जिसमें दर्जनों लोग मारे गये...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

श्री अमराराम (दांतारामगढ): प्रश्न यह है कि उन मूल शराब माफियों को कितनों को आपने इस केस में चालान करवाया है? केवल शराब ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, सीकर में तो जिस तरह से फतेहपुर में यह स्प्रिट शराब बनाकर दर्जनों लोगों की जान ली थी, अब उसी सीकर में मंत्रीजी के आबकारी विभाग सम्भालने के बाद स्पिट के टैंकर के टैंकर आ रहे हैं और कोई हादसा नहीं हो इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि आपका विभाग और पुलिस दोनों इन शराब माफियाओं से मिल कर राजस्थान की जनता के साथ, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कोई बड़ा हादसा होगा। इसमें आपका विभाग और पुलिस तमाम मिली हुई है। इसका उत्तर देने का कष्ट करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने जिस नियम 75 के सब क्लाज-5 की बात की है उसमें लिखा है – ''... or where a developed market at a distance specified by Public Works Department is located." मतलब पी.डब्ल्यू.डी. विभाग द्वारा जिनको विकसित मार्केट के रूप में चिह्नित किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जिन 39 दुकानों को नेशनल हाइवे के बिलकुल ऊपर खोल रखा है उनको पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट द्वारा कब-कब विकसित बाजार के रूप में उसके स्थानों को चिह्नित किया गया? एक तो आप यह बता दें।

नम्बर-2, आप यह भी बता दें कि आपने खण्ड-5 में यह कहा है कि, आपके आने के बाद दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2009 तक इन मामलों के 19,799 प्रकरण आपने बताये हैं, क्या यह सही है कि इसी सूची के अन्दर अध्यक्ष महोदय, बड़ी संख्या के अन्दर ...

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दुकानें खुली हुई हैं भाजपा के राज की खुली हुई हैं..

श्री अध्यक्ष: आप बीच में कहां से?

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ...और वो की वो रिन्युअल की गयी हैं सारी दुकानें। आपके टाइम में खुली हुई हैं सारी दुकानें, आपके समय में खुली हुई थीं और आपने खोली हैं सारी दुकानें। सबसे पहले दुकानें आपने खोलीं।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, शराब संस्कृति को बढ़ावा दिया सरकार ने और ये शराब की दुकानों की बात कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि शराब संस्कृति के बड़े-बड़े शोरूम खोले गये और आज भी उनकी बातें आयीं और वो भी कह रहे हैं, अमरारामजी बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ...(व्यवधान) ये दस साल से वो की वो दुकानें चली आ रही हैं। ये बिलकुल असत्य कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दस वर्ष से जो लोग इसमें पड़े हुए हैं वो की वो लोकेशन उन दुकानों की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य, विराजिये आप। कृपया विराजिये। माननीय सदस्य, विराजें। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाह रहा हूं मंत्री महोदय से...

श्री अध्यक्ष: आ गया, आ गया। आपका जवाब दे रहे हैं वो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: जवाब नहीं दे पायेंगे, भूल जाएंगे वो। एक साथ नहीं। आपने पूछ लिया, जवाब दे रहे हैं । हां, जवाब दे रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा स्पेशल सवाल है कि इन मामलों में कितने मामले ऐसे हैं जिनको 6 महीने हो गये हैं, आपने अदालत में चालान नहीं किया और सब की सूची में पेंडिंग-पेंडिंग दिखा रखा है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इनसे मिलीभगत किसकी है? यह भी बता दें आप ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज। प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पूर्व में पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर रह चुके हैं और मेरे से ज्यादा जानकारी इनकी है...

श्री अध्यक्ष: आप तो पूरक प्रश्नों का जवाब दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): कि आपने कहां-कहां विकसित बाजार और आपने अपनी सुविधा के लिए जहां-जहां भी आपको जरूरत पड़ी वहां-वहां आपने बाजार स्थापित करवाये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हाइवे से ही खरीदते हैं। शहरों में तो ये खरीदते हैं क्या कोई?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): वैसे मैंने, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप तो मेरे से अलग से मिल लेना ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह सवाल को डाइल्युट कर रहे हैं। मैंने स्पेसिफिक सवाल किया है कि पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट ने उनको ...(व्यवधान) स्पेसिफिक सवाल है। ये क्या कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप तो पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर रहे हैं और आप, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): गृह मंत्रीजी, कौन कहां से खरीदता है आपसे और मुझसे छिपा है क्या? अपन दोनों की बात बता दूं उप नेताजी को।

श्री अध्यक्ष: आप दोनों कहां से खरीदते हो, इससे सदन को क्या लेना देना है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): नहीं-नहीं, वह व्यवस्था मैं कर दूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हाइवे से खरीदते हो, हम मना कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य की जो भी व्यवस्था है, आप मेरे से अलग से मिल लेना। आप वाली व्यवस्था मैं निश्चित रूप से कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): रही बात इन मुकदमों की ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इस सवाल का जवाब दो कि कितनी तारीख को कब-कब नोटिफाई हुए ये विकसित बाजार? इस सवाल का जवाब दो। मैं बता दूंगा। मैं कर दूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धोद से आने वाले माननीय सदस्य जानना चाह रहे थे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये, आपका सब्जेक्ट नहीं है। आप विराजें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): विकसित मार्केट का मामला है, विकसित मार्केट।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, अलवर जिला भी हरियाणा के माफियाओं के कब्जे में है। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: हरियाणा का नहीं, पहले इनका जवाब आने दीजिये आप। आप विराजिये। विराजिये। वो मैं अलाऊ नहीं करूंगा। अंकित नहीं होगा।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की लेकिन एक भी मामला ...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सारी।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सुनिये।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया शांति रखें। जवाब आ जाने दो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जानकारी चाही है कि हरियाणा से निर्मित शराब कितनी यहां पर आयात हुई और कितने लोग उसमें पकड़े गये। पूरी तरह से मामला स्पष्ट है। आपने यह कहा कि कितने लोग पकड़े गये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कतई गलत है। इस तरह से पार्टी सदस्य का नाम लेकर के किसी को भ्रमित करना, ये, माननीय अध्यक्ष महोदय, कतई गलत है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: प्लीज, जवाब देने दीजिये। माननीय सदस्य, जवाब दे रहे हैं, मंत्रीजी प्लीज। अंकित नहीं होगा किसी का। अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है। मंत्रीजी का जवाब आ जाने दीजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य, सुनें आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी। व्यवधान नहीं। मंत्रीजी जवाब दे दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): एक मिनट। व्यवधान नहीं, प्लीज। इतनी मेहनत करके आपको यहां पर जवाब देने के लिए आते हैं। आप लोग केवल हल्ला करके और बात को डाइल्युट करते हैं। मैं एक बात साफ तौर से कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य, आपने जो बात कही है कि सीकर में स्प्रिट का टैंकर पकड़ा गया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्प्रिट से दो ही मामले हुए हैं पूरे राजस्थान में और उनमें पूरी सख्त से सख्त कार्यवाही की गई। सीकर में एक भी मामला स्प्रिट का नहीं पकडा गया। जहां तक हरियाणा से निर्मित देशी शराब का मामला है, उसमें, अध्यक्ष महोदय, 860 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है?

श्री अध्यक्ष: अब सीकर में पकड़ा ही नहीं गया तो कहां से कार्यवाही करेंगे?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं पकड़ा गया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): 860 लोगों को अरेस्ट किया गया है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष: आप स्पष्टीकरण ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): पूरी तैयारी करके अपनी बात यहां पर कहने आते हैं। माननीय सदस्य कोई भी वेग चार्ज लगा करके पूरे हाउस के सिस्टम को हाइजेक कर लेते हैं। यह स्वस्थ परम्परा नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप तो सप्लीमेंट्री का जवाब दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, दावे के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, यदि ये साबित करें कि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, यदि स्प्रिट के मामले में पकड़ा गया तो सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। वेग चार्ज लगा करके, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से यह भ्रम पैदा करना यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। कोई स्पेसिफिक चार्ज हो, कोई बात हो, मुझे बतायें। मैं सख्त से सख्त कार्यवाही करने को तैयार हूं। लेकिन केवल वेग चार्ज लगाना, कागज को यों लहराना, यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी पीड़ा होती है। मैंने साफ तौर पर कहा है जितनी भी दुकानें खोलीं 39, वो नियमों में हैं और 860 लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज किये गये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: आप सुनें तो सही पहले। व्यवधान नहीं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ये रहे नियम, पढ़िये आप नियमों को।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): केवल जोर से बोलना ...(व्यवधान) और हर दफा यों नाच नचाना, माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वस्थ परम्परा नहीं है। बड़ी पीड़ा होती है इस बात से।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उप नेता महोदय, एक मिनट लेना चाहता हूं आपसे। पूरा सदन बैठा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोज की परम्परा है। उस दिन मैंने ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उप नेता महोदय, यह इस तरह से नहीं चलेगा। जितनी तेजी से यह सदस्य बोलना जानते हैं उससे ज्यादा ताकत से मैं अकेला बोल सकता हूं। इस तरह से चुप नहीं बैठेंगे, बिलकुल नहीं बैठेंगे, आपको सुनना पडेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुननी पडेगी, यह कोई तरीका नहीं होता। (व्यवधान) हर किसी के खिलाफ वेग चार्ज लगाना इनकी रोज की परम्परा हो गई है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त, कर्नल सोनाराम।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उप नेता महोदय मैं एक बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मेरा सवाल आ गया, साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): एक मिनट बैठिए, प्लीज।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं यदि सदन का कोई भी व्यक्ति इस बात की जानकारी देता है कि बाहर से अवैध स्प्रिट आ रही है, बाहर से अवैध शराब आ रही है तो राजेन्द्र पारीक और इस सरकार की मंशा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। में माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं यदि आपके पास ऐसी कोई इन्फोर्मेशन है कि फलां व्यक्ति स्प्रिट लेकर आ रहा है, आप बतायें। हम उनको अरेस्ट करेंगे, हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त, चर्चा समाप्त।

ओरण गोचर भूमि क्षेत्र में वृक्षों की अवैध कटाई

181. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में मरू गोचर योजना के तहत ओरण, गोचर भूमि का विकास करना, चरागाहों की पुनर्स्थापना करना, परम्परागत ओरणों का पुनरुद्धार कर अकाल की स्थिति से निपटना, आदि शामिल है।

(2) क्या यह भी सही है कि कारगर संरक्षण के अभाव में ओरण क्षेत्र से वृक्षों की खुलेआम कटाई की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार प्राकृतिक सम्पदा एवं वनों की कटाई को रोकने के लिये कोई कठोर कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कैसे व नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण (श्री रामलाल): (1) जी हां, वर्ष 2003-04 में भारत सरकार द्वारा मरू गोचर योजना शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य ओरण, गोचर भूमि का विकास करना, चरागाहों का पुनर्स्थापना करना, परम्परागत ओरणों का पुनरुद्धार कर अकाल की स्थिति से निपटना, आदि शामिल था।

(2) ओरण क्षेत्र सामान्यत: राजकीय/ग्राम पंचायतों की भूमि है। इनका उपयोग सामुदायिक भूमि के रूप में किया जा रहा है। ओरण क्षेत्रों का धार्मिक मान्यताओं के आधार पर संरक्षण के फलस्वरूप इनमें वृक्षकुंज पाये जाते हैं तथा यह जैव विविधतापूर्ण क्षेत्र है। स्थानीय व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं के कारण, ओरण क्षेत्रों का संरक्षण होता है जिससे वृक्षों की खुलेआम कटाई नहीं होती है। कुछ स्थानों पर यदा-कदा चोरी छिपे पेड़ कटाई की कुछ घटनायें हो जाती हैं। राज्य सरकार राजस्थान राज्य वन नीति, 2010 के अनुरूप स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता से प्राकृतिक सम्पदा एवं वनों की कटाई को रोकने के लिये कृत संकल्प है जिसमें ओरण भी सम्मिलित है। वन क्षेत्रों में पदस्थापित वन कर्मियों द्वारा तथा ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के सदस्यों द्वारा वनों की अवैध कटाई की रोकथाम की जा रही है।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, मैं वन मंत्रीजी का बहुत आदर करता हूं। मैंने कुछ दिन पहले सवाल पूछा था, उस समय आप भी यहां विराजमान थे। गरीब वन पालकों के वेतन बाकी थे, उस संबंध में सवाल था और वह 8 करोड़ बाडमेर से थे और 5 करोड़ जैसलमेर से थे। मंत्री जी से जब मैं पूछ रहा था, तब मंत्रीजी ने एक इंडिकेशन दिया वह आपने भी देखा,

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

उसकी आपने व्यवस्था नहीं दी। इस तरह से कोई सवाल पूछे, उसमें अगर कोई भी मंत्री खड़ा होकर कुछ इस तरह से इंडिकेट करें तो यह ठीक नहीं है। मैं कांग्रेस का हूं, यह भी कांग्रेस के हैं। अब आप कहो तो मैं मंत्रीजी से सवाल पूछ लेता हूं। हमारे पार्लियामेंट्री मंत्रीजी हैं, उन्होंने भी महसूस किया कि ऐसा नहीं होना चाहिये। आगे यह आपको देखना है कि इस तरह से कोई टिप्पणी होती है, इस तरह से इंडिकेशन होता है तो यह सदन की परम्परा के खिलाफ है।

मैं सवाल तो पूछ ही लेता हूं, एक बार तो सोचा कि मैं नहीं पूछूं पर कई लोग सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं। मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाह रहा हूं आपने इसमें लिखा है कि वृक्षों की खुलेआम कटाई नहीं होती है। कुछ स्थानों पर यदा-कदा चोरी छिपे पेड़ कटाई की कुछ घटनायें हो जाती हैं। मैं जानता हूं, कई लोगों से मैंने बात भी की, वन विभाग में कई जगह खास कर जो गोचर भूमि है इसमें अतिक्रमण भी होते हैं और इसमें पेड़ भी काटे जाते हैं। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने केस आपके पास आये? इसको रोकने के लिये क्या आपने कोई एफआईआर दर्ज की, कितनों का चालान हुआ।

राजस्व मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, यह प्रश्न राजस्व मंत्रीजी से भी है। सिर्फ पेड़ पौधे नहीं कटते, वहां पर बहुत अतिक्रमण भी होता है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, इसमें क्या-क्या कार्यवाही हो रही है? आप खुद कह रहे हैं कि इसमें चोरी छिपे कटाई होती है तो आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, बायतू से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने कुछ बात कही है कि मंत्रीजी ने खड़े होकर पहले प्रश्न में कुछ कहा जो आपने और उप नेता महोदय ने भी देखा है, इसमें अब आप ही व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष: खड़े होकर नहीं, बैठे-बैठे।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप खुद ही व्यवस्था दे दें। मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्रीजी उन्होंने कहा है कि उन्होंने बैठे-बैठे मेरी तरफ यूं कर दिया।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मैंने ऐसा किसी को नहीं कहा है।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ...(व्यवधान) मंत्रीजी यहां कान साफ कर रहे थे और आप कह रहे हो, यूं कर दिया। सदन में मान लो कान में कोई कचरा हो तो वह निकालना जरूरी नहीं होता है क्या? कान साफ करना भी अपराध है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न का उत्तर दें मंत्रीजी। पहले मूल प्रश्नकर्ता का उत्तर दीजिए आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): वह पूछना नहीं चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि अतिक्रमण, एफआईआर, आज दिन तक मरू प्रदेश से जहां देव ओरण भूमि है वहां से एक भी शिकायत, एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मैंने पहले ही अपने जवाब में कहा कि यह ग्राम पंचायतों की जमीन है। पहली बार राज्य सरकार ने 2010 में अभी कैबिनेट में फैसला हुआ, वन नीति बनाई। उसमें देव ओरण भूमियों को इसमें संरक्षण के लिये लिया है। पहली बार यह प्रावधान मुख्य मंत्रीजी ने किया है। पहले यह जमीन ग्राम पंचायतें स्वयं देखती थीं। राज्य सरकार ने जिला कलक्टरों को यह निर्देश दे रखे थे कि देव ओरण जमीनों में कहीं पेड़ की कटाई की शिकायत आये, क्योंकि धार्मिक भावनाओं से वह पेड़ जुडे हुए हैं, कल्प वृक्ष भी हैं, खेजड़ी भी हैं तो उसकी शिकायत मिलते ही तुरंत कटाई वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और कार्यवाही भी होती है। अगर अधिकारी गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही करने के साफ आदेश राज्य सरकार ने जिला कलक्टरों को दे रखे हैं।

अभी पहली बार वन नीति में देव ओरण भूमि को लिया है। वन नीति में इनके प्रोटेक्शन का पूरा इंतजाम किया है। वहां एनजीओ भी हैं, स्वयं सेवी संस्थाएं भी हैं, वन समितियां, वन मित्र भी हैं। पिछले बजट में मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है, उन वन मित्रों के माध्यम से माननीय सदस्य अगर बतायेंगे तो जहां-जहां हैं, मरू गोचर भूमि योजना जो 2003 में शुरू हुई, उसमें पैसा खर्च हुआ, उनको संरक्षण के लिये हमने प्लान किया है। अभी नरेगा के माध्यम से भी हम उन ओरण भूमियों को बचाने का काम कर रहे हैं। यह प्रस्ताव हम हमारे विभाग से भी ले रहे हैं, विभाग के अलावा ग्राम पंचायतों का भी अधिकार है कि वह लें। देव ओरण भूमि को बचाने का हम सभी माननीय सदस्यों का धर्म है। आप नरेगा के माध्यम से भी बाउंड्री वाल बनवाकर उसको सुरक्षित कर सकते हैं।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मेरा पाइंटेड प्रश्न था कि कोई एफआईआर दर्ज की, किसी के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, एक भी शिकायत नहीं मिली है। गोचर वन ओरण भूमि में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, न एक भी शिकायत मिली है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब आ जाने दीजिए, प्लीज बैठिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इसी में शामिल कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता का उत्तर आने दीजिए, प्लीज। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मूल प्रश्नकर्ता।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, पटवारी पेनल्टी काटता है इससे ज्यादा प्रमाणित क्या चीज होगी? ओरण गोचर भूमि और गोचर भूमि में जिन्होंने कब्जा कर रखा है और पेडों की कटाई करते हैं, खेती करते हैं और हर साल पटवारी उनकी पेनल्टी काटता हो इससे ज्यादा प्रमाणित चीज सरकार के लिये और क्या होगी? फिर भी सरकार ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। मंत्री महोदय, एक बार अपने विभाग से इस तरह की जमीन दिखाओ। सारे पटवारी पेनल्टी काटते हैं और यह प्रमाणित चीज है। क्या आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? या उस भूमि से कब्जा हटवायेंगे?

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, आज से 15-20 दिन पहले...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय सदस्य, एक मिनट।

आज से 15-20 दिन पहले पंचायत समिति सांचोर की ग्राम पंचायत अरणाय में 50-50 साल पुराने दरखत गोचर भूमि से असामाजिक तत्वों ने जेसीबी से काट लिये। उसका मुकदमा पुलिस थाना करना में दर्ज किया गया। आज दिन तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और उस मुकदमे में एफआर दे दी । मेरा निवेदन है उसमें कार्यवाही करावें।

(समय : 12.00 बजे)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आज से तीन दिन पूर्व भरतपुर विधान सभा क्षेत्र की खेवड़ा ग्राम पंचायत में चराना

(श्री विजय बंसल)

भूमि में से पेड़ काटा गया और उसके तहसीलदार ने कार्यवाही नहीं की, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसका भी जवाब दें।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत के ...(व्यवधान) वहां पटवारी, सरपंच सारे लोग रहते हैं, रेवेन्यू के लोग भी हैं, पहली बार वन नीति में.... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): गोचर भूमि को बचाने का काम.... (व्यवधान) गोचर भूमि में इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मैं सदन को आश्वस्त करूंगा कि जहां-जहां पर भी ऐसा है, जैसा माननीय सदस्य ने अभी बताया... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्री महोदय पटवारी वहीं पर ही पर्ची काटते हैं, जहां पर अवैध कब्जा होता है। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): पहली बार वन नीति में देव ओरण भूमि को राज्य सरकार ने लिया है उनका संरक्षण करने के लिए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोतर के लिए आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री कैलाश चंद भंसाली एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान माध्यमिक बोर्ड के पाठ्यक्रम में कक्षा नवम् से बारहवीं तक एनसीईआरटी की तर्ज पर शिक्षा सत्र 2010-11 से नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने तथा पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन से उत्पन्न स्थितियों पर।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

2. श्रीमती अनिता सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर में वाहन एवं पशुओं की चोरियों में बढ़ोतरी होने एवं राहगीरों से वाहन छीन लिये जाने की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से नेशनल मेडिसनल प्लान्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा राज्य में औषधीय पौधों की खेती को सहायता राशि नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जोधपुर नगर में बढ़ रहे जघन्य अपराधों, चोरी, नकबजनी की वारदातों पर रोक लगाने हेतु त्वरित एवं ठोस कार्यवाही करने के संबंध में।

5. श्री बंशीधर खण्डेला एवं 14 अन्य सदस्यों की ओर से किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों (जीएसएस) द्वारा दिये गये अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में नहीं बदलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, सदस्य की ओर से जल संसाधन विभाग में अधिशासी से अधीक्षण अभियन्ताओं के पदों पर 2008 व 2009 की डीपीसी द्वारा पदोन्नत आरक्षित वर्ग के अभियन्ताओं का पदस्थापन करने के संबंध में।

7. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से जिला सीकर में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

8. श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से ब्यावर क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान करने एवं श्री सीमेन्ट द्वारा किये जा रहे जल दोहन को रोके जाने के संबंध में।

9. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में निरन्तर बढ़ोतरी से गत वर्ष 8000 से ज्यादा मौतें होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर में रेल्वे फाटक के ऊपर अधूरे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने के संबंध में।

11. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ती अवैध शराब की तस्करी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित

(श्री अध्यक्ष)

कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री शंकर सिंह रावत, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री ज्ञानचन्द पारख एवं श्री हनुमान बेनीवाल को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. डा. विश्वनाथ मेघवाल, सदस्य की ओर से अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण निगम लि. बीकानेर वृत कार्यालय द्वारा नकली छापामार कार्यवाही कर काश्तकारों के कनेक्शन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2. श्री गोपाल मीणा, सदस्य की ओर से राज्य में 1.1.04 के पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मियों की मेडिक्लेम पालिसी में संशोधन करने एवं अनुमोदित निजी एवं ट्रस्ट संचालित चिकित्सालयों के चिकित्सकों द्वारा जारी रोग प्रमाण पत्रों को मान्य किये जाने के संबंध में।
3. श्री कल्याण सिंह, सदस्य की ओर से वेदान्ता समूह की हिन्द जिन्क की दरीबा, सिन्देसर की खदानों एवं दरीबा स्मेल्टर व पावर प्लान्ट सहित विस्तारीकरण की योजना में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के संबंध में।
4. श्रीमती ममता भूपेश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिकराय के ग्राम पीलोडी के विद्यालय की चारदीवारी जयपुर-आगरा फोर लेन निर्मात्री आईजेएम कम्पनी द्वारा तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
5. श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था का त्वरित समाधान कर आम जनता को राहत प्रदान करने के संबंध में।
6. श्री मंगलाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के किसानों का बिना नोटिस दिये एवं जांच किये विद्युत भार बढ़ा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
7. डा. दिगम्बर सिंह, सदस्य की ओर से भरतपुर शहर की सुजान गंगा नहर में वर्षों से गन्दा पानी भरा होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

8. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र देवगढ़ के डिप्टी सीएमएचओ कार्यालय को नये भवन में यथावत रखने के संबंध में।

9. श्रीमती कमसा मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के उप खण्ड क्षेत्र भोपालगढ़ का दायरा कम किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के ग्राम वारिसपुर के पहाड़ पर स्थित बाबा लालदास मंदिर जाने वाली रोड को सीसी रोड़ बनवाने के संबंध में।

11. श्री शाले मोहम्मद, सदस्य की ओर से जैसलमेर जिले की कृषि मंडियों में मूलभूत सुविधाओं का विकास करने के संबंध में।

12. श्री अर्जुन लाल गर्ग, सदस्य की ओर से बिलाड़ा के स्थानान्तरित थाने का पुन: बिलाड़ा शहर में पूर्व के भवन में स्थानान्तरित करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(परिस्थितिवश माननीय सदस्यों द्वारा न पढ़ सकने के कारण प्रक्रिया के नियम 294 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री शंकर सिंह रावत।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

ब्यावर क्षेत्र में पेयजल की समस्या एवं श्री सीमेंट द्वारा अत्यधिक भूजल दोहन

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में पानी की भयंकर समस्या है। भयंकर अकाल पड़ने से और बरसात नहीं होने की वजह से यह सब पूरे राजस्थान में है उसी प्रकार वहां पर भी है। सरकार के द्वारा 300 फीट के हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं। उन हैण्डपम्पस के अन्दर भी पानी कम पड़ रहा है, वह सूख गया है। उसके उपरान्त भी वहां चल रही श्री सीमेन्ट फैक्ट्री के द्वारा 1200 फिट के टयूबवैल, गहरे टयूबवैल खुदवाए गये हैं। जिसके कारण से 300 फीट के हैण्डपम्प भी पानी के सूखते जा रहे हैं, कुए तो वैसे भी सूख चुके हैं। मेरा आपके माध्यम

(श्री शंकर सिंह)

से, मंत्री महोदय से और सरकार से निवेदन है कि किसी भी सूरत में 1200 फीट गहरे टयूबवैल अगर वहां पर चालू हो गये तो निश्चित तौर पर 300 फीट के सारे हैण्डपम्प सूख जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि लोग वैसे भी खेती करना भूल चुके हैं, काश्तकारों का एरिया है, काश्तकार पानी के अभाव में खेती करना वैसे भी भूल चुका है, लेकिन तो भी इंसान को पीने का पानी पहले पूरा मिले और कल-कारखानों और फैक्ट्रियों को बाद में मिले, ऐसी मेरी मांग है।

मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, जलदाय मंत्री महोदय इस बात के लिए स्पष्ट करेंगे कि पहले जो पानी श्री सीमेन्ट को दिया जा रहा है उसके ऊपर निश्चित तौर पर रोक लगाई जाए। पूरे शहर से जल दोहन किया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। मैंने वहां पर कलक्टर अजमेर, ब्यावर तहसीलदार को, एसडीएम सब को मैंने बताया, मैंने कहा कि पहले इंसान को पीने का पानी मिलना चाहिए लेकिन वहां के अधिकारी उस फैक्ट्री के जाल में फंसे हुए हैं। यहां से भी कोई मंत्री आता है और चाहे सरकार का कोई नुमाइन्दा आता है श्री सीमेन्ट के गेस्ट हाउस के अन्दर रहने की सारी व्यवस्था वहीं है। वहां सारी सुख-सुविधा उपलब्ध हो जाती है। जनता चाहे प्यासी मर रही है लेकिन किसी भी सूरत में वह टैंकर बंद नहीं करवाया जा रहा। जलदोहन हो रहा है उसको नहीं रोका जा रहा।

(समय : 12.05 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार द्वारा इस बात का निश्चित तौर पर विश्वास दिलाया जाए, 1200 फीट के टयूबवैल पर तुरन्त रोक लगाई जाए ताकि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में हैण्डपम्प से लोग पानी पी सके। माननीय मंत्री महोदय इस बात के लिए स्पष्ट करेंगे कि पीने के पानी की व्यवस्था पहले चलाई जाए।

मैंने जितनी भी बात, वहां पर अमृत कौर अस्पताल की बात कही थी। मैंने कहा, वहां एक भी डाक्टर नहीं है और 16 डाक्टर्स की पोस्ट्स खाली हैं अभी भी। चार जिलों के मरीज वहां इलाज कराने के लिए आते हैं लेकिन कहीं पर भी एक भी डाक्टर अभी तक नहीं लगाया गया। वहां 100 की जगह 1000 मरीज रोजाना आते हैं। इतना बड़ा अस्पताल है। चार जिलों के मरीज वहां, एक्सीडेंट के, कई अन्य केस के एक हजार मरीजों का इलाज रोज वहां होता है लेकिन ऐसे अस्पताल के अन्दर आपकी सरकार आने के बाद में किसी भी

(श्री शंकर सिंह)

प्रकार की वहां डाक्टर की व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही, पीने के पानी की समस्या है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि इस बात का विश्वास दिलाए, अगर विश्वास नहीं दिलाया जाता है तो हमारा उस जगह से जीतकर आना दुभर है। मैं यह कह रहा हूं कि वहां की जनता ने उनके दुःख दर्द की आवाज यहां पहुंचाने के लिए हमें चुनकर भेजा है। अगर उनकी भावनाओं पर हम खरा नहीं उतरते हैं तो हमारा यहां पर सदस्य रहना ही बेकार है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज का आज इस बात का विश्वास दिलायें और आप विश्वास दिलाएं कि इस पानी के दोहन को सबसे पहले रोका जायेगा। आज पानी के अभाव में गौमाता के लिए पीने का पानी नहीं मिलता, इंसान का पानी तो बहुत दूर है।

एक दूसरी और मेरी मांग है कि गौमाता के लिए पूरे राजस्थान में नि:शुल्क चारा डिपो खोला जाए और इसकी घोषणा की जाए।

माननीय सभापति महोदय, इन बातों के ऊपर निश्चित रूप से सरकार का ध्यान जाना चाहिए। यहां पर कोई सवाल उठाया जाता है परन्तु उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती है। आज न्याय की दृष्टि से देखने के लिए सरकार से अपेक्षा की जाती है। ब्यावर राजस्थान की 11वें नम्बर की सिटी है लेकिन उसको भी जिला नहीं बनाया गया। तहसील के लिए गये वर्ष घोषणा की गई थी कि जवाजा पंचायत समिति का तहसील के लिए नाम दिया हुआ है लेकिन द्वेषता के अन्दर जवाजा पंचायत समिति को तहसील का दर्जा नहीं दिया गया। उसी के चलते ब्यावर को जिला का दर्जा नहीं दिया गया।

पीने के पानी की इतनी भंयकर समस्या है फिर भी यह सरकार नहीं सुन रही। बिल्कुल कान मूंदे बैठी है। मेरा निवेदन है कि आज मंत्री महोदय इस बात की घोषणा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं यहां पर धरने पर बैठूंगा। मैं इस बात को आपको कह रहा हूं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मैं इंटरवीन नहीं कर रहा लेकिन इनकी बात जायज है और मंत्रीजी भी शांत स्वभाव के हैं, समझते हैं।

श्री सभापति: आप तो विराजो, श्री राजेन्द्र राठौड़।

(श्री शंकर सिंह रावत, माननीय सदस्य, द्वारा सदन में धरना)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। खड़े होओ ना। मंत्रीजी खड़े हो गये, भई।

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य, विराजो। अपने वहां आसन पर तो पधारो आप। जवाब दे रहे हैं ना। जवाब दे रहे हैं, वहां तो पधारो आप।

(श्री शंकर सिंह रावत, माननीय सदस्य द्वारा धरना समाप्त)

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय विधायक...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप जवाब सुनो, माननीय सदस्य।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): जैसा कि आपको पता है पूरे राजस्थान के अन्दर पानी का संकट है और पिछले साल से इस साल करीब 83 कस्बे ऐसे हैं जिनका वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। ब्यावर भी एक शहर उसमें है। ब्यावर की आबादी एक-सवा लाख के आस-पास है और उनको अभी 12 एम.एल.डी. पानी उपलब्ध कराया जा रहा है और 72 घण्टे में इनको दिया जा रहा है। यहां पर दो ट्यूबवैल हैं और 50 हैण्डपम्प्स, लोकल सोर्सेज अभी वहां पर काम कर रहे हैं। मैसर्स श्री सीमेंट ब्यावर की अपनी डिमाण्ड 9 एम.एल. है और वह उसकी पूर्ति लोकल स्रोतों से जल परिवहन टैंकरों से कर रहा है। उसको रोकने की मांग ब्यावर के माननीय विधायक कर रहे हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि विभागीय किसी स्रोत से भी मैसर्स श्री सीमेंट को पानी नहीं दिया जा रहा है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, जलदाय विभाग से नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में हैण्डपम्प सूख रहे हैं। वहां पर आप पानी नहीं पिला रहे हो। 300 फीट के हैण्डपम्प हैं, वह भी सूखते जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जल दोहन हो रहा है, इसके ऊपर रोक लगाई जाये ताकि ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का समाधान हो। मैं तो यह चाह रहा हूं।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): ब्यावर ग्रामीण की दो लाख की जनसंख्या है और इसके अन्दर करीब 11 पी एण्ड टी स्कीम्स हैं, हैण्डपम्प्स हैं और जो आपके गांव हैं, वह 199 गांवों को आने वाले समय में बीसलपुर बांध से स्वीकृत कराने की ..(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): दो साल पहले स्वीकृत किये हुए हैं। माननीय

(श्री शंकर सिंह)

मंत्री महोदय, वही के वही गांव हैं और सैकण्ड फेज करते हुए दो साल निकल गये, अभी तक भी पानी की योजना मंजूर नहीं की है। ग्रामीण क्षेत्र में 35 पंचायतों के लिये आप कब चालू करेंगे?

श्री सभापति: विराजें आप। श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय मंत्री महोदय से यह जवाब तो दिलाओ आप। पानी की बात का स्थगन मैंने लगाया है। स्थगन ही इस प्रकार का लगाया है, जवाब दें मंत्री महोदय। (व्यवधान)

(श्री शंकर सिंह, माननीय सदस्य द्वारा सदन कूप में प्रवेश)

श्री सभापति: उप नेता महोदय, सचेतक महोदय। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या कर रहे हैं? जब डिमाण्ड के ऊपर मौका मिलेगा तो डिमाण्ड पर बोलना। मना कौन कर रहा है? यह क्या तरीका है? स्थगन लगाओ, बोलो उसके ऊपर। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप पधारो, विराजो। मंत्रीजी जवाब दे चुके हैं। आप विराजो।

एक माननीय सदस्य: तमाशा है क्या? जंचे जब ही आ जाओगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी जवाब दे चुके हैं, आप विराजें। आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मांग पर बोलो ना, कौन मना कर रहा है?

श्री सभापति: अभी खूब टाइम है, विराजें। खत्म कहां, अभी तो चुनकर भेजा है। अभी तो सवा साल ही नहीं हुआ, आप विराजें।

(श्री शंकर सिंह माननीय सदस्य, द्वारा अपनी मांग सदन पटल पर रख अपना नियत स्थान ग्रहण)

राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में अनवरत बढ़ोतरी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, 15 मार्च का दिन राजस्थान के लिये बड़ा दुखद दिन रहा। मोरेल नदी के पुल से एक शिक्षण संस्था की ट्यूर बस गिर गयी। 23 छात्र और 3 अन्य लोग काल-कलवित हो गये। कल सदन में भी उन सभी को हमने श्रद्धांजलि दी है। सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर संवेदनशीलता की चर्चा बहुत हुई। इसी सदन के अन्दर जब जोधपुर के अन्दर मेहरानगढ़ की दुखान्तिका हुई थी, तत्कालीन मुख्य

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्री महोदय के चार घण्टे विलम्ब से पहुंचने की बात भी हुई, रामदेवरा की बस दुर्घटना में विलम्ब से पहुंचने की बात हुई। परन्तु मुझे खेद है कि इस राजस्थान के मुखिया, इस राजस्थान के संरक्षक, इस राजस्थान के पिता, हमारे मुख्य मंत्री ने इस वर्ष की सबसे बड़ी दुखान्तिका के समय एक बार भी जाकर घटना स्थल का दौरा नहीं किया, ना उन लोगों से मिले।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): सवाल यह नहीं है सदन को मिस-लीड किया जा रहा है। हमारी गोलमा देवी, राज्य मंत्री, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहां गयी थीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप विराजें। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी बजट के अन्दर पैरा संख्या 181 में सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जान गंवाने और घायलों के बारे में बड़ी चर्चा हुई। पिछले एक वर्ष की जब सड़क दुर्घटनाओं की तस्वीर देखते हैं तो मन कांप उठता है। एक वर्ष में 23 हजार घटनाएं राजस्थान में हुई। 8,338 लोग काल-कलवित हुए। सभापति महोदय, प्रति माह 700 मौतें हो रही हैं और प्रतिदिन 23 मौतें हो रही हैं।

चाहे हम रोड्स सेफ्टी कौंसिल की बात कहें, अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक की बात कहें, सभापति महोदय, इस दुर्घटना सहित इन सड़क दुर्घटनाओं में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो वह जुगाड़ वाहन का है। इस जुगाड़ वाहन पर ना इंडीकेटर है, ना रिफ्लेक्टर है, ना व्हील बैलेसिंग है, ना कोई नियमित आकार है। पानी खींचने वाली एक मोटर लगा लेते हैं। यहां तक कि इसका मोटर व्हीकल एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। आटो मोबाइल एसोसिएशन आफ इण्डिया ने जुगाड़ के प्रोटोटाइप को भी अप्रूव नहीं किया। ऐसे मामले के अन्दर, सभापति महोदय, मई, 2009 के अन्दर राजस्थान का उच्च न्यायालय एक निर्णय देता है और राजस्थान की सरकार को यह कहता है कि राजस्थान की सरकार अभियान चलाकर इन वाहनों के चारों ओर रेडियम रिफ्लेक्टर और स्ट्रिप्स लगाये। सभापति महोदय, अभी हाल ही में उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि जुगाड़ रोकने की स्पष्ट कार्य योजना चार सप्ताह में बनाकर सरकार प्रस्तुत करे।

यह बात मैं सदन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह दुर्घटनाएं जयपुर-आगरा रोड पर बढ़ गयीं जहां जुगाड़ हजारों की संख्या में चलने लग गये। इसके पीछे मुख्य कारण रहा कि राज्य के यातायात मंत्री 6 अगस्त को दौसा में एक कार्यक्रम में जाते हैं। दौसा जिले के कई माननीय सदस्य भी उस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। कार्यक्रम में जब जाते हैं उससे पहले उनसे एक शिष्टमण्डल मिलता है, उनको माला पहनाता है। मैं यह नहीं कहता कि मायावती जी को जैसी माला पहनाई, वैसी पहनाई, पर माला पहनाई। यातायात मंत्रीजी सदन में आ गये उसके लिये धन्यवाद। यातायात मंत्रीजी घोषणा करके आते हैं जो दूसरे दिन राजस्थान के सारे अखबारों में शया होती है कि जुगाड़ का होगा पंजीकरण। जब यातायात मंत्रीजी यह कह दें कि जुगाड़ का पंजीकरण होगा जिसके लिये राजस्थान उच्च न्यायालय इनको निर्देश देता है कि इसमें चार सप्ताह में कार्यकारी योजना बनाओ। सभापति महोदय, यातायात मंत्रीजी के मुख से निकली हुई बात के आधार पर दनादन जुगाड़ दौड़ने-चलने लग जाते हैं और उसी के कारण, उसी जुगाड़ के कारण यह दुर्घटना हुई। हमारे वह 26 नौनिहाल लोग शिक्षक और शिक्षिका के रूप में राजस्थान के बच्चों को पढ़ाते, वह काल-कलवित हो गये।

मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से। मोटर व्हीकल्स एक्ट, जो पूरे हिन्दुस्तान का मोटर व्हीकल्स एक्ट है, उसमें प्रावधान नहीं जुगाड़ के रजिस्ट्रेशन करने का। मंत्री महोदय, आपने रामकरण जोशी विद्यालय में जाकर यह स्टेटमेंट किस आधार पर दिया कि राजस्थान में जुगाड़ का पंजीकरण होगा? उसके कारण जो दुर्घटना हुई, उसका दोष आपके माथे पर है, क्योंकि आपने गैर-जिम्मेदाराना तरीके से इस तरह का बयान देकर जुगाड़ वाहनों का, जिसका मोटर व्हीकल एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं, उसको प्रोत्साहित करने का काम किया।

इसलिये मैं चाहूंगा यातायात मंत्रीजी, अगर आपने यह नहीं कहा तो आपको स्पष्टता से कहना चाहिये और आपकी क्या योजना है, इसके बारे में आपको बताना चाहिये। मुझे उम्मीद है, क्योंकि यह जुडा हुआ है राजस्थान की उस सबसे बड़ी दुर्घटना के साथ, जिसमें आपके मुख्य मंत्रीजी और आपके होते हुए भी वहां नहीं गये, इसलिये मैं चाहूंगा कि इस बारे में यातायात मंत्रीजी अपनी बात कहें।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, सभापति महोदय, मैं यह मानूंगा कि जो मैंने सदन में कहा है कि यातायात मंत्रीजी ने रामकरण जोशी विद्यालय में जाकर एक माला पहनकर जुगाड़ के पंजीकरण की बात कही, यह सत्य है। अगर यह सत्य नहीं तो राज्य के यातायात मंत्री सामने बैठे हैं, ये खड़े होकर यह कहें कि जुगाड़ को रोकने के लिये यह क्या व्यवस्था कर रहे हैं? वरना यह माना जायेगा कि यह बात सत्य है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जुगाड़ के संबंध में माननीय हाई कोर्ट का निर्देश है और उस निर्देश की पालना हेतु चार सप्ताह का टाइम दिया है। हम उस पर कार्य योजना बना रहे हैं और उस कार्य योजना को हम हाई कोर्ट में पेश कर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने यह बयान क्यों दिया कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। यह राजस्थान के सारे समाचार पत्रों में हैं, मैं टेबल करने को तैयार हूं। इससे ज्यादा गैर-जिम्मेदाराना बयान राजस्थान के यातायात मंत्री का हो नहीं सकता।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय सभापति महोदय, चूंकि हाई कोर्ट के निर्देश हैं, मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहना चाहता। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): जरूरत पड़ी तो हम कानून बदल कर करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मोटर व्हीकल्स एक्ट आप ही बदल दोगे?

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): कानून बदल कर करेंगे, ऐसे थोड़े ही होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मोटर व्हीकल्स एक्ट आप ही बदल देंगे?

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): आपसे कम समझदार नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, आप मोटर व्हीकल्स एक्ट बदल देंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, जो मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1956 को बदल देंगे आप? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): आपसे कम समझदार नहीं हैं। कानून बदल कर, किसानों के हितों की ...(व्यवधान) आप किसानों के खिलाफ बोल रहे हो। एक जुगाड़ में किसान, माननीय सभापति महोदय, शहर में आता है, जाता है तो कम खर्चे पर आता है, जाता है। यह किसान विरोधी लोग हैं। आप कृपा करके इनकी बात पर ध्यान नहीं दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी जवाब दे चुके हैं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): नहीं, पर वह करें। जरूरत पड़ी तो हम कानून बदलेंगे। किसानों के हक में हम कानून बदल देंगे। हाई कोर्ट के क्या ...(व्यवधान) हम कानून बदल देंगे। चिन्ता क्यों करते हो?

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी जवाब दे चुके हैं, विराजिये तो सही आप। माननीय सदस्य, विराजिये। श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली शहर में अधूरा निर्मित रेलवे ओवर-ब्रिज

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, यह जरूरी नहीं कि सदन में विधायक कोई मांग करें और उस हर मांग की स्वीकृति राजस्थान सरकार दे दे। जितने वित्तीय संसाधन होते हैं उसमें मैरिट के अनुसार काम स्वीकृत होते हैं। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन जो काम एक बार स्वीकृत हो गया और स्वीकृत होने के बाद में चालू हो गया, उस पर जनता का पैसा खर्च हो गया और बाद में यह कह कर रोक देना कि इसकी लागत बढ़ गयी, शेष राशि की व्यवस्था होगी तो वापस चालू कर देंगे, सरकार का यह तरीका बिलकुल ठीक नहीं है। पाली शहर में ऐसा ही हुआ। जो पाली की सबसे बड़ी समस्या ओवर-ब्रिज की है उसको बीच में बंद कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, पाली शहर के बीच में से रेलवे ट्रैक गुजरता है। एक तिहाई आबादी एक तरफ और दूसरी तरफ दो तिहाई आबादी। हजारों लोगों का एक दूसरी तरफ रोज आना जाना और उस ट्रैक पर से रोज 20 यात्री गाड़ियां और चार-पांच मालगाड़ियां गुजरती हैं। 24 घंटों में से लगभग 6 घंटे यह ट्रैक बिजी होने के कारण इसका फाटक बंद रहता है और ऐसे में जनता को जो असुविधा होती है, उसको झेलना बहुत भारी पड़ता है। रेलवे ट्रैक के उस पार इण्डस्ट्रियल एरिया भी है। टैक्सटाइल का भी है, ग्रेनाइट का भी है। कई गांवों का रास्ता भी इधर से गुजरता है और कई बार तो ऐसा होता है कि दूल्हा फाटक पर अटक जाता है। बारात लेकर आता है न, फाटक बंद दूल्हा वहां ही अटक जाता है। आधा घंटे फाटक खुलने का इन्तजार करो। कई शवयात्राएं भी इस फाटक पर अटक जाती हैं। शवयात्रा लेकर निकलते हैं, फाटक बंद मिलता है, फाटक के एक तरफ खड़े रहो, श्मशान दूसरी तरफ। इतना ही नहीं, कई गम्भीर मरीज भी जिनको तत्काल इलाज की आवश्यकता थी, अगर ओवर-ब्रिज होता तो शायद समय पर उनको चिकित्सा सुविधा मिल जाती लेकिन इस बंद फाटक की वजह से कई मरीजों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा।

माननीय सभापति महोदय, इस ओवर-ब्रिज के लिए पाली शहर की

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जनता ने कई आन्दोलन किये, कई प्रदर्शन किये, धरने दिये लेकिन सरकार पर ज्यादा असर नहीं हुआ। जब समस्या इतनी गम्भीर हो गयी तो पाली के समाचार पत्रों ने भी अपनी ओर से यह मुहिम चलायी कि सरकार तक यह बात पहुंचानी चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने लगातार दो-तीन महीने तक फाटक के कारण हो रही असुविधा का समाचार प्रति दिन अख़बार में दिया। दैनिक भास्कर, वह भी पीछे नहीं रहा। लेकिन सरकार टालती रही। दु:खी जनता न्यायालय में गयी और न्यायालय ने सारी स्थिति को देखकर यह फैसला दिया कि यहां ओवर-ब्रिज बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। राज्य सरकार अपने खर्चे से ओवर-ब्रिज का निर्माण करवाये पर तत्कालीन राज्य सरकार ने न्यायालय के आदेशों की भी परवाह नहीं की।

बाद में जब शासन बदला और माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ सार्वजनिक निर्माण मंत्री बने तो हमने इस समस्या को उनके सामने रखा। माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ को धन्यवाद दूंगा मैं कि उन्होंने इसकी गम्भीरता को देखते हुए जयपुर में एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलायी जिसमें वे मौजूद थे, उनके विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद थे। हमारे पाली के सांसद, नगर परिषद के सभापति, सारे मौजूद। उसमें डिस्कस किया कि यह फाटक, इसके ऊपर ओवर-ब्रिज कैसे बन सके। बाद में उस मीटिंग में यह तय हुआ कि इस ओवर-ब्रिज की अनुमानित लागत जो है वह 1200 लाख रुपये है, उसमें से 660 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार अपने मद में से देगी। राज्य सरकार ने वह राशि दे दी। सभापति, नगर परिषद भी उस बैठक में मौजूद थे। 432 लाख की राशि देने की स्वीकृति उन्होंने उस मीटिंग में दी। सांसद और विधायक के प्रति भी 50-50 लाख रुपये देने का प्रावधान उस बैठक में तय किया गया। सहमति पत्र बना और बैठक में जितने भी लोग मौजूद थे, सबने उस सहमति पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिये। पाली की जनता बहुत खुश हुई कि अब तो ओवर-ब्रिज बहुत जल्दी बनने वाला है, हमको समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। काफी दिनों तक खुशी रही भी क्योंकि सरकार ने 19.10.2008 को ओवर-ब्रिज का निर्माण कार्य चालू कर दिया। काम चालू हो गया 19.10.2008 को और जब कार्य प्रारम्भ हुआ तो इसको समाप्त करने की तिथि भी तय कर दी कि एक साल में इस कार्य को पूरा कर दिया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने अपनी राशि दे दी। सांसद ने भी अपने हिस्से के 50 लाख जमा करवा दिये और विधायक के नाते मैंने भी जिला परिषद को अनुशंसा भेज दी कि मेरे कोष से 50 लाख रुपये ट्रांसफर

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

कर दिये जाएं। 25 लाख की राशि ट्रांसफर हो गयी। 25 लाख रुपये राज्य सरकार की स्वीकृति के कारण अभी पेंडिंग पड़े हैं लेकिन मेरी ओर से लिखा हुआ है । नगर परिषद् पाली ने जो मीटिंग में हिस्सा राशि तय हुई थी 432 लाख रुपये उसमें से मात्र 71.18 लाख रुपये ही जमा करवाये। चीफ इंजीनियर, पी.डबल्यू.डी. ने नगर परिषद को अनेकों बार पत्र लिखे कि काम चालू हो गया, राशि की जरुरत पड़ेगी। परिषद् राशि देने में टालमटोल करती रही और उसके कारण काम धीमी गति से चला। काम धीमी गति से चला तो उसकी लागत बढ़ गई।

इधर केन्द्र और राज्य सरकार की जो महंगाई की नीति है उसके कारण जो भाव बढ़े सीमेण्ट के, स्टील के, बजरी के और जो निर्माण सामग्री वाले कामों में दाम बढ़े, उससे भी इसकी लागत काफी बढ़ गई। तो फिर सड़क निगम ने यह काम बीच में ही अधूरा छोड़ दिया।

जिस काम पर जनता का 27 लाख रुपया अब तक खर्च हो चुका है, उस काम को बीच में छोड़ दिया जाना जनहित में बिलकुल ठीक नहीं है, गलत संदेश जाएगा। माननीय सभापति महोदय, अगर लागत बढ़ गई तो राज्य सरकार तय करे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो-दो मिनट का समय था, बहुत लम्बा हो गया।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): दो मिनट की बात है। दो मिनट की बात और है। दो मिनट की बात और है।

श्री सभापति: 10 मिनट तो करीब हो गये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अगर मान लो लागत बढ़ गई तो राज्य सरकार वापस बैठक बुलाये और पहले के अनुपात में जो राशि देनी तय हुई थी उसी अनुपात में अधिक राशि देने की बात वहां वह तय करे ताकि यह काम वापस चालू हो सके। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार चाहे तो नगर परिषद् के हिस्से की राशि सीधे भी जमा करवा सकती है निगम में। चुंगी की एवज में राज्य सरकार बहुत बड़ी राशि प्रति माह नगर परिषदों को देती है। एम.ओ.यू. पर दस्तख्त होने के बाद में यदि नगर परिषद् इन्कार कर दे तो राज्य सरकार उस राशि को सीधा पी.डबल्यू.डी. के खाते में ट्रांसफर करवा सकती है, यह उसको अधिकार है।

श्री सभापति: अब समाप्त करें आप।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मेरा पी.डबल्यू.डी. मंत्रीजी से भी आग्रह है कि यह आपके विभाग का काम जो अधूरा पड़ा है, बीच में बंद हो गया, नया काम मैं आपसे मंजूर नहीं करवा रहा हूं, जो काम चालू था और बीच में बंद हो गया, जिस प्रकार पूर्व मंत्री ने गम्भीरता से लेकर इस काम की स्वीकृति देकर इस काम को चालू करवाया था, उसी गम्भीरता से यदि आप लेंगे तो यह काम वापस चालू हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, इस फाटक पर कई बार कई मंत्री अटके हैं, मुख्य मंत्रीजी भी दो-तीन बार अटके हैं वहां पर। यह फाटक इतनी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से आग्रह है कि परिषद् ने जो हिस्सा राशि देनी तय की थी..

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश देकर उनको बाध्य करें कि वह हिस्सा राशि पी.डबल्यू.डी. के खाते में जमा कराये और इस काम को चालू करने में उनकी जो भूमिका थी उसका निर्वहन करें। माननीय सभापति महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल।

सूचना

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कालाडेरा के शिक्षकों का धरना

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): सभापति महोदय, आपको एक सूचना देना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि चौमूं विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कालाडेरा में आर.एल. सहरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित है जिसको सरकार 90 प्रतिशत अनुदान देती है, वहां 9 माह से वेतन नहीं मिला है जिसके कारण शिक्षक 6 दिन से धरने पर बैठे हैं। लगभग 800 छात्र रोजाना सुबह स्कूल आते हैं, 2-3 घण्टे रुककर अध्यापकों को धरने पर बैठा देखकर वापस चले जाते हैं। बोर्ड की परीक्षाएं चालू हो रही हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है शिक्षण व्यवस्था में।

मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां सरकारी अधिकारी भेजकर धरने को तुड़वाएं और शिक्षा मंत्रीजी उनका भुगतान करायें। राज्य सरकार ने अनुदान दे भी दिया। इसके बावजूद जो मैनेजमेंट कमेटी है, वह भुगतान नहीं

(श्री भगवान सहाय सैनी)

कर रही है, तनख्वाह नहीं दे रही है। 9 महीने से वेतन नहीं मिला है, यह मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

प्रदेश में शराब तस्करी

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैं आज स्थगन के प्रस्ताव से राजस्थान सरकार का ध्यान प्रदेश में बढ़ रही शराब तस्करी की ओर दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय, गांधीजी को आदर्श मानकर, राजस्थान की विधान सभा में शराब संस्कृति के खिलाफ बोल-बोलकर, राजस्थान की जनता को गुमराह करके वोट लिये और सरकार में आते ही शराब संस्कृति को सबसे ज्यादा अगर बढ़ावा दिया है तो मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत की सरकार ने दिया है। उन शराब ठेकेदारों के 55 करोड़ रुपये माफ कर दिये जिन शराब ठेकेदारों के गुण्डे और रेड पार्टी के लोगों ने प्रदेश में कई जगह हत्याएं कीं और वह मुकदमें राजस्थान के न्यायालयों में विचाराधीन हैं। मुझे तो इतनी सूचना भी है कि इन 55 करोड़ रुपये, जो माफ किये थे +++ माफ करने के नाम पर। आपने शराब संस्कृति को बंद करने के लिये प्रदेश में दुकानों का समय 8 बजे तक कर दिया लेकिन 8 बजे बाद जब आपके ही आबकारी निदेशक ने जयपुर शहर का दौरा किया तो शराब की कई दुकानें खुली मिलीं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, संसदीय कार्य मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह देखिये, यह पर्ची के माध्यम से या किसी भी और दूसरे माध्यम से यह आरोप लगाना कि +++ यह इस तरीके से बिलकुल परम्परा के विरुद्ध है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसकी सी.बी.आई. जांच की करा लो आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसको एक्सपंज किया जाए और इनको चेतावनी दी जाए कि ...(व्यवधान) सुधार करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) इसकी सी.बी.आई. जांच करा लो आप। (व्यवधान) पता लग जाएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अगर इस तरह का वह करेंगे, तो चाहे जिसके खिलाफ आरोप लगते रहेंगे यहां पर। इनके खिलाफ भी आरोप लग जाएंगे फिर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप इसकी सी.बी.आई. जांच करा लीजिये, गृह मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जांच कराने के लिये आप लिख करके दीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो जिसके खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं उनको नोटिस दीजिए आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नोटिस देकर भी आ जाएंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दे दीजिए। नोटिस दे दीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज थोड़ी देंगे। अब देंगे, अगली बार।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, तो देकर दिखाइये नोटिस आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पहले नोटिस दिया परिवहन विभाग का। कर लिया क्या आपने? परिवहन विभाग की जांच का क्या हुआ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप नोटिस देकर दिखाइये। (व्यवधान) इस तरीके से असत्य आरोप लगाकर करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): परिवहन विभाग की जांच का क्या हुआ? जो मैंने टेबल किया था, परिवहन विभाग का?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह रोज की प्रेक्ट्रिस हो गई है इनकी। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उसका जवाब दे दीजिए आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इस तरह के आरोप लगाएंगे तो व्यवधान होगा। सत्यता से परे कोई बात आप कहेंगे तो वह उचित नहीं होगा इस सदन में। इसलिये यह शब्द जो आपने प्रयोग किये हैं, मैं उनको एक्सपंज करता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): शराब माफियाओं के हमले इतने बढ़ गये हैं, राज्य की कानून व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह अंकित नहीं होगा, साहब।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, एक्सपंज कर दिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्राइम ब्यूरो के रिकार्ड के अनुसार राज्य में अपराधों में 18.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसमें सबसे प्रमुख कारण इन शराब माफियाओं, अवैध शराब तस्करी और शराब को लेकर प्रदेश में गैंगवार जो हुए हैं, सीकर, झुंझुनूं, चूरू, भरतपुर, अलवर और नागौर के अन्दर कई बार ऐसे गैंगवार हुए जिसके अन्दर प्रदेश में जातियां लड़ने के लिये आमने सामने हो गई। इससे बड़ा खौफनाक मंजर राजस्थान के अन्दर हो नहीं सकता है।

सभापति महोदय, मैं एक घटना आपको याद दिलाना चाहता हूं। गृह मंत्रीजी ने अभी खड़े होकर जोर-जोर से मुझे डराने की कोशिश की थी। मैं डरता नहीं हूं गृह मंत्रीजी, आपसे। चुनाव मेरी ताकत से जीत कर आया हूं। आपकी मेहरबानी से चुनाव नहीं जीता हूं या राजस्थान सरकार ने चुनाव नहीं जिताया मुझे। 26 हजार वोटों से चुनाव जीतकर राजस्थान की विधान सभा में आया हूं। आपके नीमकाथाना के डीवाई.एस.पी....

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप इस बात की, यह चेतावनी मुझे भी मत दो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब आप वह कराइये। (व्यवधान) सुनते रहिये आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, यह चेतावनी, हां, ऐसी चेतावनी सुनने का आदी मैं भी नहीं हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो हम भी नहीं हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह भी मानकर चलिये। हां, बराबर जवाब दिया जाएगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक सैकण्ड, गृह मंत्रीजी, आप विराजें, मुझे बोलने दें एक बार। मैं बोल रहा हूं इसके अन्दर। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप इस होश में मत रहिये कि जो मर्जी आये वह बोल लोगे। (व्यवधान) इस तरीके की भाषा सुनने के आदी हम नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप कैसे बोल रहे हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। मंत्री महोदय, आप तो विराजो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, नहीं हैं, इस तरह की भाषा सुनने के आदी। आप कुछ भी कर लीजिये।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी, विराजें आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: विषय पर बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय, विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): धमकी देने की जरुरत नहीं है। (व्यवधान)

(श्री हनुमान बेनीवाल, माननीय सदस्य, द्वारा सदन-कूप में प्रवेश)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): काहे की कोशिश कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं आप? बकवास कर रहे हैं। यह कोई तरीका है? यह कोई तरीका है? दादागिरी करता है। (व्यवधान) दादागिरी करता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दो मिनट में ठीक कर दूंगा साले को। (व्यवधान) बात करता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। उप नेता महोदय, सचेतक महोदय, आप संभालें इनको। अंकित नहीं करें। ...(व्यवधान)... अंकित नहीं करें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): ×××

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य। आप विराजें तो सही।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): ×××

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): ×××

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। बैठो-बैठो।

(सदन में भारी शोर-शराबा एवं सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) आप विराजें तो सही, माननीय सदस्य।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): ×××

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): ×××

श्री सभापति: मंत्रीजी, एक मिनट सुनें। माननीय उप नेता महोदय। आप एक मिनट शांति रखिए।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): ×××

श्री सभापति: मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सदन सुचारू रूप से चले। जिस तरह से सदस्य बात करते हैं उससे उत्तेजना फैलना वाजिब है, सदन में अवरोध होता है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप माननीय सदस्यों को बैठायें और आप इसके अन्दर कुछ बोलें। (व्यवधान) उप नेता महोदय को मैंने कहा है। उप नेता महोदय, जो स्थिति पैदा हुई है उस पर आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सभापति: मैंने उनको निवेदन किया है। एक मिनट विराजिए, माननीय सदस्य।

(सत्तापक्ष की तरफ से सदन में नारेबाजी)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्य विराजें। सचेतक महोदय, आप इनको बैठायें। सभी सदस्य विराजिए। सदन के अन्दर आज जो स्थिति पैदा

(श्री सभापति)

हुई है, उसके बारे में आप कुछ कहें, उप नेता महोदय। (व्यवधान) आप विराजें तो सही। इनके बोलने के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तो मैं व्यवस्था दूंगा। आप चिन्ता नहीं करें। आप विराजें तो सही।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। उप नेता महोदय बोल रहे हैं। उनको आप सुनें तो सही। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): × × ×

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो तो सही। उप नेता महोदय बोल रहे हैं। आप विराजो तो सही।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। आप तो विराजो। एक मिनट, आप बैठो, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: इसी बात पर बोलेंगे। (व्यवधान) जो स्थिति पैदा हुई है, इसी के बारे में बोलने के लिए माननीय उप नेता महोदय को कहा है ... (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): ×××

श्री सभापति: आप अपने आसन पर तो पधारें। (व्यवधान) आसन पांवों पर है, माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान) मेरा अनुरोध स्वीकार करो, विराजो आप।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): ×××

श्री सभापति: आसन का निर्देश है, विराजिये आप। आप विराजिये। (व्यवधान) नहीं, इस तरह से नहीं, नहीं इस तरह से नहीं, आप आसन पर पधारिये। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन व्यवस्थित होगा तब बोलूंगा। नहीं तो नहीं बोलूंगा मैं। इस बारे में जब सदन व्यवस्था में आ जाए तो बोलूंगा जो घटना हुई उसके बारे में। पहले सदन व्यवस्था में आ जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। आप आसन पर विराज तो जाओ न। (व्यवधान) आप विराजो तो सही। आप तो विराजो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): ×××

श्री सभापति: आप अपने आसन पर पधारिये, माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री सभापति: रघुजी, माननीय सदस्य, विराजो। सचेतक महोदय, सभी को अपने-अपने आसन पर बैठाएं। आप पधारिये, अपने आसन पर विराजिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री सभापति: डाक्टर साहब, आप तो विराजो। माननीय सदस्य, आप पधारो। माननीय सचेतक महोदय ...(व्यवधान) आप पधारो। विराजो तो सही आप। उप नेता कुछ बोल रहे हैं। इसी के बारे में बोल रहे हैं जो स्थितियां पैदा हुईं। आप विराजो तो सही। आप विराजो तो सही दो मिनट।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: रघुजी, विराजो, आप विराजो तो सही।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सभापति: माननीय राठौड़ साहब, विराजिये। आप विराजो। आप विराजो, विराजो। (व्यवधान) विराज जाओ, आप सब विराज जाओ। माननीय सदस्य, विराजिये। एक मिनट विराज जाइये सब।

उप नेता महोदय, यह सदन चलाने की जिम्मेदारी जितनी आपकी है उतनी ही आपकी है। जब कभी भी किसी भी वरिष्ठ, या तो उम्र में हो चाहे वो अनुभव में हो, किसी के अन्दर हो, उसके ऊपर ऐसी कोई हल्की टिप्पणियां की जाती हैं तब व्यवधान पैदा होता है। उसमें मेरा निवेदन है, मैं, सचेतक महोदय, आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा और मैं आपसे भी करना चाहूंगा, सचेतक महोदय, और कटारिया साहब, आपका भी सहयोग चाहूंगा कि आप माननीय सदस्यों को नियंत्रित करें। ऐसे आरोप, जिनकी कोई बुनियाद नहीं हो, उनको आप लगाओगे तो प्रतिक्रिया अवश्य होगी और उससे सदन के अन्दर जो हमारी कार्यवाही चल रही है उसके अन्दर लम्बा व्यवधान पैदा होगा। स्थगित होगी, वापस आयेगा, आप सभी माननीय सदस्य वापस पधारेंगे सदन में, फिर व्यवधान पैदा होगा, सदन नहीं चल पायेगा।

इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे कि आपको मालूम है, आपको भी मालूम है कि कौन से ऐसे माननीय सदस्य हैं जिनकी ऐसी टीका-टिप्पणी होने से सदन में अवरोध पैदा होता है। आप मेहरबानी करके सदन में ऐसी व्यवस्था दें, आप भी दें और आप भी दें और बाद में जाकर के आप अपनी लाबी के अन्दर भी उन माननीय सदस्यों को अलग से समझाएं कि क्या नियम है, क्या प्रक्रियाएं हैं, किन शब्दों पर बोलना चाहिए, किन शब्दों पर नहीं बोलना चाहिए। वो व्यवस्थाएं आपको देनी होंगी।

इसलिए मैं, उप नेता महोदय, चाहता हूं कि आज जो स्थिति पैदा हुई उसके बारे में आप बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के सदन की अपनी कुछ परम्पराएं हैं। यहां हम एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। कई बार गर्मा-गर्मी भी होती है, वाद-विवाद भी होता है लेकिन वाद-विवाद को व्यक्तिगत रूप से लेना किसी भी प्रकार से उचित मैं नहीं मानता हूं, एक। और अकारण से वैल में आना भी, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय सभापति महोदय, आपने स्वयं ही व्यवस्था करके जो आरोप लगाये थे उनको एक्सपंज कर दिया था। वैसे भी पर्ची के माध्यम से सार्वजनिक रूप का कोई काम हो, सरकार विफल हुई हो इस प्रकार की बात कह सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से उस पर भ्रष्टाचार का आरोप सीधा लगाना, वह मैं समझता हूं कि उचित नहीं है और हम सब लोगों को हमारी मर्यादाओं के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष का भी दिल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, यह भी मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। कई बार उत्तेजना में इस प्रकार की बात हो जाती है तो आसन की व्यवस्था हम हमेशा शिरोधार्य करते हैं।

मैं आग्रह करूंगा कि हमारे माननीय सदस्य यहां तक आये, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो नहीं आयें और अपनी बात कहें लेकिन किसी पर बिना लांछन लगाए अपनी बात को सदन में कहें। सार्वजनिक चीज को ठीक करने के लिए कोई बात कहना चाहें तो वो कहें। हम हमारी मर्यादाओं का पालन करें, एक-दूसरे का सम्मान करें, उनकी वरिष्ठता का भी सम्मान करें। अगर यह नहीं करेंगे तो सदन की परम्परा और व्यवस्थाएं भंग होंगी।

इसलिए कल शाम को भी जो बात हुई थी उसमें भी मुझे अच्छी नहीं लगी, आज की बात जो ऐसी हुई है वो भी अच्छी नहीं लगी। हम सब को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और आपको कोई ठेस लगी हो तो, धारीवाल साहब, मुझे तकलीफ है। आपको ठेस लगी हो...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे तकलीफ है। आपको ठेस लगी हो तो मुझे तकलीफ है इस बात की। इसलिए मैं चाहता हूं ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपको तकलीफ तो है लेकिन आप सिर्फ शब्दों में तकलीफ जाहिर करके इस बात को समाप्त करना चाहें, यह भी कोई अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता हूं। आपसे यह उम्मीद करता हूं कि जब आप ही की पार्टी का कोई माननीय सदस्य इस तरीके की बात करे जो परम्पराओं के खिलाफ है, नियमों के खिलाफ है तो उसी वक्त आपको टोकना चाहिए था। आपने उस वक्त तो टोका नहीं, वो उठ कर के यहां तक आ गये और मुझे यहां तक आकर के चेतावनी देने लग गये कि तुम वैल में आकर मुझसे कुश्ती लड़ लो। एक तरह से यह हालत पैदा हो गयी। यह ऐसा कभी देखा नहीं। लेकिन आप अपनी सीट पर चुपचाप बैठे रहे,

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

आपने एतराज तक नहीं किया, इस बात की तकलीफ मुझे भी है। मुझे भी तकलीफ है इसकी।

श्री सभापति: मंत्रीजी, मंत्रीजी।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय उप नेता महोदय, मेरी भी बात सुन लीजिए।

परसों भी, तीन दिन पहले भी इन्हीं माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से जो विषय था, उससे हट कर, बिना किसी प्रूफ दिये, बिना कोई नोटिस दिये आरोप लगाये। वह इन माननीय सदस्य की एक आदत बन गयी है। तीन दिन पहले भी साढ़े तीन घंटे इन्हीं माननीय सदस्य की वजह से हाउस हैंग रहा और आज फिर यह माननीय सदस्य इस तरह के आरोप लगाते हैं। आप, उप नेता महोदय, आप उस पर कोई कार्यवाही नहीं करें, इसकी हमें तकलीफ है।

श्री सभापति: मंत्रीजी, मैं स्वयं देख रहा था, आप उनको रोक रहे थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रोक रहा था।

श्री सभापति: और बार-बार कह रहे थे ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): आज रोक रहे थे, उस दिन नहीं रोक रहे थे।

श्री सभापति: रोक रहे थे, रोक रहे थे, मंत्रीजी, मैं देख रहा था। मैंने स्वयं ने देखा, वे रोक रहे थे, रोक रहे थे। (व्यवधान) आप विराजिये। राठौड़ साहब, आप विराजिये।

श्री करणसिंह (छबड़ा): तीन बार व्यवधान किया है, एक बार नहीं किया है।

श्री सभापति: राठौड़ साहब, विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, माननीय शांती धारीवालजी ने देखा नहीं होगा, मैं उठ कर अपनी टेबल से वैल में गया हूं और हनुमानजी बेनीवाल साहब को मैंने कह कर अपनी सीट पर भेजा है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया। मैं इस बात को कभी पसंद नहीं करता कि कोई किसी को चुनौती दे, कोई किसी को चैलेंज दे। यह बात किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

जहां तक जो बात कही गयी है, माननीय सभापति महोदय, आलरेडी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसमें है कि कोई भी असंसदीय शब्द कहेगा तो अपन एक्सपंज करने के लिए नहीं भी कहेंगे तो भी आसन की परमानेंट व्यवस्था है, वे सब एक्सपंज हो जायेंगे, एक। दूसरा, अगर कोई लांछन लगाते हैं और एतराज करते हैं तो सभापति महोदय उसको एक्सपंज कर सकते हैं। आज उन्होंने एक्सपंज कर दिया था, जो हनुमानजी ने लगाये थे।

जहां तक माननीय बृजकिशोरजी कह रहे हैं, उस दिन भी मैंने यह खड़े होकर बात कही थी और आपने स्पष्टीकरण भी कराया था; धारीवाल साहब, आपने कहा था कि कलक्टर जांच करेगा। इसका मतलब, मंत्री बाहर हैं, तो मैंने कहा, हां, बाहर है। आपको ध्यान है न? आपने कहा था और मैंने इस बात को मान लिया था। इसलिए आपका यह कहना गलत नहीं है।

जहां तक माननीय सदस्यों के बोलने का अधिकार है, बोलने के अधिकार की हम कटौती नहीं कर सकते। वे बोलेंगे, पर्ची पर भी बोलेंगे, वे अपने स्थगन प्रस्ताव पर भी बोलेंगे लेकिन बोलते समय संयम का ध्यान रखें। सरकार के बारे में भी कोई बात कहनी हो तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार पर कोई आरोप लगाना होगा तो हम जरूर लगायेंगे, सरकार की विफलताओं के बारे में कहना होगा तो हम जरूर कहेंगे, एक। लेकिन धमकाने से न हम डरते न आपको डरने की जरूरत।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि सारी चर्चा के बाद में इस प्रसंग को समाप्त किया जाए और माननीय सदस्य अपनी बात कहें लेकिन बिना लांछन के कहें। आपको कोई तकलीफ हुई है तो मैंने बता ही दिया सारा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सरकार की आलोचना सुनने के लिए तो हम हमेशा आपका स्वागत करते हैं कि आप सरकार की आलोचना खूब करो ...(व्यवधान) ताकि हम हमारे वर्किंग में कुछ सुधार ला सकें लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जब आरोप लगाये जाते हैं और बगैर नोटिस के आरोप लगाये जाते हैं, आपने अपने इस वक्तव्य में एक शब्द उसके लिए नहीं कहा। इसकी तकलीफ भी हमें है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं, कहा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक शब्द नहीं कहा आपने। नियमों के विपरीत कोई भी माननीय सदस्य हर किसी के खिलाफ आरोप लगा देता है, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलना चाहते? (व्यवधान)

(समय : 13.00 बजे)

श्री सभापति: बोले हैं ना, बोले हैं। (व्यवधान) रिकार्ड में है, मंत्री जी, रिकार्ड में है। (व्यवधान) रिकार्ड में है। वह बोले हैं। विराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, इस विषय के बारे में इस सदन में एक बहुत बड़ी रूलिंग हुई है माननीय पूनम चन्द जी विश्नोई की और मैं उस रूलिंग से बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने कहा था कि सदन में किसी पर मानहानि कारक कोई चीज नहीं लगाएं। लेकिन उन्होंने साथ-साथ यह भी कहा था कि प्रवाह में जब किसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हों और सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र और सरकार के बारे में कोई इस प्रकार की बात आती हो जो सरकार की कमियों को उजागर करती हो तो बिना नोटिस के भी माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है। यह माननीय पूनम चन्द जी विश्नोई की इस सदन में बहुत बढ़िया, व्याख्यात्मक, बहुत बड़ी, मैं सोचता हूं कि आज तक इतनी बड़ी व्यवस्था उसमें हुई है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह व्यक्तिगत नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने बोल दिया ना।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यहां पर कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगाए जाते हैं। खाद्य मंत्री के खिलाफ लग गये, बृज किशोरजी के खिलाफ लग गये। इस तरीके से रोज की एक परिपाटी बनती जा रही है कि किसी न किसी प्रकार से असत्य आरोप लगाये जाते हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आप स्पेसिफिक लगाइये ...(व्यवधान) जब मैंने टेबल करने का कहा तो एक भी कागज उसमें नहीं था जिस पर आरोप लगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री जी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दुरू मियां के खिलाफ आरोप लगा दिये गये कि पांच सौ करोड़ रुपये का मिला दिया गया ...(व्यवधान) इस तरीके का आरोप सुनने के लिए यह ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बोल रहे हैं ना मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री रामकेश (संसदीय सचिव): माननीय सभापतिजी, पिछले एक साल से जब ...(व्यवधान) सदन स्टार्ट होता है पूरे दिन में दो चार दफा यह जरूर आता है। माननीय तिवाड़ी साहब, माननीय कटारियाजी, चूरू से आने वाले माननीय राठौड़ साहब यह नसीहत देते हैं ....

श्री सभापति: मैंने बोल दिया है उनको।

श्री रामकेश (संसदीय सचिव): यह नसीहत देते हैं और बार-बार सदन में नियम और परम्पराओं की बात करते हैं। मैं आज यह कहना चाहता हूं, हम लगातार एक साल से आपके नियम और परम्पराओं की बातों को सुनते आ रहे हैं। आज माननीय सदस्य का जो आचरण रहा वह तो मैं कहता हूं, उसको किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उनके खिलाफ जरूर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...(व्यवधान) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): इनकी भाषा बोलना, आज ऐसा प्रतीत होता है कि इनको मीडिया का नशा हो गया, अख़बार में नाम आए। (व्यवधान) टी वी पर नाम आए, चाहे कुछ भी भाषा बोलें ...(व्यवधान) शान से टी वी पर नाम आए। माननीय सदस्य बेनीवाल का अख़बार में नाम आए, चाहे भाषा का तरीका कुछ भी हो। यह सदन की गरिमा का सवाल है। आज इस तरह की भाषा बोलना, गलत भाषा बोलना हम भी नहीं चाहते ...(व्यवधान) बोलना सबको आता है लेकिन इस तरह का व्यवहार ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): लेकिन आज ऐसा प्रतीत होता है कि ...(व्यवधान) कंट्रोल नहीं है। इस तरह की हमेशा बातें करना, टी वी पर नाम देना, अख़बार में मेरा नाम आए, माननीय सदस्य, यह अख़बार और टी वी का नशा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) विराजें, विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी व्यवस्था बनाने के अन्दर आप सहयोग करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक मामले में आसन से व्यवस्था आ गयी। उप नेता महोदय ...(व्यवधान) उसके बाद काहे की डिबेट रह गयी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप सब विराजें। आप विराजो। मैं दे रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अब काहे की डिबेट, सभापति महोदय ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो, डाक्टर साहब। विराजिए, विराजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: डाक्टर साहब, आप विराजो। (व्यवधान) सदन को चलाने में सहयोग करो, विराजो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ...(व्यवधान) अगर सदस्य के खिलाफ कोई ऐसी कार्यवाही की गयी तो मैं अपने माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वह भी हमेशा के लिए सदन को छोड़कर चले जाएं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो, आप विराजो। सचेतक महोदय कुछ बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक बार आपने व्यवस्था दे दी, उप नेता ने सारी बात स्पष्ट कर दी ...(व्यवधान) उसके बाद क्या बचा है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उसके बाद क्या बचा है? अब आप चाहते क्या हो? (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): +++ करते हो और डराते और हो आप। (व्यवधान) +++ करके दबाना चाहते हो आप ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो, विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इकतालीस माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। जब आपने व्यवस्था दे दी, खतम हुई बात।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय गृह मंत्रीजी ने सदस्य को धमकी दी है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): कल खान मंत्रीजी तो +++ कटारियाजी को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अवस्थी साहब, विराजिये। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): कल कटारियाजी को गालियां दी गयीं सदन के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। (व्यवधान) विराजिए, विराजिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह प्रश्न का उत्तर दे नहीं सकते ...(व्यवधान)...

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): यह भी धमकाते हैं, यह भी संयम से बात करें ...(व्यवधान) गृह मंत्रीजी आसन को धमकाते हैं, गृह मंत्री उल्टा बोलते हैं ...(व्यवधान) सारी अव्यवस्था इस विधान सभा में, इस सदन में गृह मंत्री करते हैं। यह बीच-बीच में खड़े होते हैं। नहीं होना चाहिए इनको खड़ा। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय,..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, जब आसन से व्यवस्था हो गयी, कई मौके पर जब उत्तेजना हो जाती है तो उप नेता ....

श्री सभापति: सचेतक महोदय बोल रहे हैं, आप विराजो। माननीय सदस्य, विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति : राठौड़ साहब आप तो विराजो। सचेतक साहब को बोलने के लिए मैंने कहा है।

सदस्य का निलम्बन

हनुमान बेनीवाल, श्री, सदस्य, का सत्र की शेष अवधि के लिए निलम्बन

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 292 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं। आज दिनांक 17 मार्च, 2010 को स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह लोकतंत्र का अपमान है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): बोलते हुए श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा ने आसन के आदेशों की निरन्तर अवहेलना करते हुए, आक्रामक मुद्रा में माननीय गृह मंत्रीजी पर ...(व्यवधान) बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाए और अशोभनीय भाव भंगिमाएं बनाते हुए वैल में आकर अपने हाथ का इस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे कि जैसे क्रोधावेश में बेकाबू हो गये। (व्यवधान) इससे सदन की गरिमा का अपमान हुआ है एवं सदन के संचालन में बाधा उत्पन्न हुई है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

यह कोई पहला अवसर नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): पूर्व में भी श्री हनुमान बेनीवाल इसी तरह के आरोप बिना किसी प्रमाण के लगाने के आदी रहे हैं।

अत: मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा को सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित किया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही, आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री सभापति: विराजो। माननीय सदस्य, विराजो। अपने आसन पर तो पधारो आप लोग। आसन पर तो पधारो आप लोग। आसन पर तो पधारो आप, आसन पर पधारो।

बेनीवाल साहब, आप उधर जाइये। माननीय सदस्य, आप विराजो। माननीय सदस्य, आप विराजो। माननीय सदस्य, अपने-अपने आसन पर पधारो।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में निरन्तर नारे)

आप विराजो। आप पधारो। कटारिया साहब, आप पधारो। आप पधारो।

सदन की कार्यवाही एक घंटे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.08 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय : 14.08 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: सदन की बैठक आधा घण्टे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.08 बजे आधा घंटे के लिये स्थगित हुई)

(समय : 14.38 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री सभापति: सदन की बैठक एक घण्टे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.38 बजे एक घंटे के लिये स्थगित हुई)

(समय : 15.38 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह जो प्रस्ताव मेरे द्वारा रखा गया था प्रक्रिया के नियम 292 के अन्तर्गत, मैं निवेदन करता हूं कि इसके ऊपर आपकी ओर से व्यवस्था फरमाई जाए। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उस पर व्यवस्था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है और हमारे नियमों में प्रावधान है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, वह व्यवस्था फरमाई जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): व्यवस्था के प्रश्न पर, जब कभी भी व्यवस्था का प्रश्न उठा है, सबसे पहले उस पर चर्चा हुई है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): I am on a point of order, Sir. (व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

I am on a point of order, Sir. (व्यवधान) I am on a point of order, Sir. (व्यवधान) Sir, I am on a point of order. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, प्रस्ताव पर व्यवस्था फरमाई जाए।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, सरकार नहीं चाहती कि राजस्थान की प्रमुख समस्या सिंचाई और पानी पर चर्चा हो। (व्यवधान)

सदस्य का निलम्बन

हनुमान बेनीवाल, श्री, सदस्य का सत्र की शेष अवधि के लिए निलम्बन

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि माननीय सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रक्रिया के नियम 292 के अन्तर्गत श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य को सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित करने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य को सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत किया गया। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल । (व्यवधान) श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2009-2010 समिति के एक प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

याचिका का उपस्थापन

बायतू विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट से राहत हेतु तात्कालिक उपाय एवं त्वरित प्रबन्ध

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र बायतू में भीषण पेयजल संकट से राहत दिलाने

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

हेतु तात्कालिक उपायों तथा त्वरित प्रबंध करने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

श्री सभापति: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

1. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 2010-2011 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।
2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क', 2010-2011 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।
3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, जब मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया तो आपने व्यवस्था के प्रश्न पर मुझे बोलने नहीं दिया। सभापति महोदय, यह जो प्रस्ताव है...

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप चार दिन से व्यवस्था ही देख रहे हैं, चार दिन से । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नियम के अन्तर्गत आपने छूट नहीं दी। आपने छूट नहीं दी तो प्रस्ताव ला नहीं सकते। इसलिए मुख्य सचेतक वीरेन्द्र बेनीवाल ने जो प्रस्ताव रखा वह भी गलत है और उस प्रस्ताव पर मतदान हुआ वह भी गलत है। यह लोकतंत्र की हत्या है और अगर भ्रष्टाचार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के आरोप लगाने पर आप उनको बाहर निकालेंगे तो हम सबको भी आप बाहर निकाल दीजिये। (व्यवधान) बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख', 2010-2011 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

(सदन कूप में नारेबाजी)

वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, 232(1)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, पानी पर बहस चल रही है, राजस्थान की जनता पानी के लिए तरस रही है। सत्तारूढ़ दल पानी पर बहस नहीं करना चाहता। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जन लेखा समिति 2010-2011,....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पानी की डिमाण्ड पर बहस नहीं, सिंचाई पर बहस नहीं, मुख बंद में पारित करना चाहते हैं लोगों को निकाल

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

निकाल कर। यह कौन-सा प्रजातंत्र है, सभापति महोदय? आसन ने कोशिश की सत्ता पक्ष को समझाने की, सत्ता पक्ष ने ज़िद्द करके कहा कि हमको बहस नहीं करनी, हमको तो बाहर निकालना है। इस प्रकार का सत्ता पक्ष कभी हुआ, न कभी होने का।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): प्राक्कलन समिति 'क', 2010-2011, प्राक्कलन समिति 'ख', 2010-2011 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2010 -2011 प्रत्येक के लिए 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कि सदन में और सदन के बाहर आम जनता की पानी की मांग को उठायेंगे और उसके लिए निरन्तर लड़ते रहेंगे, आप कितनी ही कोशिश करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230 (1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1)...

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अभी चुनावों में तो उठा कर आये ही हो। चुनावों में उठा कर आये हो न जनता के बीच में....(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उनका प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27–पेयजल की प्रस्तुति

श्री महीपाल मदेरणा, जल संसाधन मंत्री ।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27–पेयजल के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,97,76,85,000/-(बत्तीस अरब सतानवे करोड़ छिहत्तर लाख पचासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या 46–सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर सहित) की प्रस्तुति

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46–सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर सहित) के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,60,98,83,000/- (इक्कीस अरब साठ करोड़ अठानवे लाख तिरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी व्यवधान)

श्री सभापति: सचेतक महोदय, सचेतक महोदय। सचेतक महोदय। सचेतक महोदय। (व्यवधान) आप इधर घेरा डालो। घेरा डालें, वहां पर कोई कागज न छीन ले। सुरक्षा की व्यवस्था करो। (व्यवधान)

मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण की प्रस्तुति

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 38–लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,29,35,58,000/- (एक अरब उनतीस करोड़ पैंतीस लाख अट्ठावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य। अनुदान की मांग संख्या 38, 46 और 27 पर कांग्रेस पार्टी की ओर से माननीय श्री संतोष कुमार सहारण । (व्यवधान)

(दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों द्वारा निरन्तर नारेबाजी)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27...(व्यवधान) श्री महीपाल मदेरणा । (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, मांग संख्या पारित की जाये। मांग संख्या 27, 46 और 38, सभी मांगों को पारित किया जाये।

मांग संख्या-27 पेयजल का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-27 पेयजल के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,97,76,85,000/- (रुपये बत्तीस अरब सतानवे करोड़ छिहत्तर लाख पचासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-46 सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर सहित) का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-26 सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर सहित) के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,60,98,83,000/- (रुपये इक्कीस अरब साठ करोड़ अट्ठानवे लाख तिरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,29,35,58,000/- (रुपये एक अरब उनतीस करोड़ पैंतीस लाख अट्ठावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 18 मार्च, 2010 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.50 बजे, गुरुवार दिनांक 18 मार्च, 2010 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र हेतु निगम की नवीन बसों का संचालन

182. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कितने पंचम अध्याय के मार्ग हैं, जिन पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कौन-कौन से पंचम अध्याय के मार्ग हैं तथा उन्हें किस आधार पर पंचम अध्याय का मार्ग घोषित किया गया? क्या उक्त पर निजी बस आपरेटर एवं अवैध सवारी वाहनों का संचालन हो रहा है?

(3) क्या यह सही है कि निजी बसों का पर्याप्त यात्री भार मिलता है? क्या सरकार उक्त मार्गों पर निगम की बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में निगम की कितनी नवीन बसों का संचालन किया गया? मार्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्तमान में सरकार को उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी बसें चलाने की मांग की गई और मांग के अनुसार कितनी नवीन बसें चलाई गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि मांग के अनुसार निगम की बसें संचालित नहीं की जा रही हैं? क्या सरकार मांग के अनुसार निगम की बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में निगम द्वारा पंचम अध्याय के 503 मार्गों पर वाहन संचालित किये जा रहे हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के पंचम अध्याय के 23 मार्ग हैं। इन मार्गों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है। वस्तुत: पंचम अध्याय के मार्ग वे मार्ग होते हैं जिन पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के पंचम अध्याय के प्रावधानों के अन्तर्गत मंजिली वाहनों का संचालन होता है। सही प्रावधान इनके संचालन का आधार भी है। ऐसे मार्गों पर निजी बस आपरेटरों तथा राजस्थान

(यातायात मंत्री)

राज्य पथ परिवहन निगम दोनों के द्वारा बसों का संचालन किया जा सकता है। इस प्रकार इन मार्गों पर चलने वाली परमिट प्राप्त निजी आपरेटरों द्वारा बसें नियमानुसार संचालित की जाती हैं विभाग द्वारा अवैध सवारी वाहनों के संचालन के विरूद्ध समय-समय पर कार्यवाही की जाती है। निजी परमिटधारी बसों की सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा निजी यात्री बसों के यात्री भार सम्बन्धी सूचना का संकलन एवं संधारण नहीं किया जाता है। तथापि निजी यात्री बसों द्वारा उक्त मार्गों पर जो अनुज्ञा पत्र लिये गये हैं उनका विवरण परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में पंचम अध्याय के 23 मार्गों में से 9 मार्गों पर निगम द्वारा वाहन संचालन किया जा रहा है सूची परिशिष्ट ''द'' पर संलग्न है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा भारत सरकार के योजना आयोग एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय को समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों को तहसील मुख्यालयों से जोड़ने की योजना प्रस्तुत की गई है योजना के स्वीकृत होने पर तथा निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर निगम द्वारा बस सेवा के संचालन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(4) जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में निगम की निम्नलिखित नवीन सेवायें आरम्भ की गई हैं:-

अ	भीलवाड़ा से केकड़ी वाया ढिकोला, शाहपुरा, कादेड़ा	दि. 05.01.09 से आरम्भ प्रतिदिन 2 परिचक्र रात्री विश्राम शाहपुरा करने वाली सेवा का वृद्विकरण केकड़ी तक किया गया।
ब	अजमेर से कालेड़ा, कंवर जी	दि. 09.02.09 से आरम्भ 2 बसें, 2 परिचक्र
स	अजमेर से मेवदाकलां वाया केकड़ी	दि. 11.12.09 से आरम्भ, प्रतिदिन 2 परिचक्र

(5) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में जिन मार्गों पर वाहन संचालन की मांग विभिन्न जनप्रतिनिधियों से प्राप्त हुई है एवं इन मांगों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट ''य'' पर संलग्न है।

(यातायात मंत्री)

(6) जी हां। जिन मार्गों पर निगम बस संचालित करने की मांग की गई है उन पर निगम द्वारा भारत सरकार के योजना आयोग एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय को समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों को तहसील मुख्यालयों से जोड़ने की योजना प्रस्तुत की गई है योजना के स्वीकृत होने पर तथा निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर निगम द्वारा बस सेवा के संचालन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बीसलपुर योजना से अजमेर शहर को जलापूर्ति

183. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर शहर में दिसम्बर, 2008 में जलापूर्ति कितने अन्तराल में की जाती थी व वर्तमान में कितने अन्तराल में की जा रही है?

(2) गत एक वर्ष में अजमेर शहर में कितनी बार जलापूर्ति बाधित हुई और उसके कारण कितने अन्तराल में शहरवासियों को जलापूर्ति की गई?

(3) क्या यह सही है कि बीसलपुर योजना अजमेर को पानी उपलब्ध कराने हेतु बनाई गई थी? यदि हां, तो क्या इस योजना से अजमेर को निर्धारित व आवश्यकतानुसार पानी उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) आने वाली गर्मी में शहरवासियों को जल की आवश्यक व निर्बाध पूर्ति हेतु सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) अजमेर शहर में माह दिसम्बर, 2008 में 48 से 72 घंटे के अन्तराल से पेयजल आपूर्ति की जा रही थी। बीसलपुर बांध में पानी की कम उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में पेयजल आपूर्ति 72 घंटे के अन्तराल से की जा रही है।

(2) माह अप्रैल, 2009 से अब तक मुख्यत: 12 बार बड़े व्यवधान (मेजर फाल्ट) के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित रही। इसके कारण अन्तराल 72 घण्टे से 120 घण्टे तक रहा।

(3) बीसलपुर योजना अजमेर तथा जयपुर जिलों में पेयजल तथा टौंक जिले को सिंचाई व पेयजल हेतु बनाई गई थी।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

वर्ष 2009 में कम वर्षा होने से बीसलपुर बांध में पानी की उपलब्धता कम होने के कारण, वर्तमान संदर्भ में अजमेर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी मानसून तक सामान्य पेयजल आपूर्ति बनाये रखने के लिये बीसलपुर बांध से कम पानी की मात्रा प्राप्त की जा रही है।

(4) अजमेर शहर में उत्पन्न होने वाली पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए त्वरित मूल्यांकन कर आकस्मिक योजना दो भागों में स्वीकृत की गई। इन योजनाओं की स्वीकृति एवं प्रगति के संदर्भ में विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) आपात योजना-प्रथम चरण:- इस योजना की माह अगस्त, 2009 में जारी स्वीकृति के अन्तर्गत अजमेर शहर हेतु स्वीकृत 2 नलकूप, 56 हैण्डपम्प एवं 13 सिंगल फेज के कार्य पूर्ण कराये गये आवश्यकतानुरूप पेयजल परिवहन भी किया गया।

(आ) आपात योजना-द्वितीय चरण:- दिनांक 20 फरवरी, 2010 को योजना की जारी सवीकृति में अजमेर शहर हेतु प्रस्तावित 20 हैण्डपम्प एवं 15 सिंगल फेज के निर्माण कार्य माह अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किये जाने हैं। वर्तमान में 96 टैंकर ट्रिप द्वारा भी शहर में प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

किशनगढ़बास विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का डामरीकरण

184. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में गत सात वर्षों में किन-किन गांवों में किस-किस योजनाओं के तहत ग्रेवल सड़क बनाई गई, जिनका डामरीकरण किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बनाई गई सड़कों का डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र के 200 की आबादी के कौन-कौन से गांव अभी तक सड़क योजना से नहीं जोड़े गये तथा इन गांवों को अब कब तक सम्पर्क सड़कों से जोड़ दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में गत सात वर्षों में कुल 113 गांवों में ग्रेवल सड़कें बनाई गई हैं। विवरण, योजनाओं के नाम सहित परिशिष्ट-''1'' (अ एवं ब) में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(3) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सामान्य क्षेत्रों में वर्ष 2001 पर आधारित जनगणना अनुसार 500 व अधिक आबादी की बसावटों को सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है, न कि 200 व अधिक आबादी के सभी गांवों को। किशनगढ़बास विधान सभा क्षेत्र सामान्य श्रेणी में है।

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य क्षेत्र के 250 से 499 की आबादी के सभी गांवों को 3 वर्ष में ग्रेवल सड़क से जोड़ दिया जावेगा। 0 से 250 तक की आबादी के सामान्य क्षेत्र के गांवों को सम्पर्क सड़क से जोड़ने की वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में 200 से 499 तक की आबादी के 31 गांव डामर सड़कों से नहीं जोड़े गये हैं जिनकी सूची परिशिष्ट –''2'' में प्रस्तुत है। वर्तमान में इन गांवों में से 250 से 499 तक की आबादी के सभी 26 गांवों को महानरेगा के माध्यम से ग्रेवल की सम्पर्क सड़कों से 3 वर्ष में जोड़ने का लक्ष्य है, जिसमें से 10 गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ा जा चुका है। जिसका विवरण परिशिष्ट-''2'' में अंकित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि आधारित उद्योगों में वृद्धि हेतु हाट बाजार

185. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) एवं **डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने वर्ष 2009-10 के बजट में कृषि व्यवसाय नीति बनाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हाट एवं बाजारों की समुचित व्यवस्था करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में क्या–क्या कार्य हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि व्यवसाय नीति अभी जारी नहीं की गई है।

(2) जी हां। कृषि विपणन विभाग के द्वारा कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निम्न कार्य किये गये हैं:-

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के तहत लगने वाले नवीन उद्योगों/विविधकरण/आधुनिकीकरण एवं विस्तार करने वाले उद्योगों को उनके द्वारा क्रय की जाने वाली विज्ञप्ति कृषि जिन्स पर 7 साल तक मण्डी शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। विभागीय रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2008-09 में 215 फर्मों को 762.46 लाख रुपये तथा वर्ष 2009-10 में अभी तक 245 फर्मों को 754.33 लाख रुपये की राशि की छूट मण्डी शुल्क में दी गई है।

कृषि आधारित उद्योगों को मण्डी प्रांगण में भूखण्ड भी उपलब्ध कराये जाते हैं। कृषि आधारित उद्योगों को ग्रेडिंग/क्लीनिंग/प्रोसेसिंग एवं कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए भी भूखण्ड आबंटन किये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न मण्डियों में 60 भूखण्ड आबंटित किये गये हैं।

आंवला, संतरा व ईसबगोल की प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने पर पूंजी लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1 करोड़ रुपये, जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है। इस योजनान्तर्गत कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 4 इकाइयों को बोर्ड के हिस्से का अनुदान 106.29 लाख रुपये जारी कर दिया गया है।

रीको द्वारा उद्यमियों की मांग पर बीकानेर में औद्योगिक क्षेत्र करणी विस्तार में 80.74 एकड़ भूमि पर माह फरवरी 2010 में फूड जोन नियोजित किया गया है। इस जोन में विभिन्न आकार के कुल 99 भूखण्ड नियोजित किए गए हैं जिसमें फूड आधारित औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो सकेंगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत विशेष परियोजना मद में योजनान्तर्गत लाभान्वित स्वरोजगारियों/स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन में सहायता हेतु राज्य के 10 जिलों में जिला स्तरीय हाट निर्मित कराये गये हैं तथा 5 जिला स्तरीय ग्रामीण हाट निर्माण के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये गये है।

भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत विशेष परियोजनान्तर्गत 15-15 लाख रुपये के ग्राम स्तरीय ग्राम हाट निर्मित कराये जाने का प्रावधान है, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक जिले में 3-3 ग्राम स्तरीय हाट निर्माण हेतु प्रथम किश्त जारी की गयी है।

प्रश्न संख्या-186

(स्थगित)

रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन के लम्बित प्रकरण

187. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बिना बी.पी.एल. में चयनित सभी विधवा महिलाओं को भी पेंशन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार बिना बी.पी.एल. में चयनित 65 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वृद्ध पुरूष एवं महिलाओं को भी पेंशन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में विधवा महिलाओं एवं वृद्धावस्था पेंशन संबंधी कितने मामले विचाराधीन हैं एवं वर्तमान में कुल कितनों को पेंशन मिल रही है और कुल कितनी राशि का भुगतान इस मद में किया जा रहा है? अब विचाराधीन मामलों का निपटारा कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के अन्तर्गत पात्रता की शर्तें पूर्ण करने पर बी.पी.एल. चयनित नहीं होने पर विधवा महिलाओं को भी पेंशन देय है।

(2) राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के अन्तर्गत पात्रता की शर्तें पूर्ण करने पर बिना बी.पी.एल. चयनित वृद्ध पुरुष एवं महिलाओं को पेंशन देय है।

अत: 65 वर्ष से अधिक उम्र के बिना बी.पी.एल. चयनित सभी पुरुषों एवं महिलाओं को पेंशन देने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि इससे पेंशनरों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि सम्भावित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में वर्तमान में 1855 विधवाओं को एवं 2488 वृद्धों को पेंशन दी जा रही है। विधवा महिलाओं के 38 एवं वृद्धावस्था पेंशन के 49 मामले विचाराधीन हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

माह फरवरी, 2010 तक विधवा पेंशन मद में रुपये 93.14 लाख एवं वृद्धावस्था पेंशन मद में रुपये 127.46 लाख का भुगतान किया गया है। विचाराधीन मामलों का निपटारा शीघ्र कर दिया जाएगा।

बगड़ ग्राम पंचायत जिला राजसमन्द में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

188. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बगड़ जिला राजसमन्द में सरकार द्वारा कारिडोर योजना के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है? यदि हां, तो उक्त योजना हेतु कितनी भूमि आबंटित की गई?

(2) उक्त क्षेत्र में किस प्रकार के उद्योग स्थापित करने की योजना है एवं उक्त कार्य कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र बगड़ की स्थापना हेतु 1332 बीघा 9 बिस्वा 10 बिस्वान्सी राजकीय/चरागाह भूमि का चयन किया गया है। इसमें से जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा बिलानाम 660 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वान्सी भूमि आदेश दिनांक 23/2/2010 से औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दी गई है। शेष 671 बीघा 13 बिस्वा चरागाह भूमि के आरक्षण हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

(2) भूमि का आबंटन एवं इसका कब्जा प्राप्त होने के पश्चात् इसे सामान्य औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की कार्यवाही की जाएगी एवं तत्पश्चात् इच्छुक उद्यमियों को भूखण्ड आबंटित किए जाएंगे।

कामां तहसील में ब्रज चौरासी परिक्रमा क्षेत्र के अतिरिक्त खनन रोक से राजस्व हानि

189. श्रीमती जाहिदा (कामां) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत एक वर्ष में राज्य में खनन पर पाबन्दी लगाई गई है यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में व क्यों?

(श्रीमती जाहिदा)

(2) जिला भरतपुर की तहसील कामां में ब्रज चौरासी परिक्रमा क्षेत्र के अलावा लगाई गई खनन की पाबन्दी से सरकार को कितने राजस्व की हानि हो रही है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त तहसील में खनन पर रोक लगने से कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं और बेरोजगार हुए लोगों को अन्य माध्यमों से रोजगार उपलब्ध कराये जाने की सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत एक वर्ष में माननीय उच्चतम न्यायालय ने याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 श्री टी.एन. गोडावर्मन बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में आई ए नं. 1310 एवं अन्य में दिनांक 19.02.2010 को दिये गये निर्णय की अनुपालना में 157 खानों में खनन कार्य पर रोक लगाई है। इनमें से कुछ खानों में पूर्व से ही खनन बंद है। विवरण सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) ब्रज चौरासी परिक्रमा मार्ग के 500 मीटर की परिधि में 13 एवं 500 मीटर की परिधि के बाहर 189 कुल 202 खनन पट्टों को समय पूर्व समाप्त घोषित किया गया। इन 189 खनन पट्टों से राज्य सरकार को 1,48,31,352 रुपये की हानि हो रही है।

(3) डीग व कामां तहसील के प्रधान व अप्रधान खनिज के खनन पट्टों के प्रिमेच्योर टर्मिनेशन से लगभग 1500 व्यक्ति प्रभावित होंगे, परन्तु प्रिमेच्योर टर्मिनेट किये जाने वाले खनन पट्टों के बदले पट्टाधारियों को निकट की तहसील पहाड़ी में खनन पट्टे आबंटित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर संभाग में प्रबोधकों की संस्कृत विद्यालयों में नियुक्ति

190. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जोधपुर संभाग के किन-किन संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को प्रबोधक बनाया गया? शिक्षा सहयोगी का नाम मय विद्यालय, प्रबोधक बाद नियुक्ति स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसाराम चौधरी)

(2) उक्त संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को संस्कृत विद्यालयों की अपेक्षा सामान्य शिक्षा में पदस्थापित किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जोधपुर संभाग के संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुये प्रबोधकों को पुन: संस्कृत विद्यालयों में नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों, जिन्हें सामान्य शिक्षा में प्रबोधक बनाया गया है, की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008 के तहत प्रबोधक पद पर नियुक्ति की गई है। उक्त सेवा नियमों के तहत संस्कृत शिक्षा विभाग में पद सृजित नहीं होने के कारण संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को सामान्य शिक्षा के विद्यालयों में नियुक्ति दी गई है।

(3) जी नहीं। प्रबोधक की नियुक्ति राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008 के तहत की गई है। उक्त नियम संस्कृत शिक्षा में प्रभावी नहीं होने के कारण प्रबोधकों को संस्कृत विद्यालयों में नहीं लगाया जा सकता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

फूटोलाव ग्राम पंचायत (जमवारामगढ़) में पेयजल आपूर्ति

191. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पानी का लेवल नीचे होने के कारण फ्लोराइड/खारा पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान हेतु गहरे कुएं व ट्यूबवैल खोदकर पाइप लाइन द्वारा ग्राम पंचायतों के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री गोपाल मीणा)

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की ग्राम पंचायत फूटोलाव के विभिन्न गांवों को मीठा पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु बाणगंगा या आस-पास सर्वे करवाकर गहरा कुआ खुदवाकर पाइप लाइन से पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के 233 ग्रामों में से 18 ग्राम गुणवत्ता की समस्या से प्रभावित हैं।

(2) वर्णित क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सामान्य बनाये रखने हेतु विभिन्न योजना अन्तर्गत राशि रुपये 139.52 लाख की स्वीकृत 4 योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। इन योजनाओं में 8 नलकूप, 56 हैण्डपम्प, 5 सिंगल फेज एवं पाइप लाइन आदि कार्यों का प्रावधान स्वीकृत है। उक्त कार्यों को माह अप्रैल, 2010 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। तकनीकी परीक्षण करवाकर निर्णय लिया जायेगा।

राजगढ़-पिलानी सड़क मार्ग का नवीनीकरण

192. डा. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजगढ़, जिला चूरू में राजगढ़ से पिलानी, सिधमुख से ढाणी बडी व सिधमुख-सिवानी हरियाणा सीमा (अन्तर्राज्यीय सड़क) सड़क मार्ग की हालत अत्यन्त खराब है?

(2) क्या सरकार इन सड़कों की मरम्मत व नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि राजगढ़-पिलानी सड़क मार्ग के भाग हमीरवास से झुंझुनूं सीमा तक चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण की स्वीकृति एस.आर.एफ. के अन्तर्गत जारी हो चुकी थी, निविदा भी लगाई गई थी, लेकिन इस निविदा को बाद में रोक दिया गया है? यदि हां, तो निविदा रोकने का क्या कारण है, कितनी राशि की स्वीकृति जारी की गई थी? क्या सरकार पुन: निविदा लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? अब सरकार उक्त कार्यों को कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजगढ़ से पिलानी सड़क की पटरियां ही आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। विवरण परिशिष्ट-''1'' में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। परिशिष्ट-''1'' में वर्णित मरम्मत कार्य एवं निर्धारित नवीनीकरण चक्र के अनुसार सड़कों के नवीनीकरण का विचार रखती है। नवीनीकरण के कार्यों का सम्पादन राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(3) जी नहीं। एस.आर.एफ. के अन्तर्गत इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई थी। इस कार्य की निविदा राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों के अनुरूप अग्रिम कार्यवाही करते हुये 14-10-2009 को जारी की गई थी, परन्तु राज्य योजना मद में संशोधित एवं उपलब्ध बजट अनुरूप ही स्वीकृतियां जारी की जा सकी। स्वीकृत कार्यों की निविदायें ही प्राप्त की गई।

जी हां। यह राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति जारी होने के बाद किया जावेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर जिले में आगजनी एवं प्राकृतिक दुर्घटनाओं पर देय सहायता राशि

193. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या सहायता एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आकस्मिक आगजनी एवं अन्य प्राकृतिक दुर्घटना से हुई हानि का मुआवजा देने संबंधी मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2007 से 2009 तक जिला जोधपुर में भीषण आगजनी की कितनी घटनायें घटित हुई तथा घटना में कितना नुकसान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आगजनी की घटना में सरकार द्वारा पीड़ितों को क्या-क्या राहत पैकेज एवं मुआवजा राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्राकृतिक अग्नि दुर्घटना होने पर सहायता देने हेतु ''आपदा राहत निधि'' में मानदण्ड बने हुए हैं, जिनकी प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

अन्य प्रकार की अग्नि दुर्घटना में सहायता हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं।

(2) वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 में जोधपुर जिले में क्रमश 203, 194 एवं 364 आगजनी की घटनाऐं हुई, जिनमें क्रमश 84,86,400, 90,70,375 एवं 1,84,86,913 रु. का नुकसान हुआ है।

(3) जोधपुर जिले में वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 में आगजनी की घटनाओं में पीड़ितों को क्रमश: 10,82,050, 10,66,800 एवं 15,59,000 रु. की सहायता का भुगतान किया गया।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भोपालगढ़ पंचायत समिति में वृद्धावस्था पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र

194. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की भोपालगढ़ पंचायत समिति में गत छह माह में वृद्धा-विधवा-विकलांग पेंशन के कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितनों को पेंशन जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधवा पेंशन आवेदनकर्ता के 25 वर्ष का पुत्र है लेकिन भरण-पोषण नहीं करता है व विधवा उससे अलग रहती है तो क्या वह पेंशन की हकदार है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ पंचायत समिति में गत छह माह में वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन के प्राप्त हुए आवेदन एवं जारी पेंशन का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	श्रेणी पेंशन	प्राप्त आवेदनों की संख्या	सवीकृत पेंशन प्रकरणों की संख्या
1	वृद्धावस्था	40	40
2	विधवा	49	49
3	विकलांग	6	6

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 में ऐसे प्रकरणों के लिए पेंशन देने का प्रावधान नहीं है।

शराब दुखान्तिका से मृतक के परिजनों को देय मुआवजा

195. श्री कालीचरण सराफ (मालवीयनगर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक राज्य में अवैध शराब तथा लाइसेन्सधारी दुकानों से खरीदकर पी गई शराब से लोगों की कहां-कहां मौतें हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अवैध शराब एवं लाइसेन्सधारी दुकानों से खरीदी गई शराब के कारण हुई मौत का मुआवजा मृतकों के परिजनों को दिया गया? यदि हां, तो कहां-कहां, किस-किसको, कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी 2009 से दिसम्बर 2009 तक राज्य में लाइसेंसधारी की दुकानों से खरीद कर पी गई शराब से किसी की मौत नहीं हुई।

अवैध शराब पीने से जिला धौलपुर के थाना सदर व कंचनपुर क्षेत्र में 8 व्यक्तियों एवं अजमेर जिले के थाना ब्यावर सदर में 11 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है जिनका विवरण परिशिष्ट–'अ' पर उपलब्ध है।

(2) अवैध शराब पीने से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राशि प्रदान की गई। विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 धौलपुर क्षेत्र के पेड़ों की अवैध कटाई

196. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष में राष्ट्रीय राज मार्ग 3 धौलपुर में ठाकुर नारायण के ढ़ाबे से सागरपाड़ा तक सड़क पर लगे पेड़ काटे गये? यदि हां, तो काटे गये पेड़ों की संख्या व इसकी क्षतिपूर्ति हेतु ली गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अब्दुल सगीर खां)

(2) क्या यह भी सही है कि हरे भरे पेड़ों को काटने हेतु सम्बन्धित विभाग से अनुमति एवं पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई? यदि हां, तो मय दस्तावेजों के विवरण सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि वन विभाग धौलपुर में डीएफओ का पद रिक्त है? यदि हां, तो इसे कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि गत वर्ष में राष्ट्रीय मार्ग संख्या 3 धौलपुर में ठा. नारायण के ढाबे से सागरपाडा तक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 197 पेड़ काटे गये थे। भारत सरकार द्वारा इस प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन फलस्वरूप परियोजना में उपयोग हो रही भूमि 12.6 हैक्टेयर के दुगने अर्थात् 25.2 हैक्टेयर पर दण्डात्मक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 5 साल तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनाराशि जमा कराने की शर्त अधिरोपित की है। जिसके क्रम में यूजर एजेन्सी को वन संरक्षण के उल्लंघन करने हेतु रु. 13.38 लाख जमा कराने का मांग पत्र दिनांक 11.3.10 को भेजा गया है।

(2) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पेड़ों को काटने हेतु संबंधित विभाग से अनुमति एवं कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। भारत सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही इस क्षेत्र में आ रहे 1365 पेड़ काटे जाने चाहिए थे, किन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व ही 197 पेड़ काट दिये गये। जिसके लिए यूजर एजेन्सी को दण्ड स्वरूप रु. 13.38 लाख जमा कराने का मांग पत्र भेजा गया है।

(3) जी नहीं। वन विभाग धौलपुर में डी.एफ.ओ. का पद रिक्त नहीं है। राज्यादेश संख्या प. 12(30) वन/2008 दिनांक 20.12.09 से श्री आर पी गुप्ता का पदस्थापन उप वन संरक्षक, धौलपुर के पद पर किया गया है। श्री आर पी गुप्ता ने दिनांक 22.2.10 को उप वन संरक्षक, धौलपुर के पद पर ज्वाइन कर लिया है।

अजमेर शहर में निजी बसों की अवैध पार्किंग

197. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती अनिता भदेल)

(1) क्या यह सही है कि अजमेर शहर के मार्टिनिड्रल ब्रिज से श्रीनगर रोड पर राजा साईकिल तक नसीराबाद रोड पर माखुपुरा तक व ब्यावर रोड पर सब्जी मण्डी तक ट्रेवल्स एजेन्सियों की बसों को खड़ी करने की अनुमति दी गई? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बसें बिना अनुमति के खड़ी हो रही हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इन ट्रेवल्स एजेन्सियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर शहर के मार्टिनड्रिल ब्रिज से श्रीनगर रोड पर राजा साईकिल तक, नसीराबाद रोड पर माखुपुरा तक व ब्यावर रोड पर सब्जी मण्डी तक ट्रेवल एजेन्सियों की बसें खड़ी करने की अनुमति किसी अधिकारी द्वारा प्रदान नहीं की गई हैं। कलक्टर अजमेर के आदेश क्रमांक न्याय/2001/103 दिनांक 6.11.2001 के अनुसार केवल हजारीबाग को संचालन स्थल घोषित किया गया है।

(2) निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर बसें खड़ी करने के सम्बन्ध में पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 में 14 वाहनों के चालान बनाये गये हैं।

पाली खण्ड में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

198. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जल संसाधन खण्ड पाली की किस-किस भूमि पर विभाग का कब्जा है या भूमि रिक्त पड़ी है एवं किस-किस भूमि पर किस-किस अतिक्रमी द्वारा कितनी-कितनी भूमि पर अमिक्रमण कितने समय से कर लिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा अतिक्रमियों से सरकारी भूमि को मुक्त कराने के लिये कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जल संसाधन खण्ड पाली के अधीन भूमि जिस पर विभाग का कब्जा है, का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। इस भूमि में से कुछ भूमि पर विभाग द्वारा बांध एवं नहरों का निर्माण किया हुआ है। जो शेष रिक्त भूमि है एवं विभाग के कब्जे में है, उस भूमि का उपयोग बांधों व नहरों की सुरक्षा हेतु मिट्टी उठाने में किया जाता है। विभाग की 1.32 हैक्टेयर भूमि पर 57

(जल संसाधन मंत्री)

अतिक्रमणियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। विवरण परिशिष्ट–'ब' पर संलग्न है। ये अतिक्रमण विगत दो दशकों के दौरान किये गये हैं।

(2) जल संसाधन उपखण्ड, पाली के कार्य क्षेत्र में लोडिया फिडर के दोनों तरफ अतिक्रमियों से विभागीय भूमि को मुक्त कराने हेतु राजस्थान राजस्व भूमि अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटिस तैयार कर तहसीलदार (भू.अ.) पाली को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये तथा थानाधिकारी, कोतवाली थाना-पाली को अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रथम सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 20.07.2006 को लिखा गया। लोडिया आउटफाल चैनल पर किये गये अतिक्रमण बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 244 दिनांक 12.06.2006 दर्ज की गई एवं कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है, प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.10.2010 है।

बाली उपखण्ड में किये गये अतिक्रमण को अतिक्रमी से मुक्त कराने हेतु विभाग के सहायक अभियन्ता, बाली द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बाली को दिनांक 10.07.2009 को निवेदन किया गया। साथ ही संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा थानाधिकारी, बाली को अतिक्रमणी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु दिनांक 11.07.2009 को अनुरोध किया गया। अतिक्रमियों से विभागीय भूमि मुक्त कराने की कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। संबंधित अधिकारियों को विभाग की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, जयपुर द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में राज्य सड़क निधि योजना के तहत निर्मित सड़कें

199. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):- क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2004 से 2008 तक एवं दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2009 तक राज्य सरकार द्वारा एस.आर.एफ. के माध्यम से कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत जयपुर जिले में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में उक्त अवधि में सड़कों का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में उक्त योजना के तहत सड़कों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2004 से 2008 तक 3112 किमी. एवं दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2009 तक 273 किमी. सड़कों का निर्माण, राज्य सरकार द्वारा एस.आर.एफ. योजना के माध्यम से कराया गया है। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(2) उक्त योजना के तहत जयपुर जिले में वर्ष 2004 से दिसम्बर, 2009 तक 180.99 कि.मी. सड़कों का निर्माण कराया गया है वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्ष 2004 से दिसम्बर 2009 की अवधि में निर्माण करायी गयी सड़कों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-3 में प्रस्तुत है।

(4) जी हां। यह राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ओलावृष्टि से होने वाले फसली नुकसान का मुआवजा

200. श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि किसानों की फसल नष्ट होने पर उन्हें मुआवजा देने का प्रावधान है परन्तु 'ओलावृष्टि' से होने वाले नुकसान को इस श्रेणी में नहीं माना जाता है? क्या सरकार किसानों को ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलें नष्ट होने पर उन्हें सी.आर.एफ. नार्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान दिया जाता है। ओलावृष्टि भी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं में सम्मिलित है। राज्य सरकार द्वारा ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान होने पर भी सी.आर.एफ. नार्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान दिया जाता है। इसके साथ ही वर्ष 2005 से सीआरएफ मापदण्डों के अनुसार देय सहायता के साथ ही राज्य सरकार द्वारा अपनी ओर से भी अलग से सहायता राशि दी जाती रही है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

श्रीगंगानगर जिले के राज्य कार्मिकों के लम्बित चिकित्सा पुनर्भरण बिल

278. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों के चिकित्सा बिल भुगतान हेतु सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर एवं पेंशन विभाग, जयपुर में लम्बित हैं? यदि हां, तो कब से व क्यों?

(2) क्या जिला श्रीगंगानगर के सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों के चिकित्सा बिल भी भुगतान हेतु लम्बित हैं? यदि हां, तो कितने समय से क्यों लम्बित हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सा बिलों का भुगतान शीघ्र ही करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) एस.एम.एस., जयपुर में सेवारत कर्मचारियों के 382 निजी चिकित्सा मेडिकल बिल लम्बित हैं। पेंशन विभाग, जयपुर में सेवारत कर्मचारियों के 143 निजी चिकित्सा मेडिकल बिल लम्बित हैं। पेंशन विभाग, जयपुर में सेवानिवृत कर्मचारियों के 783 निजी चिकित्सा मेडिकल बिल लम्बित हैं। पेंशन विभाग, जयपुर में सेवारत कर्मचारियों के माह जनवरी एवं फरवरी 2010 में प्राप्त निजी चिकित्सा मेडिकल बिल लम्बित हैं एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के माह अक्टूबर 2009 एवं उसके पश्चात प्राप्त निजी चिकित्सा मेडिकल बिल लम्बित हैं।

बिलों का भुगतान एक सतत प्रक्रिया है एवं प्राप्त होने पर, जांच के उपरान्त बजट/कोष की उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जाता है।

(2) श्री गंगानगर जिले में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 25 निजी चिकित्सा मेडिकल बिल पेंशन विभाग, जयपुर में भुगतान हेतु लम्बित हैं। श्री गंगानगर जिले में एस.एम.एस., जयपुर व पेंशन विभाग, जयपुर का कोई कार्यालय नहीं होने के कारण सेवारत कर्मचारियों से संबंधित सूचना शून्य है।

निजी चिकित्सा बिल प्राप्त होना एक सतत प्रक्रिया है एवं प्राप्त होने के पश्चात परीक्षण कर बजट/कोष की उपलब्धता के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

(वित्त मंत्री)

(3) उक्त निजी चिकित्सा बिलों के भुगतान की प्रक्रिया चालू है एवं परीक्षण उपरान्त बजट/कोष की उपलब्धता के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में चीनी पर मण्डी कर की समाप्ति

279. श्री सुन्दरलाल (पिलानी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चीनी पर मण्डी टैक्स किस-किस राज्य में लिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश में चीनी पर मण्डी कर लिया जा रहा है? यदि हां, तो कितना?

(3) क्या सरकार राज्य में चीनी पर मण्डी कर समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) चाही गई जानकारी देश के अन्य राज्यों से संबधित होने से जानकारी दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) प्रदेश में चीनी पर मण्डी कर नहीं अपितु मण्डी शुल्क लिया जा रहा है, जो 1.60 रु. प्रति सैकड़ा है।

(3) चीनी पर मण्डी शुल्क समाप्त किये जाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

सादुलशहर मुख्यालय में सब डिविजन मजिस्ट्रेट का पदस्थापन

280. श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सादुलशहर मुख्यावास पर सब डिवीजन मजिस्ट्रेट का पद स्वीकृत है? यदि हां, तो वहां सब डिवीजन मजिस्ट्रेट का पद स्थापन कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

जी हां। राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 9.9.09 के द्वारा सादुलशहर मुख्यावास (गंगानगर) में सब डिवीजन मजिस्ट्रेट का नया पद सृजित किया गया है। आरएएस अधिकारी का पदस्थापन करने का प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

आबकारी अधिकारियों को कम शराब बिक्री पर जारी चेतावनी

281. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आबकारी विभाग में राजस्व बढ़ाने के लिए अधिकारियों को कम शराब बिक्री होने पर नोटिस दिये गये हैं? यदि हां, तो जनवरी, 2008 से जनवरी, 2010 तक किस-किस जिले के कितने अधिकारियों को नोटिस जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां । माह जनवरी, 2008 से अब तक निम्नलिखित जिलों में अधिकारियों को नोटिस जारी किये गये :-

क्र.सं.	जिला	अधिकारियों की संख्या जिन्हें नोटिस दिया गया
1	झालावाड़	02
2	कोटा	02
3	जैसलमेर	02
4	बून्दी	02
5	अलवर	02
6	जयपुर ग्रामीण	02
7	बारां	02
8	जयपुर शहर	03
9	जोधपुर	03

सम्बन्धित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में बीयर बार रेस्टोरेन्ट पर शराब बिक्री हेतु निर्धारित समय

282. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार बीयर बार एवं बार रेस्टोरेंट का समय भी रात्रि 08 बजे तक निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। फिलहाल बीयर बार एवं बार रेस्टोरेंट के समय में परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

श्रीगंगानगर जिले के लाइसेंसधारी डोडा पोस्त विक्रेता

283. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर में डोडा पोस्त के 6 थोक तथा 25 खुदरा लाइसेंसधारी विक्रेता हैं ? यदि हां, तो लाइसेंसधारी कहां-कहां पर डोडा पोस्त उपलब्ध करवाते हैं? विवरण मय नाम,पता सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सीभा क्षेत्र रायसिंहनगर के परमिटधारी डोडा पोस्त व्यवसायियों की सूची नाम, मय पता तथा उपलब्ध डोडा पोस्त की मात्रा के सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के डोडा-पोस्तधारी व्यवसायियों द्वारा वर्ष 2009-10 में प्रस्तुत मासिक रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिले के थोक विक्रेता जिले में संचालित खुदरा विक्रेताओं को तथा खुदरा विक्रेता आबंटित परमिट धारियों को डोडा-पोस्त उपलब्ध कराते हैं। जिले की थोक व खुदरा दुकानात का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के डोडा-पोस्त व्यवसायी-श्री हस्तीमल पुत्र जोगाराम निवासी बगडी नगर, तहसील सोजत, जिला पाली है। विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के लिए डोड पोस्त व्यवसायी को उपलब्ध डोडा पोस्त का विवरण निम्नानुसार है:-

1. खुदरा डोडा-पोस्त दुकान रायसिंहनगर-21,620 किलोग्राम (अप्रैल, 2009 से फरवरी, 2010 तक)
2. खुदरा डोडा-पोस्त दुकान विजयनगर-7,760 किलोग्राम (अप्रैल, 2009 से फरवरी, 2010 तक)

(3) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के डोडा-पोस्त व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत मासिक रिपोर्ट संलग्न परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सारण ग्राम (मारवाड़ जंक्शन) की जनता जल योजना का आय-व्यय

284. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के सारण गांव में जनता जलदाय योजना की कार्यकारिणी का गठन किया गया है? यदि हां, तो कार्यकारिणी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्ष की उक्त ग्राम की जनता जलदाय योजना के आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 13.11.1997 को ग्राम पंचायत सारण, पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन की आयोजित बैठक में जनता जल योजना के अन्तर्गत पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु ग्रामवासियों के प्रार्थना पत्र के अनुसार निम्नानुसार समिति का गठन किया गया था-

(1) श्री खरताराम मेघवाल - अध्यक्ष

(2) श्री इन्द्रनाथ रावल - सचिव

(3) श्री देवी चन्द गुगलिया - सदस्य

(4) श्री धर्मीचन्द डक - सदस्य

(5) श्री अमरचंद लुहार - सदस्य

(6) श्री नाथूराम प्रजापत - सदस्य

(7) श्री चोलाराम मेघवाल - सदस्य

(2) ग्राम सारण की 'जनता जल योजना समिति' के वर्तमान अध्यक्ष श्री खरताराम मेघवाल द्वारा समिति के आय-व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के समाधान हेतु योजना

285. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाले पेयजल संकट एवं डार्कजोन क्षेत्रों में घटते भू-जल स्तर की दृष्टि में आवश्यक कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विवरण निम्नानुसार है:-

राज्य के 27 जिलों में सामान्य से कम वर्षा होने से भू-जल

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उपलब्धता में कमी एवं अधिकांश बांधों में पानी की नगण्य आवक के कारण उत्पन्न होने वाली पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए त्वरित मूल्यांकन कर आकस्मिक योजना दो भागों में निम्नानुसार स्वीकृत की गई है:-

(अ) प्रथम भाग (माह सितम्बर, 2009 से दिसम्बर, 2009):- इस भाग की माह अगस्त, 2009 में जारी स्वीकृति राशि रुपये 213.25 करोड़ के अन्तर्गत, राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 1324 नलकूप, 6853 हैण्डपम्प एवं 1491 सिंगल फेज बोरवेल एवं अन्य कार्यों की स्वीकृति आकलन उपरान्त जारी की गई। इस स्वीकृति के विरूद्ध अब तक 1180 नलकूप, 6250 हैण्डपम्प एवं 894 सिंगल फेज बोरवेल वेधन उपरांत 891 नलकूप, 5946 हैण्डपम्प एवं 699 सिंगल फेज बोरवेल चालू किये जा चुके हैं।

(ब) द्वितीय भाग (माह फरवरी, 2010 से अप्रैल, 2010):- इस भाग की दिनांक 20 फरवरी, 2010 को जारी स्वीकृति राशि रुपये 129.54 करोड़ के अन्तर्गत, राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 813 नलकूप, 3618 हैण्डपम्प एवं 866 सिंगल फेज बोरवेल एवं अन्य कार्यों का प्रावधान सम्मिलित है। इस स्वीकृति के विरूद्ध अब तक 13 नलकूप, 40 हैण्डपम्प एवं सिंगल फेज बोरवेल वेधन उपरांत 4 नलकूप तथा 2 हैण्डपम्प चालू किये जा चुके हैं।

उक्त योजनाओं अन्तर्गत शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने प्रस्तावित हैं ताकि आगामी ग्रीष्म में राज्य में पेयजल व्यवस्था सुचारू रहे।

(स) जल परिवहन:- वर्तमान में 35 शहरों एवं 1201 ग्राम/ढाणियों में सड़क मार्ग से एवं भीलवाड़ा शहर में रेल से जल परिवहन किया जा रहा है। जल परिवहन हेतु आगामी ग्रीष्म में 87 शहर एवं 11792 ग्राम/ढाणियों में जल परिवहन सम्भावित रहेगा।

धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पार्वती नदी से पेयजल आपूर्ति

286. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कई गांव पानी की समस्या से ग्रसित हैं? यदि हां, तो ऐसे गांवों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि रिचोराखेडा, टहरी, सखवारा, निधेराखुर्द,

(श्री अब्दुल सगीर खां)
मसलवर इत्यादि गांवों में पीने के पानी का गम्भीर संकट है? क्या सरकार पार्वती नदी पर उक्त गावों हेतु एनीकट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं । विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 158 आबाद ग्रामों में भू-जल उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान पेयजल व्यवस्था सुचारू एवं संतोषप्रद है।

उक्त क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था सामान्य बनाये रखने हेतु विभिन्न योजना अन्तर्गत राशि रुपये 44.60 लाख की 3 योजनाओं की स्वीकृति जारी की गई । इन योजनाओं में 4 नलकूप एवं 41 हैण्डपम्प निर्माण कार्यों का प्रावधान स्वीकृत है। योजनाओं की प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। वर्णित ग्रामों में विभागीय मानदण्ड अनुरूप हैण्डपम्प वर्तमान में क्रियाशील हैं। इन ग्रामों में वर्तमान पेयजल व्यवस्था का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

पार्वती नहीं पर फिजीबल स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त ग्रामों हेतु एनीकट निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में अवैध खनन की रोकथाम हेतु कार्य-योजना

287. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर में गत पांच वर्षो में अवैध खनन के कितने मुकदमे पुलिस थानों में दर्ज करवाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में अवैध खनन की रोकथाम हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है?

उत्तर

(1) जिला अलवर में गत पांच वर्षो में अवैध खनन के 38 मुकदमे पुलिस थानों में दर्ज कराये गये हैं। सूची प्रपत्र-''अ'' पर संलग्न है।

(2) अलवर जिले में अवैध खनन की रोकथाम हेतु समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर अवैध खनन की रोकथाम की जाती है। जिसमें पुलिस

(खनिज राज्य मंत्री)

विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, खान विभाग एवं परिवहन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी शामिल रहते हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

निझरना खनन क्षेत्र जिला राजसमन्द में सेक्सरिया मार्बल एवं मिनरल लिमिटेड द्वारा नियम विरुद्ध खनन की जांच

288. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि निझरना खनन क्षेत्र जिला राजसमंद के प्लाट संख्या 8 व 9 का खनन पट्टा एमएमसीआर 1986 के नियम 4 के विपरीत आबंटित किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि मैसर्स सेक्सरिया मार्बल्य एंड मिनरल्स लि. कंपनी निझरना खनन क्षेत्र के प्लाट संख्या 13, 14, 15, 16 एवं 10 में सन 1985 से कार्यरत था? यदि हां, तो कंपनी के डायरेक्टर कौन-कौन थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 4-11-95 को मैसर्स सेक्सरिया मार्बल्स एंड मिनरल्स लि. कंपनी द्वारा आर एस एम डी सी एवं सरकार को बकाया राशि नहीं चुकाने के कारण खनन बंद करवाकर खनन क्षेत्र का कब्जा लिया गया था?

(4) क्या यह सही है कि खनन नियमावली के अन्तगर्त विभागीय राशि के बकाया रहते हुए खनन पट्टा उसके संबंधी को आबंटित नहीं हो सकेगा? यदि हां, तो क्या नियमों का उल्लंघन कर पट्टा दिया जा सकता है?

(5) क्या यह भी सही है कि मैसर्स सेक्सरिया मार्बल्स एंड मिनरल्स लि.कंपनी के एक डायरेक्टर श्री बासुदेव सेक्सरिया की पत्नी श्रीमती चंदा अग्रवाल को नियमों के विपरीत खनन पट्टा संख्या 8 एवं 9 आबंटित किया गया? क्या नियमों के विपरीत खनन संख्या 8 एवं 9 के आबंटन के विरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत खनन विभाग को प्राप्त हुयी थी? क्या शिकायत में दिये गये बिन्दुओं पर कोई जांच हुई? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक जांच करवाया जाने का विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि खनन पट्टा संख्या 8 एवं 9 के लिए श्रीमती चंदा अग्रवाल ने खनन क्षेत्र चलाने के लिए बिना पंजीकृत करवाये

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अधिकार पत्र दिया है? यदि हां, तो किस रसीद क्रमांक और आवक क्रमांक से विभाग में दर्ज हुआ? बिना पंजीकृत अधिकार पत्र को विभाग द्वारा किन कारणों से स्वीकार किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि अवैध अधिकार पत्र के आधार पर मैसर्स सेक्सरिया मार्बल्स एंड मिनरल्स लि. कम्पनी को खनन पट्टा संख्या 9 एवं 10 में बिना बकायत चुकाये मैसर्स चंदा अग्रवाल के नाम से बिना सर्विस चार्ज दिये पट्टा आबंटन से सरकारी राजस्व की चोरी हुई है? यदि हां, तो कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह भी सही है कि निझरना खनन क्षेत्र जिला राजसमंद में मैसर्स सेक्सरिया मार्बल्स एंड मिनरल्स लि. को एम.एल. नं. 847/98/280 आबंटित हुआ है? यदि हां, तो खनन क्षेत्र में आबटी द्वारा कितनी मार्बल पिट पर कार्य करवाया जा रहा है? क्या खनिज विभाग द्वारा प्रत्येक पिट की साइज और निकाले जा रहे मार्बल का मौका मुआयना किया गया है? क्या निकाले गये माल के अनुसार सर्विस चार्ज एवं रायल्टी का भुगतान सरकार को किया जा रहा है? यदि हां, तो निरीक्षण कब किया गया और निरीक्षण के अनुसार रायल्टी एवं सर्विस चार्ज कितना जमा करवाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(9) क्या यह सही है कि आबंटी द्वारा खनन क्षेत्र में अलग-अलग पिटों पर किये जा रहे खनन का मौका मुआयना नहीं करने दिया जा रहा है? सरकार प्रत्येक पिट पर साइज के अनुसार निकाले गये माल का एवं उस पर कितना सर्विस चार्ज एवं रायल्टी चुकायी गयी, का विवरण सदन की मेज पर रखे? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) मैसर्स सेक्सरिया मार्बल्स एण्ड मिनरल्स लि. कम्पनी राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के रेजिंग कान्ट्रेक्टर के रूप में निझरना खनन क्षेत्र के प्लाट संख्या-10, 13, 14, 15 एवं 16 में सन् 1986 से कार्यरत थी। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.03.1989 से उक्त कम्पनी को खनन कार्य करने की अनुमति दी गई। कम्पनी में निम्न निदेशक थे :- 1. श्री राजकुमार हरलालका, 2. श्री गिरधारीलाल सेकसरिया, 3. श्री वासुदेव सेकसरिया, 4. श्री अशोक छावछरिया।

(3) संबंधित कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक

(खनिज राज्य मंत्री)

25.03.1989 की पालना नहीं करने के कारण आदेश दिनांक 25.03.1989 को निरस्त कर क्षेत्र का कब्जा दिनांक 6.11.1995 को लिया गया था।

(4) जी नहीं। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 4(4)(i) के तहत आवेदक अथवा आवेदक के परिवार के सदस्य के विरुद्ध यदि किसी भी प्रकार की बकाया है तो खनन पट्टा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आवेदक अथवा आवेदक के परिवार के सदस्यों के अलावा उसके संबंधियों पर यह नियम लागू नहीं है।

(5) जी नहीं। श्रीमती चंदा अग्रवाल को खनन पट्टा संख्या 8 एवं 9 स्वीकृत करने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी परन्तु शिकायत के साथ ठोस तथ्य एवं सबूत नहीं होने के कारण जांच की आवश्यकता नहीं समझी गई।

(6) जी हां। श्रीमती चंदा अग्रवाल द्वारा दिनांक 20.10.2003 को विशेष अधिकार पत्र दिया गया था जो सीधे ही फाइल किए जाने से रसीद क्रमांक व आवक क्रमांक अंकित नहीं है। तत्पश्चात श्रीमती चंदा देवी द्वारा इस सम्बन्ध में एक अन्य शपथ पत्र कार्यालय में पेश किया, जिससे पूर्व में दिए गए विशेष अधिकार पत्र की पुष्टि हो जाती है, उक्त शपथ पत्र कार्यालय के आवक शाखा में रसीद क्रमांक 6110 दिनांक 23.03.2009 पर दर्ज है। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17(1) (जी) के तहत सिर्फ इररिवोकेबल पावर आफ अटार्नी का ही पंजीयन करवाना आवश्यक है। (प्रति संलग्न है)

(7) जी नहीं।

(8) जी नहीं। एम.एल. नं. 847/98/280 नहीं होकर एम.एल. नं. 847/89 आबंटित हुआ है। खनन क्षेत्र में आबंटी द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के पिटों में ही कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक पिट की साइज के अनुसार निकाले जा रहे मार्बल की गणना हेतु मौका मुआयना नहीं किया गया है। क्षेत्र से निकाले जा रहे मार्बल की गणना जारी किए गए रवन्नाओं एवं तौल पर्चियों से की जाती है क्योंकि निकाला जा रहा सम्पूर्ण मार्बल बिक्री योग्य नहीं होता है व रवन्ना के अनुसार ही अधिशुल्क निर्धारण किया जाता है।

(9) जी नहीं, रायल्टी एवं सर्विस टैक्स की पिट वाइज गणना नहीं कर खनन पट्टा क्षेत्र से निर्गमित खनिज के अनुसार गणना की जाकर रायल्टी एवं सर्विस चार्ज की वसूली की जाती है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजसमन्द जिला कारागृह की कैदी क्षमता

289. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कुल कितनी जेले हैं? राजसमन्द शहर की जेल की कैदी क्षमता क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला कारागृह राजसमन्द में ताम्बा चोरी के मामले में कितने और किस-किस नाम से कैदी गत चार माह से बन्द हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त बन्द कैदियों में से कुछ की अदालत में जमानत होकर रिहाई हुई थी? यदि हां, तो किन-किन की? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि राजनगर पुलिस द्वारा उक्त व्यक्तियों को रिहा होते ही उक्त के खिलाफ द्वैषपूर्ण भावना से नाम पता झूंठा बतलाने की बात को लेकर धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज कर वापिस जेलों में बन्द कर दिया?

(5) क्या सरकार उक्त गलत तरीके द्वारा की गई कार्यवाही के विरुद्ध पुलिस के दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में 95 कारागृह एवं 13 बंदी खुला शिविर सहित कुल 108 कारागृह हैं। वर्तमान में जिला कारागृह, राजसमन्द की कैदी क्षमता 75 बंदियों को रखने की है।

(2) वर्तमान में जिला कारागृह, राजसमन्द मे ताम्बा चोरी के मामले में निम्नांकित कैदी बंद है, जिनका विवरण निम्न भांति है:-

क्र. सं.	नाम बंदी मय पिता व पते के	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	न्यायालय का नाम	कारागृह में प्रवेश होने की तिथि
1.	खलील मोहम्मद पुत्र नजर मोहम्मद, निवासी-मदापुर, थाना-फिरोजपुर, जिला-नूह, हरियाणा	136/09	389,365, 345,412 आई.पी.सी.	सी.जे.एम. राजसमन्द	23.11.2009

(कारागार राज्य मंत्री)

क्र. सं.	नाम बंदी मय पिता व पते के	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	न्यायालय का नाम	कारागृह में प्रवेश होने की तिथि
2.	जमशेद पुत्र अयुब खां, निवासी-रूपनगर रमहेड़ी, थाना-फिरोजपुर, जिला नूह, हरियाणा	361/09	384,342, 395,414, 411 आई.पी.सी.	सी.जे.एम. राजसमन्द	06.01.2010

(3) जी हां। जिला कारागृह, राजसमन्द में ताम्बा चोरी के मामले में अदालत से जमानत पर निम्नांकित बंदियों की रिहाई हुई हैः-

क्र. सं.	नाम बंदी मय पिता व पते के	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	न्यायालय का नाम	कारागृह में प्रवेश होने की तिथि	कारागृह से रिहा होने के तिथि
1.	अशोक पुत्र रामजीलाल, निवासी ए 156, सुरजलाल, विहार, थाना-आनन्द विहार, (पूर्वी दिल्ली)	361/09	389,365,345, 412 आई.पी.सी.	सी.जे.एम. कोर्ट राजसमन्द	23.11.2009	26.11.2009
2.	रसीद पुत्र अमरा, थाना-पुनहाना, जिला-नूह, हरियाणा	361/09	389,365,345, 412	सी.जे.एम. कोर्ट राजसमन्द	7.12.2009	11.12.2009 बंदी अन्य प्रकरण में वांछित होने से वर्तमान में उप कारागृह, कपासन में बंद है।
3.	राकेश सिंह उर्फ बबलू पुत्र रघुनाथ सिंह, निवासी-नूहड़ा, जिला-हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश	174/09	457,380,	सी.जे.एम. कोर्ट राजसमन्द	31.10.2009	12.01.2010

(कारागार राज्य मंत्री)

(4) यह सही नहीं है कि पुलिस द्वारा द्वेषपूर्ण भावना से किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। थाना राजनगर के प्र.स. 174/2009 धारा 457, 380 भा.द.स. में गिरफ्तार शुदा मुल्जिम श्री राकेश सिंह उर्फ बबलु पिता रघुनाथ सिंह, राजपूत निवासी-नुहड़ा, थाना कोरेन्ज, जिला हमीरपुर (हि.प्र.) को न्यायिक अभिरक्षा मे भिजवाया था। उक्त मुल्जिम की सकूनत तस्दीक कार्यवाही करवाई गई तो इस नाम का व्यक्ति उक्त बताये गये पते पर नहीं रहना बताया। मुल्जिम राकेश सिंह उर्फ बबलु की न्यायालय से जमानत हो जाने से कारागृह से दिनांक 12.01.2010 को रिहा हो चुका था एवं उक्त मुल्जिम द्वारा अपना नाम पता गलत बताने पर थान राजनगर पर प्र.स. 27/10 धारा 419, 420 भा.द.स. में दिनांक 12.01.2010 को पंजीबद्ध किया गया था, जिसमे वांदित होने से उसे कस्बा राजनगर से दिनांक 12.01.2010 को सायंकाल 8.45 पी.एम. पर गिरफ्तार किया गया।

(5) अभियुक्त द्वारा पुलिस को गलत नाम पता बताने से उसके विरुद्ध प्रकरण संख्या 27/10 धारा 419, 420 भा.द.स. कायम कर प्रकरण में वांछित होने से अभियुक्त को बाद जमानत राजनगर से गिरफ्तार किया गया है।

वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भीम के वन्य जीवों हेतु एनिकट निर्माण

290. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भीम की वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के जंगल में जंगली जानवरों के पेयजल हेतु बाधना नांके पर बांध या एनिकट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र भीम में वन्य जीव अभयारण्य के वन्य जीवों के पेयजल हेतु बाधना नाके के अन्तर्गत वन क्षेत्र में गौरीधाम व अन्य नालों में प्राकृतिक रूप से वर्ष भर पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। अत: बांध/एनीकट बनाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश के जन्तुआलयों में वन्य जीवों की मृत्यु की जांच

291. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(1) दिसम्बर, 2009 एवं जनवरी, 2010 में राज्य के किस-किस जंतुआलय में कब-कब कौन-कौन से जानवरों की कितनी संख्या में मौत हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वन्य जीवों की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह दिसम्बर 2009 एवं जनवरी 2010 में राज्य के जन्तुआलयों में वन्य जीवों की हुई मृत्यु का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नाम जन्तुआलय	मृत वन्य जीव का नाम	संख्या	मृत्यु की दिनांक	विशेष विवरण
1	जोधपुर	व्हाइट गूज	01	19.12.09	प्राकृतिक मृत्यु
2	जयपुर	चीतल चीतल	11 02	18.1.10 19.1.10	प्राकृतिक मृत्यु
3	उदयपुर	पी फॉल पी फॉल हायना चिंकारा	01 01 01 01	1.12.09 7.12.09 25.12.09 27.12.09	प्राकृतिक मृत्यु
4	बीकानेर	चिंकारा सांभर चिंकारा सफेद हिरण चिंकारा	01 01 01 01 01	14.12.09 21.12.09 28.12.09 18.1.10 24.1.10	प्राकृतिक मृत्यु
5	कोटा	दिसम्बर 09 व जनवरी 10 में किसी वन्य जीव की मृत्यु नहीं हुई			

(2) राज्य के जन्तुआलयों में बिन्दु संख्या 1 में वर्णित वन्य जीवों की मृत्यु किसी अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही से नहीं होकर प्राकृतिक कारणों से हुई है। अत: किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रकरण नहीं बनता है।

देई ग्राम (बूंदी) की वन भूमि पर अतिक्रमण

292. श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम देई (बूंदी) में वन भूमि है? यदि हां, तो किस खसरा नम्बर की कितनी-कितनी? खसरा नम्बरवार मय रकबे के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि रिकार्ड में दर्शाई हुई उक्त वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाई जाने के लिए समय-समय पर कार्यवाही की जाने के बाद भी वन भूमि पर उत्सव आयल मिल एवं अन्य निर्माण हो गए हैं? यदि हां, तो किस खसरा नम्बर की भूमि पर? अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई भूमि के विवरण सहित अतिक्रमियों की नामजद सूची मय खसरा एवं रकबे के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के लिए ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से तथा कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम देई में 1004 बीघा 02 बिस्वा वन भूमि है। जिसका खसरा नम्बरवार क्षेत्रफल परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु समय-समय पर अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती रही है। ग्राम देई की वन भूमि में उत्सव आयल मिल सहित अन्य द्वारा अतिक्रमण व निर्माण किये हुए हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है। इसके अलावा उक्त वन भूमि पर वर्षवार किये गये अतिक्रमणों के सम्बन्ध में अतिक्रमियों की नामजद सूची मय खसरा नम्बर व रकबा के परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(3) वन कर्मियों द्वारा समय-समय पर नियमानुसार कार्यवाही कर वन भूमि में अतिक्रमण की रोकथाम की जा रही है। पूर्व में किए गए अतिक्रमण को पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाकर वन भूमि मुक्त कराई जावेगी।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

हाथोली से ढीपरी सड़क की मरम्मत

293. श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री प्रेमचन्द)

क्या यह सही है कि ग्राम हाथौली से ढीपरी चम्बल को मिलाने वाली सड़क जर-जर स्थिति में है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में सड़क की स्थिति संतोषजनक है। सड़क मरम्मत कार्य आवश्यकता अनुसार एवं उपलब्ध संसाधनानुसार कराया जाता है।

नदबई बाइपास सड़क निर्माण

294. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' (नदबई) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र नदबई में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के तहत कितने मार्गों को शामिल किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कस्बा नदबई में नदबई बाइपास निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नदबई में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 25 नवीन सड़कों का निर्माण किया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है। इसी योजना में अपग्रेडेशन के 2 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 1 स्वीकृत कार्य की निविदायें प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है। राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भारत सरकार को प्रेषित किये गये प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट-3 में प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। कस्बा नदबई में बाइपास का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कामां विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण

295. श्रीमती जाहिदा (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र कामां में चालू वर्ष में किन-किन सड़कों का निर्माण किस योजना के तहत कराया जा रहा है और किन-किन सड़कों के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र कामां में वित्तीय वर्ष 2009-2010 में प्रगतिरत एवं स्वीकृत कार्यों का योजनावार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 व 2 में प्रस्तुत है। विधान सभा क्षेत्र कामां हेतु सरकार को प्राप्त सड़कों के प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बयाना विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

296. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बयाना से भरतपुर, बयाना से रूदावल-रूपवास, रूदावल से जटमासी होकर रूपवास, रूदावल से वाया बंसीपहाड़पुर रूपवास, बयाना से बडागांव खेड़ला, बयाना से छोकरवाडा बयाना से हिण्डौन, बयाना से बसेड़ी सड़क गड्डे पड़ने से खराब हो चुकी है? क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत या चौड़ाईकरण प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के तहत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता बयाना खण्ड में प्रतिवर्ष 2.25 करोड़ रुपये की राशि मरम्मत हेतु स्वीकृत की जाती है? यदि हां, तो क्या उक्त राशि से उक्त सड़कों की भी मरम्मत कराई जा सकती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रश्नगत निम्नलिखित सड़कें आंशिक क्षतिग्रस्त हैं। सड़कों की वर्तमान स्थिति परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

1.	बयाना भरतपुर सड़क-राज्य राजमार्ग	36 कि.मी
2.	बयाना रूदवाल रूपवास सड़क-राज्य राजमार्ग	35.60 कि.मी
3.	रूदवाल से जटमासी होकर रूपवास	
	अन्य जिला सड़कें	3.00 कि.मी
	ग्रामीण सड़कें	15.80 कि.मी
4.	रूदवाल से वाया बंशी पहाड़पुर रूपवास	
	अन्य जिला सड़कें	9.00 कि.मी
	ग्रामीण सड़कें	11.00 कि.मी

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

5.	बयाना से बड़ा गांव खेड़ला	
	राज्य राजमार्ग	5.00 कि.मी
	अन्य जिला सड़कें	24.50 कि.मी
6.	बयाना से छौंकरवाड़ा	
	राज्य राजमार्ग	18.00 कि.मी
	अन्य जिला सड़कें	19.00 कि.मी
7.	बयाना से हिण्डौन	
	राज्य राजमार्ग	14.00 कि.मी
8.	बयाना से बसेड़ी	
	राज्य राजमार्ग	25.00 कि.मी
	अन्य जिला सड़कें	5.00 कि.मी

उपरोक्त में क्र.सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 व 8 में जो लम्बाई राज्य राजमार्ग सड़कों की है, उन पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मरम्मत व चौड़ाईकरण का कार्य नहीं कराया जा सकता।

रूदावल से जटमासी होकर रूपवास सड़क के 15.80 कि.मी. लम्बाई में अपग्रेडेशन का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रूपवास से राजपुरा के कार्य में प्रस्तावित है।

शेष ग्रामीण सड़कों के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चौड़ाईकरण के कार्य प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बयाना में सड़कों की साधारण मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 (माह फरवरी, 2010 तक) में क्रमश: रु. 75.49 लाख, रु. 52.10 लाख एवं रु. 92.14 लाख की राशि व्यय की गई है। सड़कों के साधारण मरम्मत के कार्य विभाग द्वारा उन सभी सड़कों पर कराये जा सकते हैं, जो कि संवेदक की गारण्टी अवधि में नहीं हैं। गारण्टी अवधि की सड़कों की मरम्मत निर्माण करने वाले संवेदक के माध्यम से कराई जाती है। उपलब्ध संसाधनों व सड़क की स्थिति अनुसार मरम्मत कराई जाती है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ढण्ड से भानपुर कलां (जयपुर) सड़क का घटिया निर्माण कार्य

297. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि दिल्ली बाइपास स्थित ढण्ड से भानपुर कलां तक सड़क निर्माण किया गया है? यदि हां, तो कब व इस पर कितनी राशि व्यय की गई तथा उक्त सड़क की गुणवत्ता की जांच किसके द्वारा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़क किस ठेकेदार/एजेंसी द्वारा बनाई गई? क्या उक्त सड़क के ठेकेदार/एजेंसी को पूरा भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कितना व कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क जगह-जगह से टूट गई है? क्या सरकार उक्त ठेकेदार/एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया है। प्राधिकरण द्वारा ढण्ड से भानपुर कलां तक पूर्व में बनी सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य वर्ष 2008-09 में किया गया। इस कार्य के अन्तर्गत इस भाग पर 27.00 लाख रुपये व्यय किया गया। उक्त सड़क की गुणवत्ता की जांच जयपुर विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं द्वारा की गई है।

(2) उक्त सड़क का निर्माण मैसर्स गुप्ता के. एन. द्वारा किया गया। जी नहीं, संवेदक को पूर्ण भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं। उक्त सड़क कुछ स्थानों पर ही क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसे संवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर ठीक कर दिया गया है।

पान्हौरी-नरायणा कटता ग्राम की अपूर्ण सड़क का निर्माण कार्य

298. श्रीमती अनिता सिंह (नगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर वाया डीग अलवर रोड के किमी 40 ग्राम पान्हौरी और नरायणा कटता के मध्य बनी हुई डामर सड़क को जे सी बी से करीब 6 माह पहले खुदवा दिया गया? यदि हां, तो उस पर अभी तक निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं किया गया?

(2) क्या सरकार उक्त मार्ग का शीघ्र निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्रीमती अनिता सिंह)

(3) क्या सरकार ने दोषी अधिकारियों एवं संवेदकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भरतपुर-डीग-अलवर रोड के कि.मी. 41 में सी.आर.एफ. योजना के तहत किये गये डामरीकरण का कार्य लगभग 500 मीटर लम्बाई में क्षतिग्रस्त होने पर पाट होल्स एवं अण्डूलेशन्स को ठीक करने के लिये सड़क की सतह को माह दिसम्बर, 2009 में यातायात को हो रही असुविधा को देखते हुए जे.सी.बी. मशीन द्वारा समतल किया गया है।

सड़क का यह भाग संवेदक की गारण्टी अवधि में है तथा संवेदक द्वारा मरम्मत कार्य पुन: प्रारम्भ नहीं करने के कारण विभाग द्वारा संवेदक के हर्जे खर्चे पर कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है।

(2) जी हां। कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है। मरम्मत कार्य माह अप्रैल, 2010 तक करवा लिया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। अधिकारियों के दोष निर्धारण हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर जोन की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर शेष कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। दोषी संवेदक को अनुबन्ध के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये हैं तथा मरम्मत कार्य नहीं करने पर संवेदक के हर्जे खर्चे पर विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है। संवेदक के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-अ

संवेदक के विरुद्ध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	जारी किये गये नोटिस का क्रमांक व दिनांक	संवेदक के हर्जे खर्चे पर निविदा आमंत्रित करने का क्रमांक व दिनांक	विशेष विवरण
1	खण्ड-कुम्हेर	7714-16 दिनांक 17-03-2009	-	500 मीटर लम्बाई में सड़क कि.मी. 41 में क्षतिग्रस्त पाई गई है।
2	वृत्त भरतपुर	529-31 दिनांक 24-04-2009	-	
3	खण्ड-कुम्हेर	1821-25 दिनांक 10-07-2009	5/2009-10 3418-38 दिनांक 07-09-2009 7/2009-10 3903-20 दिनांक 18-09-2009 13/2009-10 5723-39 दिनांक 26-11-2009	
4	खण्ड-कुम्हेर	7754-58 दिनांक 23-02-2010	22/2009-10 7493 दिनांक 04-03-2010	

फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

299. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के कस्बा फतेहपुर की कौन-कौन सी सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कें कब बनाई गई तथा इनकी मरम्मत कब-कब करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में उक्त सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? क्या सरकार उनकी मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के कस्बा फतेहपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों की सूची परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

(2) उक्त सड़कों के निर्माण, नवीनीकरण एवं मरम्मत सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(3) जी हां। परिशिष्ट-1 में वर्णित 4 सड़कों में से क्रम संख्या 1 पर उल्लेखित एन.एच.-11 से फतेहपुर कस्बा सड़क 25 मीटर लम्बाई में क्षतिग्रस्त है। जिसके मरम्मत का कार्य प्रगतिरत है तथा मार्च, 2010 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य

300. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ (जोधपुर) में गत तीन वर्षों में कौन-कौन सी डामर सड़क की मरम्मत/नवीनीकरण किया गया है?

(2) उक्त क्षेत्र में कौन-कौन सी ग्रेवल सड़कों को नई डामर सड़क बनाया गया तथा और कौन-कौन सी डामर सड़कों का नवीनीकरण किया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में गत तीन वर्षों (2006-07, 2007-08 एवं 2008-09) में मरम्मत की गई डामर सड़कों की सूची परिशिष्ट-1 में एवं नवीनीकरण की गई सड़कों की सूची परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है।

(2) भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में गत 3 वर्षों में ग्रेवल से नई डामर सड़कों के निर्माण की सूची परिशिष्ट-3 में प्रस्तुत है। नवीनीकरण हेतु स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यों की सूची परिशिष्ट-4 में प्रस्तुत है। भविष्य में सड़कों का नवीनीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर निर्भर करेगा।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र में एनिकटों का निर्माण

301. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में एनिकट निर्माण

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

कराये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां कितने एनिकट बनाये हैं और उक्त एनिकटों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

जी हां। जल संसाधन विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में 107 एनिकटों का निर्माण कराया गया है। एनिकटों की सूची मय स्थान के परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। वर्तमान में सभी एनिकट ठीक स्थिति में एवं सुरक्षित हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भरतपुर जिले में बी.पी.एल. परिवार की पुत्रियों के विवाह हेतु देय सहायता

302. श्री बहादुर सिंह (वैर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भरतपुर में दिनांक 01 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2010 तक बी.पी.एल. परिवार की पुत्री के विवाह की सहायता हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि छह माह से ज्यादा की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी आवेदकों को भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो किन-किन को व क्यों और अब उनको कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर में दिनांक 01 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2010 तक बी.पी.एल. परिवार की पुत्री के विवाह योजना के तहत सहायता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) छह माह के अवधि से अधिक लम्बित आवेदनों का भुगतान आवेदनों में रही कमियों के कारण नहीं हो सका है।

अब कमी पूर्ति पश्चात् संलग्न सूची में बताये प्रकरणों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा। सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

आवासीय विद्यालयों में छात्रों को देय मैस भत्ता

303. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

वर्ष 2009 में अनुसूचित जन जाति छात्रावास, आश्रम छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में रह रहे कितने छात्रों को बढ़ा हुआ मैस भत्ता दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2009 में अनुसूचित जनजाति छात्रावास, आश्रम छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में निवासरत छात्रों को निम्नानुसार बढ़ा हुआ मैस भत्ता दिया गया है:-

अनु. जनजाति छात्रावास (छात्र संख्या)	आश्रम छात्रावास (छात्र संख्या)	आवासीय विद्यालय (छात्र संख्या)
9439	14481	9173

कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को देय छात्रवृत्ति

304. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) :क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने छात्रावास संचालित हैं तथा उनमें कितने-कितने छात्र रह रहे हैं और उनको कितनी-कितनी छात्रवृत्ति दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संचालित छात्रावासों में रह रहे छात्रों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या दी जा रही सुविधाएं नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार पूर्ण हैं ? यदि हां, तो दी जा रही सुविधाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की बकाया छात्रवृत्ति कितनी है तथा कब तक छात्रवृत्ति दे दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में विभाग द्वारा अनु. जाति के 2, अनु. अनुजाति का 1 कुल तीन छात्रावास संचालित हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

क्र.सं.	नाम छात्रावास	योजना	स्वीकृत संख्या	प्रवेशित वर्ष 2009-10 छात्र संख्या
1.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कोटपूतली	अनु. जाति	105	105
2.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पावटा	अनु. जाति	25	25
3.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बनेठी	अनु. जनजाति	35	35

(2) इन छात्रावासों में रह रहे छात्रों को नि:शुल्क आवास, भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईंधन, स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, जूते-मौजे, तालिये एवं गर्म जर्सी, सिर पर लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन, बाल कटिंग, चद्दर, तकिया खोली एवं खेस आदि की धुलाई, बिजली, पानी, समाचार पत्र-पत्रिकाएं, सोने के बिस्तर व भोजन के बर्तन, शिक्षण प्रशिक्षण हेतु पुस्तकें, खेलकूद का सामान एवं कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा आदि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। ये सभी सुविधाएं छात्रावास में निवासरत छात्रों को विभागीय नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(3) छात्रावास में रह रहे छात्रों को विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार सभी सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अत: इन छात्रावासों में निवासरत छात्रों को किसी प्रकार की छात्रवृत्ति देय नहीं है।

नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन

305. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति के निर्माण का आदेश कब जारी किया गया? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार को जनवरी, 2010 तक इस सम्बन्ध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा कितनी समितियों का गठन किया गया ?

उत्तर

(1) मंत्रीमण्डल की आज्ञा 96/89 दिनांक 16.7.1989 द्वारा राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति खोले जाने का निर्णय लिया गया था किनतु मंत्रीमण्डल की आज्ञा 193/91 दिनांक 10.10.1991 द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक 16.7.1998 को निरस्त कर दिया गया ।

पुन: मंत्रीमण्डल की आज्ञा 183/2008 दिनांक 6.10.2008 द्वारा राज्य में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों पैक्स/लैम्पस के गठन करने सम्बन्धी प्रस्तावों का अनुमोदन करने पर इस सम्बन्ध में विभाग के आदेश क्रमांक प.82(1)सविरा/प्लान 11/67 दिनांक 6.10.2008 तथा 14.10.2008 को आदेश जारी किये गये। तदोपरान्त मंत्रीमण्डल की आज्ञा 113/2009 दिनांक 4.12.2009 की अनुपालना में क्रमांक प.82(1)सविरा/योजना/11/08 दिनांक 14.12.2009 को सुंशोधित आदेश प्रसारित किये गये हैं। (प्रति संलग्न)

(2) जनवरी 2010 तक इस सम्बन्ध में 167 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं गठन सम्बन्धित शर्तो की पूर्ति नहीं होने के कारण 163 प्रस्ताव पुन: पूर्ति हेतु सम्बन्धित उप/सहायक रजिस्ट्रार को भिजवाए गए हैं। 4 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति के पश्चात् गठन हो गया है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रतापगढ़ जिले के ओलावृष्टि प्रभावित गांव

306. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सहायता एवं अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला प्रतापगढ़ की तहसील अरनोद की ग्राम पंचायत बोरदिया, निनोर व साखथली खुर्द में हुई ओलावृष्टि से कितने क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा तथा कितने काश्तकार प्रभावित हुये? ग्रामवार, काश्तकार के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने ओलावृष्टि से हुये नुकसान की गिरदावरी कराई है? यदि हां, तो प्रभावित काश्तकार को मुआवजे में कितनी-कितनी राशि सहायता के रूप में देने का प्रावधान रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला प्रतापगढ़ की तहसील अरनोद की ग्राम पंचायत बोरदिया, निनोर एवं साखथली खुर्द में ओलावृष्टि से फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(सहायता एवं अकाल राहत राज्य मंत्री)

(2) उक्त ग्राम पंचायतों में ओलावृष्टि से फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है इसलिए गिरदावरी नहीं करायी गयी है।

बीकानेर एवं कोलायत तहसील में खनन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र

307. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा तहसील बीकानेर एवं कोलायत के किन-किन खान मालिकों को पर्यावरण क्लीयरेंस कब-कब दिया गया? सूची मय नाम एवं दिनांक के सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा किन-किन शर्तों पर कनसेन्ट टू आपरेट जारी किया गया? उक्त सभी शर्तों/परिपत्र की प्रतियां मय दिनांक के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जिन शर्तों पर कन्सेन्ट टू आपरेट जारी किया गया है, उन सभी शर्तों का मौके पर पालन किया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन जगहों पर और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार प्रदूषण मण्डल द्वारा जारी कन्सेन्ट टू आपरेट में शामिल शर्तों का पालन न करने वालों का कन्सेन्ट आदेश निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1994 से 5 हैक्टर से बड़ी प्रधान खनिज की लीज की खानों में खनन कार्य हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनिवार्यता स्थापित की गई थी, एवं यह स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती थी।

वर्ष 2006 से सभी प्रकार के खनिजों का 5 हैक्टर या उससे बड़ी खानों से खनन हेतु पर्यावरण स्वीकृति की अनिवार्यता स्थापित की गई है, जिसमें से 50 हैक्टर से छोटी खनिज की लीज के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत अधिकार राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (भारत सरकार द्वारा गठित) को प्रदत्त कर रखा है।

राज्य मण्डल में उपलब्ध सूचना के अनुसार तहसील बीकानेर एवं कोलायत में प्रचलित 59 पर्यावरणीय स्वीकृतियों का ब्यौरा परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) तहसील बीकानेर एवं कोलायत में जिन 59 खानों द्वारा पर्यावरण

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

क्लीयरेन्स प्राप्त कर रखा है उनमें से 52 खानों को राज्य मण्डल द्वारा जारी की गई वर्तमान में मान्य संचालन सम्मति (कनसेन्ट टू आपरेट) की प्रतियां संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई हैं। सम्मति पत्रों में शर्तें उल्लेखित हैं।

(3) मण्डल द्वारा गत दो वर्षों में खण्ड 2 में वर्णित 52 खानों में से 41 खनन इकाइयों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि खनन इकाइयों द्वारा सामान्यत: कन्सेन्ट टू आपरेट में अध्यारोपित शर्तों की पालना की गई है। सभी 41 प्रकरणों में वृक्षारोपण की शर्त की पूर्ण पालना नहीं होना पाया गया है।

मण्डल द्वारा अध्यारोपित वृक्षारोपण की शर्त की पूर्ण पालना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं पानी की कमी के कारण सम्भव नहीं हो पाती है।

(4) जी नहीं। कन्सेन्ट टू आपरेट के अधीन निर्दिष्ट वे शर्तें जो निर्धारित प्रदूषण मानकों के अनुसार उच्छिष्ठ/उत्सर्जन सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित की जाती हैं, की अनुपालना नहीं होने पर ही कन्सेन्ट टू आपरेट प्रत्याहरित करने की कार्यवाही की जाती है। ऐसी शर्तें जो सहायक के बतौर निर्धारित होती हैं सामान्यत: उनके उल्लंघन में कन्सेन्ट टू आपरेट प्रत्याहरित करने की कार्यवाही नहीं की जाती है। जैसा ऊपर वर्णित है, इन सभी प्रकरणों में सहायक शर्तों की ही अनुपालना नहीं हुई है।

(ब्यौरा विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

डीडवाना परिवहन आगार में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पद

308. श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि परिवहन आगार डीडवाना में अधिकांश बसें कंडम घोषित की जा चुकी हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आगार में लम्बे समय से प्रबन्धक (यातायात), कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय सहायक, यातायात निरीक्षक, सहायक यातायात निरीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, विधि सहायक, कनिष्ठ अभियंता, प्रथम श्रेणी मैकेनिक, द्वितीय श्रेणी मैकेनिक, तृतीय श्रेणी मैकेनिक, सुरक्षा प्रहरी, च.श्रे. कर्मचारी, स्वीपर, पत्रक वितरक, परिचालक और चालक के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या सरकार उक्त आगार में कंडम बसों के स्थान पर नवीन बसें आबंटित करने, रिक्त पदों को भरने तथा डीडवाना-अहमदाबाद वाया भीलवाड़ा-

(श्री रूपाराम डूडी)

उदयपुर मार्ग, डीडवाना-दिल्ली वाया नीम का थाना (रात्रि सेवा) बस सेवा संचालन को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) डीडवाना आगार की सबसे अधिक पुरानी 05 वाहनों को नकारा घोषित किया जा चुका है, उनके स्थान पर 07 नई वाहनें आबंटित की चुकी है, वर्तमान में डीडवाना आगार में माडलवाइज वाहनों की स्थिति निम्नानुसार है:-

माडल	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009
वाहनों की संख्या	02	05	01	19	21	09	02

(2) डीडवाना आगार अक्टूबर, 2005 में स्थापित हुआ है, स्थपना के पश्चात से कुछ पद रिक्त हैं जिनकी सूची परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(3) डीडवाना आगार में पुरानी 05 वाहनों को नकारा घोषित किया जा चुका है, उनके स्थान पर 07 नई वाहनें आबंटित की जा चुकी हैं। खण्ड '2' में वर्णित रिक्त पदों में राज्य सरकार से केवल चालक, परिचालक, आर्टिशियन ग्रेड-द्वितीय एवं तृतीय के पदों को भरे जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिन्हें भरने बाबत दिनांक 5.3.2010 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है।

डीडवाना-अहमदाबाद वाया भीलवाड़ा-उदयपुर व डीडवाना-दिल्ली वाया नीम का थाना (रात्रि सेवा) का संचालन आय कम प्राप्त होने एवं हानिप्रद रहने के कारण बन्द किया गया है। निगम द्वारा पुन: इन मार्गों का सर्वे करवाकर गुणावगुण के आधार पर संचालन किया जावेगा।

परिशिष्ट-1

डीडवाना आगार में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	प्रबन्धक (यातायात)	01	-	1
2	कनिष्ठ लेखाकार	03	1	2
3	कार्यालय सहायक	निल	निल	निल
4	यातायात निरीक्षक	02	01	01

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
5	सहायक यातायात निरीक्षक	05	02	3
6	वरिष्ठ लिपिक	05	02	03
7	कनिष्ठ लिपिक	12	05	07
8	विधि सहायक	निल	निल	निल
9	कनिष्ठ अभियन्ता	03	02	01
10	मैकेनिक ग्रेड-प्रथम	08	05	03
11	मैकेनिक ग्रेड-द्वितीय	12	04	08
12	मैकेनिक ग्रेड-तृतीय	17	16	01
13	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	04	01	03
14	स्वीपर	02	01	01
15	पत्रक वितरक	10	05	05
16	परिचालक	109	104	05
17	चालक	110	110	निल

बामनवास विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित संस्कृत महाविद्यालय

309. श्री नवलकिशोर (बावनवास) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास में संस्कृत महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कहां-कहां हेतु?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बामनवास में संस्कृत महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सुकार (सवाई माधोपुर) में शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

(2) जी हां। बजट प्रावधान होने तथा निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने वाले प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

कृषि उपज मण्डी जैतसर (श्रीगंगानगर) में यार्ड का निर्माण

310. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि मण्डी जैतसर, जिला श्री गंगानगर में कृषि यार्ड का निर्माण प्रस्तावित है? यदि हां, तो सरकार उक्त निर्माण कब तक पूरा कराने का विचार रखती है?

उत्तर

जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति ने इस हेतु 209.77 लाख के निर्माण कार्य प्रस्तावित किये हैं। जिनकी स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

खेडली (अलवर) के सचिव, कृषि उपज मण्डी के विरुद्ध विचाराधीन जांच

311. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सचिव, कृषि उपज मण्डी, खेडली जिला अलवर के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान सचिव के विरुद्ध एक प्राथमिक जांच प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-1

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं

अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण निगम लि., बीकानेर वृत्त कार्यालय द्वारा नकली छापामार कार्यवाही कर काश्तकारों के कनेक्शन काटा जाना

कार्यालय अधीक्षण अभिश्न्ता विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बीकानेर में काश्तकारों के यहां कार्यरत अभियन्ताओं को मासिक बंदी न देने पर नकली छापामार कार्यवाही कर उनके कनेक्शन काटे जाते हैं और फिर एस.ई, बीकानेर की अध्यक्षता में मनमाने नियम विरुद्ध फैसले किये जाते हैं, ऐसे सैकड़ों कैसेज हैं। आपके माध्यम से मंत्रीजी को उदाहरण प्रस्तुत कर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

गाढ़वाला रोड, बीकानेर स्थित काश्तकार के यहां रिश्वत न देने से ए.ईएन. विजीलेंस ने छापा मारा और स्वयं ने मीटर बाक्स व मीटर की सीलें तोड़कर वीसीआर भरी और दोनों कनेक्शनों में जो अलग-अलग खेतों में हैं क्रमश: 80 और 90 हजार का जुर्माना लगाया जबकि न तो बिजली की चोरी हो रही थी और न ही मीटर धीमे चल रहे थे जो बाद में विभागीय जांच में प्रमाणित हो भी गये।

काश्तकार की मांग पर एक कनेक्शन खाता संख्या 104/107 के मीटर की लेबोरेटरी जांच दिनांक 10-10-2009 को करायी गयी तब मीटरजप्ती सील खोली गयी तो उसकी रीडिंग 585.03 थी जबकि वीसीआर भरते समय रीडिंग 582.08 थी अर्थात् 50 यूनिट का फर्क आ गया।

समझौता समिति में आवेदन करने पर खाता संख्या 104/107 की सुनवाई दिनांक 29-10-2009 को की गयी तथा खाता 102/98 की सुनवाई लम्बित रख दी गयी और उसके बाद विभाग ने अपनी गलती मानते हुए समझौता समिति ने प्रस्ताव किया कि सुपर-ट्रांसफार्मर लगाकर उसकी रीडिंग के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाय और कनेक्शन चालू कर दिया जाय।

दूसरा कनेक्शन 102/98 की आज तक मीटर लेबोरेटरी जांच काश्तकार के सामने नहीं हुई और उसका निर्णय समझौता समिति ने 10-3-2010 को पिछले छह माह पूर्व की औसत चार्ज करने का प्रस्ताव रखा जिसे काश्तकार के प्रतिनिधि ने स्वीकार कर लिया और खाली निर्णय शीट पर

हस्ताक्षर करवा लिये। आदेश की प्रति दी उसमें छह माह को बदल कर चार वर्ष पुराना औसत लिख दिया जिस पर एस.ई. से बात करने पर उन्होंने कहा कि यह लिपिकीय गलती है जो दुरूस्त कर दी जायेगी परन्तु समझौता समिति ने पुनर्विचार करने को मना कर दिया। जबकि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के तहत यह अवधि अधिकतम दो वर्षीय हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार काश्तकारों को हैरान परेशान किया जाता है और रिश्वत न देने पर मनमाने ढंग से फैसले किये जाते हैं। इस काश्तकार का कनेक्शन भी लगभग छह माह से अभी तक नहीं किया गया है। अत: मैं विद्युत मंत्रीजी से मांग करता हूं कि कृपया तत्काल हस्तक्षेप कर न्याय दिलावें।

डा. विश्वनाथ मेघवाल

(खाजूवाला)

राज्य कर्मियों की मेडिक्लेम पालिसी में संशोधन एवं अनुमोदित चिकित्सालयों के रोग प्रमाण-पत्रों को मान्यता की आवश्यकता

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.1.2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मियों को राज्य सरकार के आदेश 12.8.2005 के अनुसार चिकित्सा सुविधा हेतु मेडिक्लेम पोलिसी के तहत राज्य में स्थित समस्त राजकीय अस्पतालों एवं अनुमोदित निजी एवं ट्रस्ट संचालित चिकित्सालयों में पुनर्भरण/नकद विहीन चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है। जबकि हकीकत तो यह है कि उक्त पालिसी के तहत राज्य कर्मियों को अनुमोदित निजी एवं ट्रस्ट संचालित अस्पतालों में मरीज के भर्ती होने पर ही यह सुविधा देय है । कई ऐसी गम्भीर बीमारियां हैं जिनका इलाज अस्पताल से मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद भी एक-एक साल, दो-दो साल तक चलता रहता है। ऐसे मेडिकल बिलों के पुनर्भरण की कोई व्यवस्था इस पालिसी के अन्तर्गत नहीं की गई है। इससे दिनांक 1.1.2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मियों में भारी रोष व्याप्त चलता है उन बिलों के पुनर्भरण की व्यवस्था कराया जाना हो रहा है। उक्त पालिसी में अस्पताल से मरीज के डिस्चार्ज होते के बाद भी उसका जो इलाज अति-आवश्यक है ताकि राज्य कर्मियों में असंतोष न हो। कई बार सर्दी, जुकाम या बुखार होने पर विशेष परिस्थितियों में चिकित्सक के घर पर मरीज को दिखाने के पश्चात् उसका इलाज दो-दो, तीन-तीन महीने तक चलता है। उक्त प्रकार के इलाज की भी सुविधा इन राज्य कर्मियों को उपलब्ध नहीं है। जबकि सभी राज्य कर्मियों को

जो दिनांक 1.1.2004 से पूर्व नियुक्त हुए हैं उनको दी हुई है अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिन राज्य कर्मियों की नियुक्ति उक्त दिनांक के पश्चात् हुई हैं उन राज्य कर्मियो के साथ दोहरा व्यवहार न करते हुए उक्त राज्य कर्मियो को भी यह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उक्त मेडिक्लेम पालिसी के तहत अनुमोदित निजी एवं ट्रस्ट संचालित अस्पतालों में इलाज कराने पर निजी अनुमोदित चिकित्सालयों के चिकित्सकों द्वारा जारी रोग प्रमाण को भी कई सरकारी विभागों में मान्य नहीं किया जाता है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

अतः मेरी पुरजोर शब्दों में राज्य सरकार से यह मांग है कि दिनांक 1.1.04 के पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मियों की मेडिक्लेम पालिसी में संशोधन करने एवं अनुमोदित निजी एवं ट्रस्ट संचालित चिकित्सालयों के चिकित्सकों द्वारा जारी रोग प्रमाण पत्र को समस्त राजकीय कर्मचारियों के संदर्भ में राजकीय विभागों में स्वीकार/मान्य किए जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं।

गोपाल मीणा

(जमवारामगढ़)

दरीबा व सिन्देसर की खदानों व अन्य परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार

यह कि उपरोक्त विषय में निवेदन है कि :-

1. यह कि वेदान्ता समूह दरीबा की खदान लम्बे समय से लीज पर है, सिन्देसर की कुछ समय पूर्व हुई है। उसके बाद दरीबा स्मेल्टर एवं पावर प्रोजेक्ट की विस्तारीकरण की योजना की क्रियान्विति अंतिम दौर में है।
2. यह कि अन्य कार्यों से क्षेत्र की जनता में विकास एवं रोजगार के अवसरों की आशा जगी जो एक सुखद भविष्य की ओर से अग्रसर होने का अवसर है।
3. यह कि क्षेत्र के इस सुखद राह में कांटे भी खड़े हैं जिनका विवरण इस प्रकार से है।
4. यह कि प्रभावित क्षेत्र के कुशल एवं अकुशल लोगों को रोजगार देने में राजनैतिक भेदभाव नहीं बरता जावे।
5. पेयजल की स्थाई समाधान हेतु वेदान्ता समूह एवं राज्य सरकार मिलकर वृहत परियोजना तैयार कर अमल करावें।

6. कृषि प्रधान क्षेत्र होने से जलवायु की रक्षा एवं खेती की समस्या के समाधान हेतु कृषि एवं मौसम वैज्ञानिकों द्वारा सर्वे कराई जाकर पर्यावरण संतुलन बना रहे उस हेतु समाधान की परियोजना तैयार करा अमल में लाई जावे एवं भूखे प्यासे पशुओं के लिये गौशाला का निर्माण एवं संचालन प्रबन्धक की व्यवस्था करावें।

7. भारी वाहनों के कारण होने वाली परेशानी एवं दुर्घटना की कमी के निवारण हेतु फतहनगर से खण्डेल प्रस्तावित सड़क को सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ी करने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा पूरा स्वीकृत कराये जाने में सहयोग प्रदान करावें, इस सन्दर्भ में पूर्व में पंचायतराज के जनप्रतिनिधि द्वारा मुख्य मंत्री महोदय को ज्ञापन आपके माध्यम से दिया जा चुका है।

8. गंधक के तेजाब से पैदा होने वाले प्रदूषण के निवारण हेतु आवश्यक प्रोजेक्ट लगाया जावे।

9. टेलींग डेम सुनारिया खेड़ा के कारण क्षेत्र में कृषि भूमि अनुपजाउ होने से पेयजल की काफी समस्या आ रही है, ऐसे दो टेलींग डेम जो और बनने की योजना है उसको किसानों एवं क्षेत्र के निवासियों के हितों को ध्यान में रखकर अमल में लाई जावे।

10. बाहर के जो लोग रोजगार हेतु यहां पर आये हुए हैं, जहां-जहां वे किराये पर रह रहे हैं उनकी सूची पुलिस थाना ग्राम पंचायत एवं जिस गांव में उनकी उपस्थिति है, मय फोटो पहचान पत्र रखी जाये एवं चौराहे पर चस्पा की जावे।

11. दरीबा पुलिस चौकी का जाप्ता बढ़ाया जावे तथा थाने में क्रमोन्नत किया जावे और ट्रैफिक नियंत्रण की व्यवस्था की जावे।

12. यह कि प्रभावित क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिये आधुनिक सुविधा एवं चिकित्सा विशेषज्ञों से युक्त एक चिकित्सालय का निर्माण एवं संचालन की व्यवस्था की जावे। शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, पेयजल स्वच्छता आदि की समस्याओं के समाधान में वेदान्ता समूह की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।

13. यह कि रोजगार के कारण उत्पन्न होने वाले असंतोष के कारण पूर्व में भी आंदोलन हुए हैं इसलिये रोजगार के अवसरों को पारदर्शी बनाने के लिये एक आर.ए.एस. अधिकारी की नियुक्ति की जावे, जो प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगारों की सूची बी.पी.एल. परिवारों की तरह सर्वे कराई

जाकर ग्राम सभी के माध्यम से उनका अनुमोदन किया जावे एवं उस सूची को दरीबा खदान एवं सिन्देसर खदान की कम्पनियों में प्राथमिकता के आधार पर कुशल एवं अकुशल बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जावे उसके लिये उन्हें बाध्य किया जावे तथा प्रभावित क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होने पर तहसील एवं जिले के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जावे।

14. यह कि निम्न कम्पनियां कार्यरत हैं इनकी कार्यरत श्रमिकों की सूची मय डाके पते के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे।

(अ) दरीबा खदान में कार्यरत

1 हॉबीकोन कम्पनी   2 बारशिला कम्पनी

3 एस.एस.कम्पनी   4 माहेश्वरी कम्पनी

5 जय हिन्द कम्पनी

(ब) सिन्देसर खदान में कार्यरत

1 टैक्नोमीन कम्पनी   2 एटलस कम्पनी

3 सेण्डवीक कम्पनी   4 नोरमेट कम्पनी

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ज्वलन्त समस्याओं पर आप शीघ्रताशीघ्र विचार करके पारदर्शी तरीके से समाधान करेंगे।

यदि सरकार ने उक्त बिन्दुओं पर शीघ्र और सही निर्णय लेने में प्रशासन वेदान्ता समूह एवं प्रभावित क्षेत्र के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता करके संतोषजनक समाधान नहीं किया तो वहां की जनता को मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी।

कल्याण सिंह

(नाथद्वारा)

सिकराय के ग्राम पीलोड़ी स्थित विद्यालय की चारदीवारी को सड़क निर्माण इकाई द्वारा क्षतिग्रस्त किया जाना

मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय के ग्राम पीलोड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर विद्यालय स्थित है जिसकी चारदीवारी एवं शौचालय आदि जयपुर-आगरा फोर लेन निर्मात्री आइ.जे.एम. कम्पनी द्वारा यह कहते हुये तोड़ दी थी कि कम्पनी द्वारा इसका पुर्ननिर्माण करवा दिया जावेगा किन्तु लम्बा समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक उक्त विद्यालय की बाउण्ड्री एवं

शौचालय आदि का निर्माण नहीं करवाया गया है जबकि विभागीय अधिकारियों द्वारा इस हेतु उन्हें बार-बार स्मरण करवा दिया है।

उल्लेखनीय है कि राजकीय विद्यालय पीलोड़ी की बाउण्ड्री तोड़ दिये जाने के कारण न तो उक्त विद्यालय में पेड़-पौधों की सुरक्षा हो रही है और ना ही विद्यार्थी सुरक्षित हैं क्योंकि यह विद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर स्थित है जहां पर बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। बाउण्ड्री के अभाव में विद्यालय प्रशासन एवं अभिभावकों को सदैव दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।

अत: मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी, एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि विधान सभा क्षेत्र सिकराय राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर पीलोड़ी ग्राम के राजकीय विद्यालय की चारदीवारी एवं शौचालय आदि का पुर्ननिर्माण करवाने की कृपा करें।

श्रीमती ममता भूपेश

(सिकराय)

जयपुर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था का समाधान

जयपुर शहर में आये दिन सड़क यातायात बाधित रहता है एवं दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार इस यातायात की व्यवस्था को सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने में नाकाम रही है। जयपुर शहर में बार-बार दुर्घटना होने वाले स्थलों को चिन्हित कर ठोस उपाय नहीं उठाये जा रहे हैं जिससे उन स्थानों पर दुघर्टनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आये दिन शहर में धरना, प्रदर्शन एवं रैली निकलने के कारण यातायात जाम रहता है। कई आवासीय कालोनी में व्यवसायिक वाहन पार्क कर दिये जाते हैं। जिससे आवासीय कालोनी में रह रहे लोगो की शांति भंग होने की सम्भावना बनी रहती है। अधिकतर स्थानों पर यातायातकर्मी यातायात को सुगम बनाने के स्थान पर चालान करने पर ज्यादा ध्यान देते है। जयपुर शहर में आये दिन यातायात में जाम लगने से वाहन चालकों को एवं जनता को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। कभी-कभी तो गम्भीर रोग से पीड़ित लोगों को अस्पतालों तक पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है। इसके लिए सरकार चिन्तित दिखाई नहीं दे रही है। पूर्व सरकार द्वारा दर्शाये गये स्थलों पर अभी तक पार्किंग स्थलों का निर्माण शुरू नहीं किया गया है न ही आम जनता को राहत प्रदान करने वाली कोई योजना प्रस्ताव में लायी गयी है।

अत: पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इस जयपुर शहर को राहत प्रदान करने के लिए उक्त कठिनाइयों को तुरन्त प्रभाव से दूर किया जाना अति-आवश्यक है और इस सम्बन्ध में आधुनिकतम संसाधनों का प्रयोग कर यातायात पुलिस कर्मचारियों में अभिवृद्धि करके भी सरकार उक्त कठिनाइयों से जन-जन को निजात प्रदान कर सकती है।

अत: माननीय यातायात मंत्री से इस अनुरोध है कि इस जयपुर शहर की बिगड़ती यातायात समस्या को त्वरित रूप समाधान करा कर आम जनता को राहत प्रदान करने का कष्ट करे।

मोहन लाल गुप्ता
(किशनपोल)

श्री डूंगरगढ़ के किसानों का बिना नोटिस व जांच विद्युत भार बढ़ा दिया जाना

मेरे विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में विद्युत विभाग के द्वारा किसान विरोधी नीति अपनाई जा रही है। पिछले माह किसानों को बिना नोटिस दिये व बिना जांच किये पूरे क्षेत्र का विद्युत भार 5 एच.पी. से 7-5 एच.पी. तक सामूहिक रूप से बढ़ा दिया गया है जिससे किसानों में भारी आक्रोश है किसानों ने बिलों का भुगतान रोक दिया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बढ़े हुये विद्युत भार को वापस लिया जावे व भविष्य में जांच करवाकर जिन किसानों को वास्तव में जितना विद्युत भार अधिक है उतना ही बढ़ाया जावे तो किसानों को कोई एतराज नहीं होगा व इससे किसान एवं सरकार दोनों का हित होगा।

साथ ही किसानों के फेल हो चुके कृषि कनेक्शनों को शिफटिंग करने का खसरा परिवर्तन में छूट देने की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्रीमानजी पूर्व में कांग्रेस सरकार ने किसानों के हित में कृषि कनेक्शन शिफ्ट करने की योजना शुरू की थी इस योजना के अन्तर्गत जिन किसानों के नलकूप किसी भी कारण से फेल हो जाते हैं वह अपने ही दूसरे खेत अथवा नया खेत खरीदकर उसमें अपना कृषि कनेक्शन शिफ्ट करवा सकता था लेकिन बहुत खेद का विषय है कि गत सरकार ने इस योजना को बन्द कर दिया तथा 2 वर्ष पुरानी खातेदारी की शर्त लगा दी जो न्यायोचित नहीं है क्योकि किसान का कृषि कनेक्शन फेल हुआ है उसको तुरन्त अपनी सुविधा के अनुसार शिफ्ट करना पड़ता है। वह दो वर्ष तक इन्तजार नहीं कर सकता।

इसी प्रकार कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन बहुत पहले करना पड़ता है किसान आवेदन पत्र में खेत का एक खसरा संख्या दर्शता है तबकि एक ही किसान के कई खसरे होते हैं तब कृषि कनेक्शन का नम्बर आता है तक उस बैल्ट में अन्य कुओं के आधार पर ही तय करता है कि वह कनेक्शन किस खसरे में ले अथवा नहीं।

किसान को लम्बे इन्तजार के बाद कृषि कनेक्शन मिलता है यदि उसने कृषि कनेक्शन ले लिया है और वह फेल हो गया या जिस स्थान पर कुआ या नलकूप बनाया वहां पर्याप्त पानी नहीं है तो कृषि कनेक्शन को पानी वाली बैल्ट में शिफ्ट करना उसकी मजबूरी है।

अत: मेरा अनुरोध है कि किसान की मजबूरी को ध्यान में रखते हुये 2 वर्ष पुरानी खातेदारी की शर्तें को तत्काल हटाई जावे।

इसी प्रकार आवेदन फार्म में दर्शाये गये खसरे को परिवर्तित करने की छूट भी दी जावे क्योंकि किसान को फेल बैल्ट या पानी की कम सम्भावना वाले स्थान पर नलकूप बनाने के लिए मजबूर करना न्योचित नहीं है। किसान नलकूप बनाकर सिंचाई करके अच्छी फसल का उत्पादन प्राप्त करके ही सफल होगा तभी उसका ऋण चुकता होगा अन्यथा किसान बर्बाद हो जायेगा।

मेरा विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश भाग कृषि कुओं से सिंचाई पर आधारित है अत: मेरे क्षेत्र की उक्त दोनों समस्याओं से किसानों को निजात दिलावें।

मंगलाराम गोदारा

(श्री डूंगरगढ़)

भरतपुर शहर की सुजान गंगा नहर का वर्षों से गन्दा पानी ग्रस्त होना

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे द्वारा उठाये जाने वाले विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि भरतपुर शहर स्थित किले के चारों प्राचीन समय से बनी हुई सुजान गंगा नहर में वर्षों से गन्दा पानी भरा होने के कारण पूरे भरतपुर शहर के वाशिन्दों को बीमारियों का कहर झेलना पड़ रहा है। सुजान गंगा नहर का पानी दिनों दिन सड़ता जा रहा है जिसके कारण से भारी संख्या में मच्छर पैदा हो रहे हैं। सुजान गंगा नहर शहर के बीचों बीच होने के कारण इससे पूरे भरतपुर शहर की जनता प्रभावित

है। आने वाला समय गर्मियों का है, मौसम के हिसाब से वैसी भी मौसमी बीमारियों की ज्यादा फैलने की सम्भावना है।

अत: आपके माध्यम से मेरा सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन है कि सुजान गंगा की वर्तमान बुरी हालत और आगामी गर्मी के मौसम से उत्पन्न भयंकर बीमारियों की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही गोवर्धन ड्रेन से सुजान गंगा नहर तक पाइप लाइन डालकर स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जाय ताकि उपरोक्त समस्या से निजात पायी जा सके।

डा. दिगम्बर सिंह

(डीग-कुम्हेर)

देवगढ़ के डिप्टी सी.एम.एच.ओ. कार्यालय को नये भवन में यथावत रखना

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र देवगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को पांच वर्ष पूर्व नये भवन में स्थानान्तरण कर दिया गया। इस उपरान्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्पूर्ण सुविधाओं सहित संचालित किया जा रहा है।

इसके बाद खाली पड़े पुराने भवन का सदुपयोग करने हेतु ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय व महिला एवं बाल विकास कार्यालय जिनको अपना स्वयं का भवन न होने के कारण प्राईवेट भवनों में संचालित किया जा रहा था जिसका दोनों विभागों को महीने का लगभग 15 से 16 हजार रुपया किराया देना पड़ता था, जिसका राजकोष का अनावश्यक व्यर्थ व्यय हो रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर से आदेश कराकर दोनों कार्यालयों को पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 3 वर्ष पूर्व स्थानान्तरण कर दिया। लेकिन अफसोस कि गत दिनों में अचानक कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने अपने चहेतों को लाभ दिलाने के लिए सी.एम.एच.ओ., राजसमन्द पर दबाव बनाकर दोनों कार्यालयों को पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से खाली करा दिया था। लेकिन जब देवगढ़ की जनता को मालूम पड़ा तो देवगढ़ नगरवासियों ने विरोध व धरना प्रदर्शन किया तो तत्काल जिला कल्कटर ने वस्तुस्थिति को देख तत्काल आदेश क्रमांक : स्पेशल-1 दिनांक 21/08/2009 को आदेश द्वारा तत्काल डिप्टी सी.एम.एच.ओ. कार्यालय को नवीन भवन में यथावत रखने का आदेश दिया। जबकि उक्त कार्यालय को नये भवन में कोई असुविधा नहीं थी, फिर क्यों यह स्थानान्तरण किया गया? यह जांच का विषय है। रिक्त चल रहे भवन में दोनों कार्यालयों के स्थानान्तरण से लगभग दो लाख रुपये प्रति वर्ष की बचत हो रही थी। चिकित्सा मंत्रीजी एक संवेदनशील वयक्तित्व के धनी हैं।

अत: मैं, आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि तत्काल पुन: Dy. CMHO के कार्यालय को नये भवन में यथावत रखते हुए पुराने भवन में चल रहे महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग एवं ब्लाक खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को यथावत रखने का आदेश प्रदान करावें।

हरीसिंह रावत

(भीम)

भोपालगढ़ उप खण्ड क्षेत्र का दायरा कम किया जाना

उपरोक्त विषयान्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के उप खण्ड भोपालगढ़ का दायरा कम कर दिया गया है। हाल ही में कुछ ही दिनों पहले भोपालगढ़ को उप खण्ड बनाया गया है। जिला प्रशासन जोधपुर के द्वारा उप खण्ड क्षेत्र भोपालगढ़ के दो आर.आई. सर्किल साथीन व सालवाखुर्द को पीपाड़ शहर उप खण्ड में डाल दिया गया है। जिस तरह से भोपालगढ़ उप खण्ड से दो आर.आई. सर्किल कम किये गये हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। उप खण्ड कार्यालय भोपालगढ़ का महत्व कम हो जाएगा और क्षेत्र का दायरा भी सिमट कर बिलकुल छोटा हो जाएगा। इससे दोनों आर.आई. सर्किल की जनता के साथ अन्याय किया गया है। क्योंकि भोपालगढ़ तहसील कार्यालय भी है। यह दोनों सर्किल इसी तहसील में आते हैं। भोपालगढ़ पंचायत समिति भी है। ये दोनों सर्किल इसी पंचायत समिति में आते हैं। इन आर.आई. सर्किल के निवासियों को तहसील व पंचायत समिति के कार्यों के लिये भोपालगढ़ आना होता है। लेकिन उप खण्ड कार्यालय के कार्य हेतु पीपाड़ शहर जाना पड़ेगा। तो ग्रामीणों को दोहरी मार पड़ेगी। जनता का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। मैं, सरकार से मांग करती हूं कि भोपालगढ़ उप खण्ड को नहीं तोड़ा जावे और न ही बांटा जावे और जिला प्रशासन ने जो आदेश जारी किये हैं। दोनों आर.आई. सर्किल साथीन और सालवाखुर्द को भोपालगढ़ उप खण्ड में ही रखा जावे, अन्यथा जनता सड़कों पर आ जावेगी।

श्रीमती कमसा मेघवाल

(भोपालगढ़)

रामगढ़ (अलवर) के ग्राम वारिसपुर स्थित बाबा लालदास मन्दिर की सड़क को सी.सी. सड़क बनाया जाना

उपरोक्त विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में एक बहुत ही

अच्छे सन्त हुए हैं। बाबा लाल दास-इन बाबा लाल दास को हिन्दू और मुस्लमान दोनों धर्म और सम्प्रदाय मानते हैं। वर्ष में दो बार यहां मेला भी लगता है, जहां लाखों श्रद्धालु नमन करते हैं, शीश नवाते हैं, पूजा-पाठ करते हैं। श्रीमान से यह भी निवेदन है कि बाबा लाल दास की वैसे तो कई बैठकें एवं मन्दिर हैं, किन्तु एक मुख्य मन्दिर ग्राम वारिसपुर होकर पहाड़ पर है। पूर्व में मैं, जब 1998 से 2003 तक विधायक था तो ग्रेवल सड़क बनवा दिया था किन्तु वर्षों तक ग्रेवल सड़क भारी बरसात, आंधी में रूक नहीं पाता और फिर पहाड़ पर, डूंगरी पर होने के भौगोलिक कारणों से यह रोड जीर्ण-शीर्ण हो गया है।

अत: आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि यह लगभग डेढ़ किलो मार्ग, डेढ़ किमी. से कम मार्ग को सी.सी. रोड बनवाने का कष्ट करें। पुन: विशेष निवेदन।

ज्ञानदेव आहूजा

(रामगढ़)

जैसलमेर जिले की कृषि उपज मंडियों में मूलभूत सुविधाओं का विकास

मेरे विधान सभा क्षेत्र पोकरण व जैसलमेर जिले की कृषि मण्डियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है जिससे वहां आने वाले किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कृषि मण्डियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जैसलमेर जिले की निम्न मण्डियां जो नांचना, मोहनगढ़, रामगढ़, इन मंडियों में पेयजल, सड़क व छाया की कमी से आने वाले किसान परेशान रहते हैं, जबकि इन्हीं मण्डियों में राज्य सरकार को भी मण्डी शुल्क की राशि मिलती है, उस मिलने वाली राशि को इन मण्डियों के विकास व मूलभूत सुविधाओं के लिए ही राज्य सरकार को खर्च करना चाहिए। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी मण्डी सुथारवाला जो कि बहुत बडे भूभाग में फैली हुई है उस मण्डी का भी विकास किया जाये जिससे नहरी क्षेत्र के किसानों को जल्द से जल्द मण्डियों को फायदा मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इन मण्डियों के विकास के लिए तुरन्त रूप से कार्यवाही करवाने की कृपा करवायेंगे।

शाले मोहम्मद

(पोकरण)

बिलाड़ा के स्थानान्तरित थाने का पुन: बिलाड़ा शहर में पूर्व के भवन में स्थानान्तरण किया जाना

मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में पुलिस थाना जो सन् 1952 से बिलाड़ा शहर में चल रहा था तथा नये थाने का निर्माण गत 05 वर्ष पहले एक ऐसे स्थान पर निर्माण कर दिया जो प्रति वर्ष पानी के बहाव में तथा जसवंत सागर बांध की टोह में बना दिया गया तथा प्रति वर्ष बाढ़ के आने से यह थाना डूब क्षेत्र में आ जाता है तथा कई दिनों तक इस थाने को बरसात की ऋतु में बन्द करके बिलाड़ा शहर के पूर्व थाने के भवन में स्थानांतरित करते हैं तथा हमेशा बांध के टूटने की आशंका से भय भी व्याप्त रहता है तथा यह थाना बिलाड़ा शहर से 5 किमी. दूर पिचियाक गांव में निर्माण कर दिया जो शहर में कभी भी किसी प्रकार की वारदात या किसी भी कार्य के लिये न्यायालय, अस्पताल व अन्य कार्यों के लिए शहर में आना जाना पड़ता है, जिसका प्रतिदिन 10 से 15 बार बिलाड़ा शहर के आवागमन हेतु व्यर्थ का व्यय करते रहते हैं तथा समय की बर्बादी होती है। शहर के वाशिन्दे भी इस थाने का बिलाड़ा से बाहर ले जाने का विरोध भी किया था लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया तथा अब बिलाड़ा शहर के निवासियों को छोटे से छोटे कार्य के लिये भी बिलाडा शहर से 5 किमी. पिचियाक गांव जाना पड़ता है।

अत: मैं, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से मांग करता हूं कि पूर्व में स्थानांतरित थाने को पुन: बिलाडा शहर में पूर्व भवन में स्थानांतरित किया जाये। ताकि बिलाड़ा शहर के हजारों वाशिन्दों के लिए एवं जनहित में उपयुक्त होगा।

अर्जुन लाल गर्ग
(बिलाड़ा)

परिशिष्ट-2

मांग संख्या-27 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-27 मुख्य शीर्षक पेयजल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में जनता जल योजना में मरम्मत राशि बढ़ाने व मानदेय राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में संवेदकों को नलकूप व हैण्डपम्प खोदना, योजना को सुचारू करना, मरम्मत व रख-रखाव तथा योजना को चलाने की वित्तीय स्वीकृति की निविदा करवाने एवं उक्त कार्यों में संवेदकों को होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सरकार द्वारा निकाले गये आदेश विधायकों की अनुशंसा से 30 लाख रुपये की लागत या 30 हैण्डपम्प पेयजल के अभावग्रस्त क्षेत्र में स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में अगमेन्टेशन क्षेत्रीय जल योजना सोमेसर-सुवालिया व क्षेत्रीय जल योजना 54 मील-शेरगढ़-चाबा की अगमेन्टेशन योजना की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वृहद जल प्रदाय योजना RD 134 व RE 159.50 के द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण करवाने तथा योजना के तृतीय चरण की स्वीकृति जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

6. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ को फ्लोराइडमुक्त करने की कार्य योजना स्वीकृत करने व इस हेतु धनराशि के आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. राज्य के राजस्व ग्रामों के अलावा ढाणियों में पेयजल के लिए सिंगल फेस ट्यूबवैल स्वीकृत करने में आ रही बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

8. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में नये हैण्डपम्प चालू करने व पाइप लाइन सीमेंट के बजाय प्लास्टिक की लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

9. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में घड़साना के चक अमर कालोनी, गुरदयाल कालोनी (35 TR), कच्ची बस्ती एवं रावला में पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना व रावला के वाटर वर्क्स में बढ़ती आबादी के कारण जल भंडारण हेतु अतिरिक्त डिग्गीयां बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पेयजल के लिए अतिरिक्त हैण्डपम्प स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बंद पड़े जी.एल.आर. का पुन: प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

13. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पेयजल की भयंकर समस्या को देखते हुए 100 नये हैण्डपम्प व 10 ट्यूबवैल स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

14. बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना के लिए शीघ्र धनराशि देकर पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

15. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में टैंकर द्वारा पानी वितरण का ठेका पंचायतवार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

17. उदयपुर जिले में अतिरिक्त हैण्डपम्प स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की कच्ची बस्तियों में पानी का वितरण टैंकर द्वारा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में परम्परागत स्त्रोतों द्वारा पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

20. सीकर जिले में स्वजलधारा योजना में हुई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

21. सीकर जिले में पेयजल हेतु इन्दिरा गांधी नहर का पानी देने के लिए योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ के दर्जनों ग्रामों में पेयजल की भारी कमी से जूझ रहे लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

23. दांता ग्राम की आबादी 20,000 से अधिक होने के बाद भी ओवर हैड टैंक नहीं होने एवं मात्र 25 LPC पानी उपलब्ध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

24. स्वजलधारा एवं सिंगल पाईट के बिजली बिलों का भुगतान अन्य योजनाओं की तरह विभाग द्वारा जमा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :

25. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में पेयजल समस्या निस्तारण हेतु नवीन हैण्डपम्प एवं नलकूप खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के फ्लोराइड से ग्रसित ग्रामों को बांकापट्टी क्षेत्र घोषित करते हुए इस क्षेत्र हेतु विशेष योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के बीसलपुर परियोजना से वंचित ग्रामों को बीसलपुर परियोजना से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में निर्मित उच्च जलाशयों एवं भूतल जलाशयों को पाइप लाइन से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी मुख्यालय की 50 वर्षों पुरानी पाइप लाइन को बदलवा कर स्टील पाइप लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

30. रामगढ़, अलवर नौगांवा ग्रा.पं. एवं अन्य 20 ग्राम पंचायतों में पेयजल स्कीम लागू करने के लिए घाट कैनाल सिंचाई योजना को पुन: चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा) :

31. नर्मदा नहर से भीनमाल, रानीवाड़ा व जसवन्तपुर तहसील को पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. ग्रीष्मकाल में टैंकरों से पेयजल सुलभ करवाने में विभागीय लाइनमैनों की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

33. आबूपर्वत को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु लम्बित सालगांव बांध परियोजना को शीघ्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. नर्मदा नहर का पानी बाण्डी सिन्धरा बांध (भीनमाल) में पेयजल हेतु छोड़ कर आस-पास के क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पेमाराम (धोद) :

35. सीकर जिले के भानीपुरा तथा कदमाकावास ट्यूबवैलों को सार्वजनिक टंकी से जोड़कर पेयजल समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम श्यामपुरा में सार्वजनिक ट्यूबवैल की मोटर डिलेवरी बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्रामों में पीने के पानी हेतु नलकूप व हैण्डपम्प तथा ढाणियों में सिंगल फेस नलकूप बनाकर पीने का पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) :

38. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ग्राम अलमदीका, हाजनाका, हाजीपुर, जोखावास, रामपुर आदि ग्रामों को खारा/फ्लोराइडयुक्त पानी से निजात दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ग्राम बुढ बावल, बधाना, नांगल सालिया, खानपुर अहीर, अहीर बासना, गंगापुरी, मोधुपुर, उजौली, जिलौता, किशनगढबास नगरपालिका खैरथल, कोटकासिम, लिसाना, नूरनगर आदि गांवों में पानी की किल्लत होने के कारण ट्यूबवैल लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र किशनगढबास के सभी सरकारी विद्यालयों में पीने के पानी के लिए हैण्डपम्प व ट्यूबवैल लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(श्री रामहेत सिंह)

41. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में सैक्टर रिफार्म जल योजना के तहत बनी हुई पानी की टंकियों को चालू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

42. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में वर्ष 2009 में कनटेन्जेंसी प्लान में 30 हैण्डपम्प एवं 2 नलकूप या 2 किमी पाइप लाइन डालकर पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. जोधपुर जिले की कूडा-भटिण्डा पेयजल योजना के लिए खरीदे गये पाइपों की दूसरी जगह आपूर्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) :

44. उनियारा, देवली टोंक, बीसलपुर पेयजल परियोजना (427 गांवों में) चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में पेयजल उपलब्ध कराने एवं चम्बल से बून्दी शहर तक आ रही योजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

46. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के जिन स्थानों पर भूगर्भ जल नहीं होने के कारण अन्य गांव से जलापूर्ति के रास्ते में अवैध छिन्द्रों से पानी की आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त न होने की स्थिति को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. बाबा गंगादास महिला राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत 800 छात्राओं के लिए जल व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में हैण्डपम्प असफल हो जाने से स्कूलों के बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में 250 से 1000 तक आबादी की ढाणियों एवं गांवों में सिंगल फेस के बोरिंग न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

50. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में कूकडेला, बरवाड़ा, पणदा, भैरवपुरा, नगरपालिका वार्ड 13, 14, 15, 16, 17 (विराटनगर) नीमली, जयसिंहपुरा में पीने के पानी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

51. बूंगी-राजगढ़ क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र तारानगर में आपात योजना में स्वीकृत कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

53. कोटा स्थित चम्बल नदी से बून्दी शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति करने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. जिला कोटा में आवंली रोसड़ी गांव, देवनारायण मंदिर के पास ग्राम मोरवा, तहसील दिगोद, वाया गांव (सोली) की बस्ती तहसील दीगोद, सेंट जोसफ स्कूल के पास, के पाल रोड कोटा, रामदेव मंदिर, सपेरा बस्ती बापू कालोनी, कोटा तथा बून्दी जिले की हिंडौली तहसील में ग्राम बालापुरा, ग्राम कुम्हरला बालाजी, कहार बस्ती देलून्दा ग्राम पं. रियाणा तथा भीमगंज ग्राम पं. वटकड में पेयजल हेतु हैण्डपम्प स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. कोटा शहर में पेयजल हेतु 65-65 MLD के तीन फिल्टर प्लान्ट 2 अकेलगढ़ में तथा एक नदी पार क्षेत्र में स्थापित करने एवं नगर सीमा में सम्मिलित 35 ग्रामों में कोटा शहर से पेयजल आपूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. कोटा शहर की नगर विकास न्यास की बस्ती आर.के. पुरम, श्रीनाथपुरम सुभाष नगर, राजीव गांधी नगर, महावीर नगर विस्तार योजना, अनन्तपुरा, घोड़ेवाला बस्ती में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने कोटा शहर के खाली पड़े उच्च जलाशयों को भरने हेतु पाइप लाइन बिछाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

57. बूंदी जिले की तालेड़ा पंचायत समिति के भवानीपुरा, देहित, बाजड़, नोताड़ा, सेदड़ी, रितावा, छपावदा आदि ग्रामों में पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण पेयजल हेतु फ्लोराइड ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) :

58. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

59. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में इन्द्रोंका-माणकलाव दांतीवाड़ा योजना को शीघ्र पूर्ण करने एवं दांतीवाड़ा से बिलाड़ा पीपाड़ नगरपालिका सहित 119 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

60. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों में पीने के पानी के लिए हैण्डपम्प व बोरिंग लगवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

61. चौमूं कस्बे में जल स्तर गहरा हो जाने व ट्यूबवैल सूखने के कारण पीने का पानी अन्यत्र स्थान से लाने की योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम विजयसिंहपुरा, गुवाल्डी, झीड़ा, जोधपुरा, देवपुरा भोपावाली ढाणी जाटावाली में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

63. चौमूं कस्बे में बढ़ती आबादी के देखते हुए रेनवाल रोड, मगधबिहार व कचोलिया में उच्च जलाशयों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में ड्राई हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्ड पम्प लगवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

65. नगरपालिका क्षेत्र फुलेरा के वार्ड नं. 12, 13, 14 व नगरपालिका क्षेत्र सांभर के वार्ड नं. 4, 8, 9 एवं नगरपालिका क्षेत्र किशनगढ़ रेनवाल के वार्ड नं. 11, 21, 23, 24 में नई पाइप लाइने डालकर पीने के पानी की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कस्बा सांभरलेक फुलेरा में निजी कुए मालिकों के पानी के सैम्पल फैल होने के उपरांत भी सैम्पल फैल कुओं से पानी सप्लाई करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायत कोरसीना, हबसपुरा, श्यामी

(श्री निर्मल कुमावत)

की ढाणी, नरापना, आकोदा, काचरोदा, सुरसिंहपुरा, जयसिंहपुरा, मण्ढाभीम सिंह, भैसलाना, भादवा, रलावता, ईटावा, बासडीकलां, नारेगपुरा, खण्डेल, नान्दरी, मुण्डवाड़ा, सिनोदिया, मुन्डियागढ़ आदि पंचायतों में पीने के पानी की गम्भीर समस्या होने के कारण टैंकरों द्वारा पेयजल सप्लाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

68. विधान सभा क्षेत्र पाली की अधूरी पड़ी पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

69. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की कुशलगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में लगे हैण्डपम्पों एवं कुओं से पीने के पानी की पूर्ण व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में डुगरा छोटा व बाड़ा से बन्दी बस्ती में शुद्ध पेयजल पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के गांव सज्जनगढ़ में बनास नदी से पेयजल की पूर्ति करने की आवश्कता पर चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के सारबाड़ी व बसड़ी दो बड़े गांवों में पेयजल की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

74. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में विद्या विहार पिलानी चिड़ावा व मंडेला में टंकी उच्च जलाशय का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) :

76. श्री डूंगरगढ़ तहसील में फ्लोराइड युक्त गांवों में कंवरसेन लिफ्ट से पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

77. लक्ष्मीनारायणपुरी, मण्डी खटीकान, सीकर हाउस, कल्याणजी का रास्ता, बारह भाइयों का चौराहा, नाहरगढ़ रोड़, जयपुर में गन्दा प्रदूषित पानी वितरण से जनता को हो रही परेशानी सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

78. चौकड़ी, विश्वेश्वरजी, मोदीखाना एवं रामचन्द्रजी में अवैध बूस्टरों की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. पानी के मीटरों की रीडिंग पानी आने से पूर्व आने वाली वायु के कारण होने वाली रीडिंग का भुगतान जनता से वसूले जाने से उत्पन्न जन-आक्रोश पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

80. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सभी सरकारी विद्यालयों में जल शोधन यंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की 80 से ज्यादा कच्ची बस्तियों में पेयजल वितरण तंत्र की स्थापना करने एवं क्रमोन्नयन हेतु राज्य योजना मद एवं सी.एस.एस. मद से राशि स्वीकृति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की नव विकसित आवासीय कालोनियों में नवीन पेयजल वितरण पाइप लाइन बिछाने और चौपासनी प्रतापनगर हाउसिंग बोर्ड में पेयजल वितरण तंत्र को क्रमोन्नयन कर उच्च जलाशयों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. सूरसागर क्षेत्र के फिल्टर प्लान्ट एवं उच्च जलाशयों की जर्जर हालत के मद्देनजर संभाव्य दुर्घटना से बचने के लिए मरम्मत एवं नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. सूरसागर क्षेत्र की पहाड़ियों और ऊंचाई पर बसी आवासीय कालोनियों में कम दबाव की समस्या के निदान हेतु 100 हैण्डपम्प मय कम्प्रेशर पावर पम्प की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

85. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पेयजल की गम्भीर हो रही स्थिति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री गोपाल मीणा)

86. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में फ्लोराइडयुक्त पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में खारे पानी की समस्या के समाधान हेतु किये गये प्रयासों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में समर कंटीजेन्सी में वर्ष 2010-11 के लिए राशि स्वीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पेयजल हेतु नये हैण्डपम्प व ट्यूबवैल स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

90. विधान सभा क्षेत्र बायतू के परम्परागत जल स्त्रोतों को संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र बायतू के जोगसरिया, सोमेसरा, जल प्रदाय योजना में राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. विधान सभा क्षेत्र बायतू की उण्डू, पनावड़ा, साइयों की ढाणी की पेयजल योजना में राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र बायतू में पोकरण-फलसूण्ड-हीरे की ढाणी की पेयजल योजना में राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. उण्ड-हीरे की ढाणी तहसील बायतू की पेयजल योजना हेतु राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

95. जहाजपुर क्षेत्र की पुनर्गठित पेयजल योजनाएं शक्करगढ़ एवं जामोली की स्वीकृति एवं नीति निर्धारण समिति की 180वीं बैठक में स्वीकृत बिशनियां एवं दांतड़ा स्कीम चालू करवाने की आवश्यक्ता पर चर्चा के लिए।

96. जहाजपुर क्षेत्र की टीकड़ पाइप्ड स्कीम को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. जहाजपुर क्षेत्र की देवली के पास बसी आवासीय कालोनियों की पेयजल योजना को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. जहाजपुर क्षेत्र की सांखड़ा काटी पेयजल योजना को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री शिवजीराम मीणा)

99. जहाजपुर क्षेत्र की रासेड़ पेयजल योजना को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

100. विधान सभा क्षेत्र सोजत में स्थायी जल स्त्रोत के लिए योजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

101. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में गिरते जल स्तर के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

102. रेवदर मुख्यालय व मण्डार पंचायत मुख्यालय पर पानी की टंकी व पाइप लाइन बिछाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

103. आबूरोड पंचायत समिति के जनजातिय क्षेत्र में पीने का पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

104. रेवदर पंचायत समिति क्षेत्र में नये हैण्डपम्प लगाने व पुराने हैण्डपम्प ठीक कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

105. विधान सभा क्षेत्र भी में तीन वर्ष से अकाल पड़ने से पेयजल की समस्याओं का स्थायी समाधान कराना, 250 तक की आबादी हेतु पनघट योजना द्वारा जोड़ने व भीम पंचायत समिति के गांवों को चम्बल परियोजना व देवगढ़ पंचायत समिति को वगिरी नाका परियोजना द्वारा पेयजल उपलब्ध कराकर स्थायी समाधान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक डोगरा (बून्दी) :

106. बून्दी शहर को पेयजल के लिए चम्बल का पानी दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. पंचायत समिति बून्दी के खटकड क्षेत्र की पंचायतों में फ्लोराइड रहित पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के 3000 से ज्यादा की आबादी वाले गांवों में टंकी बनवाकर पाइप लाइन से जोड़कर घरों तक पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री अशोक डोगरा)

109. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के प्रत्येक गांव में कम से कम एक सिंगल फेस ट्यूबवैल लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के लाखेरी कस्बे में डीपरी चम्बल से पीने का पानी उपलब्ध करवाने हेतु नयी योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर):

111. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के शहरों व ग्रामीण क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अजय सिंह (डेगाना) :

112. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में देवला मादा सिरासना योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में मातासुख-योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र डेगाना की नागौर लिफ्ट योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) :

115. विधान सभा क्षेत्र बयाना के बयाना एवं रूपवास में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर-उत्तर) :

116. अजमेर शहर में पानी वितरण सुधार योजना को तत्काल पूरा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर-दक्षिण) :

117. अजमेर शहर में पेयजल वितरण हेतु बिछाई गई प्लास्टिक की लाइनों के नकारा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

118. अजमेर शहर के सभी उपभोक्ता को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अवैध कनेक्शन हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. अजमेर शहर में पेयजल की आपूर्ति को 24 घण्टों के अन्तराल से किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्रीमती अनिता भदेल)

120. अजमेर नगर निगम सीमा में स्थित बालकपुरा, फकीरा खेड़ा एवं जवाहर की नाड़ी के नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. अजमेर शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु जवाहरलाल नेहरू मिशन के तहत स्वीकृत 166 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) :

122. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में जनता को शुद्ध पेयजल देने के लिए बड़ी जल परियोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

123. खण्डेला नगरपालिका व रींगस नगरपालिका में जल आपूर्ति सुधारने व प्रति व्यक्ति 140 लीटर पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

124. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में पेयजल के लिए नवीन स्त्रोतों के लिए विभागीय पहल करने एवं जोहड़ों बावड़ी आदि के चारों तरफ हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में नवीन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में अवैध जल सम्बन्ध, पाइप लाइनों से लीकेज व घरों में बूस्टर के उपयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के लिए तैयार की गई प्रस्तावित पेयजल योजना पर चर्चा के लिए।

128. पानी की चोरी रोकने के लिए कानून बनाये जाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) :

129. आपणी योजना के अलावा-गांव एवं शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए नवीन योजनाएं बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) :

130. सी.एस.एस. मद के तहत जिला जैसलमेर की विभिन्न ढाणियों व

(श्री छोटूसिंह भाटी)

मजरों में पेयजल उपलब्ध करवाने तथा जल नीति के तहत मरू क्षेत्र को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. जलमणी कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर क्षेत्र की पाठशालाओं में शुद्ध जल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. एशियन डवलपमेंट बैंक के माध्यम से RUIDP के तहत जैसलमेर क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

133. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना की ग्राम पंचायत मदलिया केरपुरा, नौसर (नूरपुरा) के लिए SWR में स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के ग्राम ठाकरियावास पेयजल योजना से जुड़े पांच ग्राम पंचायतों में पेयजल व्यवस्था के सुचारू संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना की ग्राम पंचायत छोटी खाटू, तोषोणा, खुनकणा, कोलिया, बालिया, धनकोली, नीमोद एवं बगतपुरा की पुरानी पेयजल योजनाओं को बढ़ी हुई आबादी की पूर्ति के लिए विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के शहरी क्षेत्र की पेयजल सप्लाई व्यवस्था के सुचारू संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में फ्लोराइडयुक्त पानी से निजात दिलाने के लिए इन्दिरा गांधी नहर से पेयजल आपूर्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

138. धौलपुर-भरतपुर की चम्बल परियोजना को समयबद्ध पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

139. तहसील भरतपुर के ग्राम मौराली एवं महगाया में खारे पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए मीठे पानी की योजना शीघ्र स्वीकृति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के ग्रामीण इलाकों में 20 ट्यूबबवैल एवं 100 हैण्डपम्पों की शीघ्र स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(श्री विजय बंसल)

141. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के ग्रामीण इलाकों में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई पानी की टंकियों को ध्वस्त करवाकर नई पानी की टंकियों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

142. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर के समस्त गांवों के लिए धौलपुर-भरतपुर चम्बल परियोजना से प्रथम फेज में पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. धौलपुर-भरतपुर चम्बल परियोजना को समयबद्ध पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

144. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर में खराब पड़े हुए समस्त हैण्डपम्पों की मरम्मत कर उनको ठीक करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. डीग कस्बा (भरतपुर) में पेयजल हेतु स्वीकृत रि-आर्गेनाइजेशन स्कीम लागू करने के लिए स्त्रोतों का शीघ्र निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

146. जयपुर शहर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां टैंकरों से पानी नहीं पहुंचाया जा सकता वहां अन्य वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. जयपुर शहर की जीर्ण-शीर्ण पेयजल लाइनों को बदले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

148. विधान सभा क्षेत्र तारानगर के गांव सअवा, रतनपुरा, भुवाडी, अमरापुरा मिठडी, पचासी में उत्पन्न पेयजल की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) :

149. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में नये बोरिंग खुदवाये जाने व उच्च जलाशय के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बहादुर सिंह (वैर) :

150. विधान सभा क्षेत्र वैर में चम्बल लिफ्ट परियोजना का पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. विधान सभा क्षेत्र वैर में नये बोरिंग (डीप बोर) खुदवाये जाने व उच्च जलाशय के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत पेयजल योजनाओं को शीघ्र पूरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र वैर में खराब पड़े ट्यूबवैल एवं हैण्डपम्प को ठीक कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) :

154. राज्य में पेयजल की स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

155. विभाग में पाइपों की कमी होने से जयपुर शहर में नवीन पेयजल लाइन डालने में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

156. जयपुर शहर के लिए आबादी के हिसाब से नवीन पेयजल योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. जयपुर शहर के लिए बीसलपुर पेयजल योजना से पानी की आपूर्ति हेतु बीसलपुर बांध में पानी की कमी होने के कारण ईसरदा एवं अन्य स्थानों पर बनास नदी में ट्यूबवैल खोदे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. आगामी गर्मियों के लिये जयपुर शहर हेतु आपातकालीन पेयजल योजना तैयार कर उस पर अमल करने व शहर की कच्ची बस्तियों के लिए पेयजल की विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. जयपुर शहर में ऊंचाई वाले स्थानों पर पेयजल पूरे दबाव से पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था किये जाने एवं नये ट्यूबवैल खोदे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

160. पोकरण फलसुण्ड बालोतरा कैनाल के आगामी एवं अन्य पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर):

161. बीसलपुर द्वितीय फेज, पीसांगन प्रोजेक्ट, फ्लोराइड कण्ट्रोल प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

162. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में नये हैण्डपम्प लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के गुड़ा रामजी सावलता, देवली पाबुजी, खिवाड़ा, बिजोवा एवं पादरली सिन्धलाना में ट्यूबवैल खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. मारवाड़ जंक्शन के अत्यधिक पुरानी पानी की टंकियों के स्थान पर जोजावर, बाड़सा, बिजोवा में नई टंकियां बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165. मारवाड़ जंक्शन के आउवा में 1 वर्ष पूर्व गिर गई टंकी के स्थान पर नई टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय):

166. ग्राम-गेरोटा, तहसील-सिकराय में पेयजल हेतु ठेकेदारों द्वारा डाली गई लाइन के स्थान पर 1 किमी लम्बी लोहे की पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र सिकराय के चार गांवों की ''गढदेवरी'' स्वीकृत योजना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

168. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में 2 किमी लम्बी पाइप लाइन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):

169. विधान सभा क्षेत्र तारानगर में आपात योजना में स्वीकृत कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

170. चूरू जिले में जलदाय विभाग द्वारा कुओं की जली मोटरों को बदलने के लिए प्राप्त निविदाओं में व्याप्त अनियमितता पर चर्चा के लिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

171. विधान सभा क्षेत्र बाली की पंचायत समिति बाली व देसूरी को जवाई पाइप लाइन पेयजल योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

172. विधान सभा क्षेत्र बाली की ग्राम पंचायत पादरला, सेवाड़ी मिरगेश्वर, पातावा, बारवा, लुणावा, मीठड़ी बांध के नीचे कुए खुदवा कर पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र बाली की ग्राम पंचायत दूदनी, कोठार, नाणा मांडपुर, जीवन्द, कोटड़ी व ग्राम करणवा में ओपन वेल खुदवाकर पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. नगरपालिका सादड़ी, फालना व बाली में दो तीन इंच मोटी पुरानी पाइप लाइनों को बदलकर नई पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. विधान सभा क्षेत्र बाली की ग्राम पंचायत खीमेल, बीसलपुर, देसूरी नाणा, कोटबालियाना, घणी में पेयजल हेतु नवीन टंकी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

176. खींवसर तहसील में खराब पड़े हैण्डपम्प व ट्यूबवैल ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. खींवसर तहसील में नागौर लिफ्ट परियोजना अतिशीघ्र पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

178. विधान सभा क्षेत्र खींवसर की पूर्व में स्वीकृत समस्त जी.एल.आर. जिनको स्थगित कर दिया गया है को पुन: स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

179. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में पूर्व स्वीकृत ट्यूबवैलों, जिनको स्थगित कर दिया है को पुन: स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

180. विधान सभा क्षेत्र खींवसर क्षेत्र में आकस्मिक निधि में ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवैल स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ओम जोशी (फलौदी) :

181. विधान सभा क्षेत्र फलौदी की पंचायत समिति बाप क्षेत्र में पेयजल की स्थायी समस्या के निवारण हेतु बनाई गई एवं स्थगित पड़ी योजनाओं को शीघ्र प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

182. पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिणधरी की जल प्रदाय योजना में राशि आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

183. उम्मेदसागर-घना-समदड़ी-खण्डप-जल प्रदाय योजना के तृतीय चरण में राशि आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184. भाटा-सिणधरी-मलखाड़ी जल प्रदाय योजना को एवाड़ीमल जी तक विस्तार हेतु स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

185. दाखां-बरना-मूंसा जल प्रदाय योजना में राशि आबंटन करने एवं शीघ्र कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) :

186. तहसील रूपवास के गांव रहीमपुर, शेरी कलॉ खनुवा, मदरियापुरा, बहरावली, पिचूना की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

187. विधान सभा क्षेत्र नदबई के अन्तर्गत आने वाली नदबई ग्राम पंचायत ऐचरा, बहरामदा, गांगरौली, करही, डहरा, गगगांना तथा जहांगीरपुर जो कि कुम्हेर और भरतपुर बार्डर पर स्थित है को भरतपुर-धौलपुर चम्बल लिफ्ट परियोजना से जोड़े जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

188. जलदाय विभाग के नदबई उप खण्ड कार्यालय को ग्रामीण खण्ड कार्यालय डीग से हटाकर खण्ड कार्यालय भरतपुर के अधीन सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

189. राज्य में हैण्डपम्प मिस्त्री के पद पर नियुक्तियां किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

190. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के खराब पड़े सैकड़ों हैण्डपम्प ठीक करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र कठूमर (अलवर) के 62 ग्रामों में पेयजल हेतु व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

192. स्वीकृत हैण्डपम्पों को पूर्ण कर पेयजल व्यवस्था चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

193. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में ग्राम पंचायत मुख्यालयों की पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अजय सिंह (डेगाना) :

194. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पेयजल की पूर्ण आपूर्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मगढ़) :

195. विधान सभा क्षेत्र राजगढ-लक्ष्मणगढ़ में पेयजल के भारी संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

196. शाहपुरा (जयपुर) व विराटनगर में पीपीसी योजनान्तर्गत स्वीकृतियां जारी करने के बाद भी योजनाओं की क्रियान्विति नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

197. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में स्वजलधारा योजना को समाप्त करने एवं ग्राम पंचायत भाणा की स्वीकृत पेयजल योजना को अस्वीकृत करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

198. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में वाटर वर्क्स की डिग्गीयों की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

199. ग्रामीण जनता जल परियोजना के कर्मियों का मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में।

200. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सीमा क्षेत्र पर पेयजल की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

201. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में वाटर वर्क्स में फिल्टर मीडिया समय पर बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

202. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में बंद पड़े जी.एल.आर. को पुन: शुरू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

203. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के ग्राम जालमपुरा, बाघपुरा, गुरजनिया, पीपलीखेड़ा, रावतपुरा, सुरेड़ा, अरनेड, कुमार खेड़ा, ओडवाडिया, सती का खेड़ा, डंठेलखेड़ा, चौधरीकलां (केवलपुरा) बाघेलों का खेड़ा, गायरिया बास (मोरवन) मूंजवा, लबारीखेड़ा, देवदा, फाचर, जाटों का खेड़ा, चमलावदा, खोरीया, लालपुरा, पीपली खेड़ा, खाजला, थड़ा, नारायण खेड़ा, बावड़ी खेडा, मोगजी की कुड़ी, पाडाखोरा, आडावेला, ज्ञासपुर, साबाखेड़ा, काजली, खेड़ा (बरडिया) में पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री प्रकाश चन्द चौधरी)

204. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के ग्राम देवगढ़, दामोतर, चौकड़ी में पेयजल व्यवस्था हेतु टंकी निर्माण तथा खराब पड़े हैण्डपम्पों को चालू करने व नकारा साबित व स्कूलों में लगे हैण्डपम्पों जहां पानी कम हो गया में नये हैण्डपम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

205. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के प्रतापगढ़ शहर में जाखम से आने वाली पेयजल पाइप लाइन व बड़े पम्प सैट एवं शहर में बड़ी टंकियां बनाकर पेयजल सप्लाई किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

206. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के ग्राम बोरी अणगोरा, खेरमगरी और लोहारिया आदि बड़े गांवों में विकट पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के ग्राम निकुम, पिण्ड, बड़ी सादड़ी में इन्द्रा कालोनी, बारावरदा, डेलवास, करसाणा, डूंगला, बिलोट, नौगांवा, आलोदा, पालोद, करेडिया, खोडीप, ननाणा, मनरूपजी का खेड़ा, सादुल खेड़ा, नपावली, आकोला कला, पुनावली, सरोड़, भीमलोद, सोमावास, मंगलवाड़ चौराहा, भाटोली आदि गांवों में अपर्याप्त पेयजल सप्लाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. जसवंत सिंह यादव (बहरोड़) :

208. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के गांव बुढवाल बहरोड़ अलवर में बड़ी टंकी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

209. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के गांव दुकेड़ा तहसील बहरोड़ जिला अलवर में नये बोरिंग व पानी के नये कनेक्शन की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

210. जनता जल योजना के बंद पड़े बोरिंग एवं कटे हुए कनेक्शनों को पुन: जुड़वाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

211. गांव हमाजापुर तहसील बहरोड़ अलवर में बोरिंग एवं टंकी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

212. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के अधिकांश गांव के स्कूलों में बोरिंग/हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

213. प्रतापगढ़ जिले के जाखम बांध से जिले के 14 गांवों के अलावा अन्य क्षेत्र को भी पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(श्री नन्दलाल मीणा)

214. प्रतापगढ़ जिले के गांवों में लगी हुई पीने के पानी की टंकियों की अव्यवस्थाओं के कारण ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

215. ग्रीष्म ऋतु में प्रतापगढ़ जिले में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

216. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं कम से कम 100 हैण्डपम्प एवं 24 स्कीम स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर) :

217. विधान सभा क्षेत्र नागौर के ग्राम बासनी बोलीया गांव में 2002-03 में स्वीकृत पानी की टंकी व पाइप लाइन का कार्य शीघ्र कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

218. बड़ली नागौर शहर, अलाय गांव व कौधियासी के ओवरहैड टैंक क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

219. टौंक जिले में पाइप एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने में विभागीय उदासीनता से हैण्डपम्प मरम्मत अभियान ठप्प रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

220. तहसील देवली (टौंक) के ग्राम बीजवाड़ एवं समीपस्थ अन्य ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु उच्च जलाशय स्वीकृत करने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

221. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा (टौंक) के कस्बा धाड़ (देवली) सहित विभिन्न स्थानों में संचालित जनता जल योजनाओं के सुचारू संचालन एवं वर्तमान आबादी अनुसार योजना का पुनर्गठन एवं आवश्यक मरम्मत कराने में विभागीय उदासीनता एवं लापरवाही पर चर्चा के लिए।

222. आकोडिया सहित देवली तहसील (टौंक) के विभिन्न ग्रामों को उच्च टीडीएस वाले अस्वास्थ्यप्रद, फ्लोराइडयुक्त पेयजल के स्थान पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

(श्री रामनारायण मीणा)

223. टौंक जिले के देवली, दूनी, उनियारा, बनेठा एवं अलीगढ़ कस्बों को अपर्याप्त एवं अनियमित पेयजल आपूर्ति की समस्या से निजात दिलाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

224. जिला जैसलमेर में पेयजल हेतु समुचित योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) :

225. नागौर लिफ्ट पेयजल योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन) :

226. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के ग्राम ढाणियों व नगरपालिका क्षेत्रों में हैण्डपम्पों पर सिंगलफेज मीटर नहीं लगाये जाने तथा पूर्ण विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार विभिन्न योजनाओं में नवीन हैण्डपम्प नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल) :

227. तहसील झाड़ोल फलासिया, जिला उदयपुर में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समुचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

228. तहसील झाड़ोल, कोटड़ा के ग्रामों में पीने के पानी की टंकियों की अव्यवस्थाओं के कारण ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

229. तहसील झाडोल-कोटड़ा में अधूरी पड़ी पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

230. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में घाणी परियोजना के द्वितीय फेज को शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर-पश्चिम) :

231. बीकानेर शहर में पेयजल के लिए नवीन योजना बनाने तथा गन्दे पानी की सप्लाई की जगह स्वच्छ जल वितरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

232. विधान सभा क्षेत्र पोकरण की कलाऊ-खुमानसर पदमपुरा पेयजल योजना को शीघ्र शुरू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) :

233. डूंगरपुर जिले में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किसानों के व्यक्तिगत कुओं पर निर्माण कराये जाने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र कुमार (सागवाड़ा) :

234. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा की बिखरी जनजाति वर्ग की आबादी हेतु पेयजल के लिए हैण्डपम्प लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर) :

235. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पेयजल की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

236. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में 50 वर्ष पुरानी बिछी पाइप लाइनों को दुरूस्त करवाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

237. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में बन्द पड़े जी.एल.आर. चालू करवाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

मांग संख्या-46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-46 मुख्य शीर्षक सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर सहित) के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

1. इस वर्ष पौंग डैम के कुल पानी के हिस्से को प्रथम चरण व द्वितीय चरण में अलग-अलग वितरण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
2. राजस्थान फीडर पर 170 किमी (पंजाब में) पड़ी राजस्थान सरकार की जमीन पर अवैध कब्जों को हटवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. पौंग डैम के कुल पानी की मात्रा में से 58 प्रतिशत प्रथम चरण में वितरित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
4. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में एक पानी के अभाव में सरसों की तैयार खड़ी फसल खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
5. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में पानी के अभाव में खराब हुई सरसों की फसल का किसानों को मुआवजा दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

6. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के ग्रामीणों को सिंचाई के उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

8. सीकर जिले की नहरों को यमुना जल उपलब्ध करवाकर सीकर, झुंझुनूं एवं चूरू जिलों को लाभान्वित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. राज्य में कोई भी सिंचाई परियोजना समय पर एवं निर्धारित राशि में पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
10. रावी व्यास नदियों के पानी में राज्य का हिस्सा .6 एम.ए.एफ. होने

(श्री अमराराम)

के बाद भी राज्य को पानी नहीं मिलने से राज्य की जनता में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :

11. डूब क्षेत्र में आने वाली बस्तियों के पुनर्वास हेतु बनायी गयी नई आवासीय कालोनियों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद)

12. सीकर जिले में सिंचाई के लिये नहर का पानी पहुंचाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

13. बिलाड़ा के पास चौपड़ा फीडर नहर को पक्का कर बिलाड़ा के राजोलाव तालाब तक पक्की नहर से जोड़कर पानी से भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के जसवंत सागर बांध के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) :

15. जल नीति परियोजना में स्वीकृत एनीकट (मेज नदी) को स्वीकृति पश्चात् भी चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

16. कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल में वर्ष 2008-2009 के स्वीकृत कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. कुम्भाराम लिफ्ट योजना अन्तर्गत कमान्ड एरिया घोषित कर पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

18. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में अनास नदी पर लिफ्ट लगाकर किसानों को लाभ दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की सिंचाई परियोजना घोड़ा दरा, झाखरीया, नवागांव की सीपेज को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री फतेह सिंह)

20. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की अधूरी सिंचाई परियोजना पीपलोन कुण्डीया की स्वीकृति जारी कर निर्माण कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

21. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के समस्त डार्क जोन एरिया में सिंचाई एवं पेयजल हेतु पड़ोसी राज्यों (हरियाणा एवं पंजाब) से नहर का पानी लाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

22. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विभाग द्वारा सिंचाई हेतु किए गए प्रयासों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नये बांध/एनिकट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

25. इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) :

26. बाईं मुख्य नहर चम्बल परियोजना कोटा की भवानीकपुरा माइनर, अरनेठा ड्रिस्ट्रीब्यूटरी, खेड़ली माईनर, जैथल माइनर, अरनेठा माइनर बलकासा माईनर एवं दांई मुख्य नहर की डाबर ब्रान्च की सफाई, मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

27. जहाजपुर क्षेत्र के सरला सागर रासेड़ के रेजिंग कार्य को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. जहाजपुर क्षेत्र में अधूरे पड़े निरीक्षण गृह कोटड़ी के कार्य को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. जहाजपुर क्षेत्र के अधूरे पड़े खेरूणा तालाब के निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री शिवजीराम मीणा)

30. जहाजपुर क्षेत्र में स्वीकृत शोमाजी का खेड़ा एनिकट की देनदारियों पर चर्चा के लिये।

31. जहाजपुर क्षेत्र में स्वीकृत ढगारिया एनिकट एवं कंजरी की नाड़ी एनिकट का कार्य पूर्ण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) :

32. सी.ए.डी. कोटा की आर.एम.सी. व एल.एम.सी. नहरों में सिंचाई हेतु पानी प्रवाहित करने के लिये किसान प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित कर पानी प्रवाहित करने की समय सारणी निर्धारित करने व उसकी सूचना किसानों तक पहुंचाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. सी.ए.डी. कोटा की आर.एम.सी. व एल.एम.सी. को पक्की करने व उनके सुदृढ़ीकरण, मरम्मत, संधारण आदि हेतु सी.ए.डी. प्रशासन द्वारा सरकार को 960 करोड़ के प्रेषित प्रस्तावों के अनुमोदन/स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

34. नर्मदा नहर का पानी सांचौर से सिरोही, रेवदर में लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अनादरा हड़मतिया बांध को चालू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में स्थित सम्पूर्ण नहर व कैनालों की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

37. विधान सभा क्षेत्र भीम को सिंचाई हेतु चम्बल परियोजना से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बून्दी) :

38. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के निर्माणधीन लतारीया बांध की नहरों का काम शीघ्र पूरा कराकर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. बून्दी जिले की चम्बल की बांई मुख्य नहर को पक्का करा कर टेल क्षेत्र तक पानी पहुंचाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) :

40. विधान सभा क्षेत्र बयाना में सिंचाई की व्यवस्था हेतु संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) :

41. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में सिंचाई के लिये पानी की चोरी को रोका जाने व अंतिम छोर पर बैठे किसान को उनके हक का पूरा पानी नहीं दिला पाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की अनूपगढ़ ब्रांच एवं पूंगल ब्रांच की मरम्मत एवं नहरों से मिट्टी नहीं निकलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

43. सिंचित क्षेत्र में प्राकृतिक परिस्थितियों के मध्य नजर सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. राज्य की नहरों में पड़ोसी राज्य पंजाब आदि से प्रवाहित होने वाले दूषित जल की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. सिंचाई हेतु पंजाब व हरियाणा से राज्य में आने वाले जल के संबंध में कैनाल बाउन्ड्री पर ट्यूबवैल खोदकर जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में नहरों से सिंचाई हेतु किसानों द्वारा आउटलेटस पर ज्यादा पानी लेने बाबत अदालती स्थगन आदेश आदि पर तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) :

47. जैसलमेर क्षेत्र में फीडर छोटी नहरे व खाले व माइनरों की मरम्मत ए.आई.बी.पी. योजना के तहत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

48. भरतपुर स्थित चिकसाना बांध सन् 1996 से टूटा पड़ा होने के कारण उसकी मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. यमुना जल बंटवारा के समझौता के तहत यमुना का पानी शीघ्र भरतपुर में पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री विजय बंसल)

50. गम्भीर नदी का पानी भरतपुर को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

51. गोवर्धन ड्रेन से घना पक्षी विहार, भरतपुर को पाइप लाइन से जोड़कर शीघ्र पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

52. भरतपुर जिले की डीग एस्केप से डीग कस्बा एवं डीग तहसील के ग्रामों में सिंचाई के लिये पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. भरतपुर शहर स्थित सुजान गंगा नहर में साफ पानी पहुंचाने के दृष्टिकोण से गोवर्धन ड्रेन लाइन से पानी लाने हेतु 2-3 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

54. यमुना जल बंटवारे के समझौते के तहत ओखला बैराज से भरतपुर जिले के हिस्से का पानी भरतपुर जिले को शीघ्र उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. कुम्हेर तहसील स्थित सोनार-डवार माइनर के खुदाई का कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

56. कुम्हेर तहसील स्थिल लखनका माइनर के विस्तार का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

57. चिरपटीया बांध से नहर निकालने एवं पक्की नहरों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

58. कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल में वर्ष 2009-10 में डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण में कोई भी बजटीय प्रावधान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओम जोशी (फलौदी) :

59. गुरु जम्भेश्वर भगवान सिंचाई लिफ्ट योजना का कार्य अपूर्ण रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

60. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में भोमपुरा माइनर में ग्रिफ की सड़कों की पुलिया निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री दौलत समेजा)

61. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में नहरों के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में श्यामगढ़ माइनर का विस्तार कर खरला बारानी एवं 74 एन.डी. बारानी को सिंचित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में नानूराम खाटा माइनर का सर्वे कर कार्य को प्रगति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

64. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के बड़ी सादड़ी, परसोली, मूजवा, रतिचंदजी, बन्दीपाल का खेड़ा, मंगलवाड़ व नालेश्वर तालाबों के जीर्णोद्धार व ऊंचाई बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के बांधों व तालाबों से निकल रही क्षतिग्रस्त नहरों व धोरों व पाइप लाइनों के जीर्णोद्धार मरम्मत व कच्चे धोरों को पक्का बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पिन्ड, फाटावेला, शनि महाराज देवली, मोखन मंगेड़ा, नालेश्वर, भंवरबेड़ा, बालोट, बानाखेड़ी काबरा, पारसोली हरतनिया पालोद के तालाबों को बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

67. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के डार्क जोन घोषित होने के कारण यमुना से जल लाने के लिये स्कीम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

68. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में चार बांधों की मरम्मत एवं चार नये एनीकट बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर) :

69. शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ताऊसर, चेनार चुटीसंरा, सरणवास की ढ़ाणी, डिकोसी भानासर इन गांवों को भी इंदिरा गांधी नहर स्कीम में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

70. बीसलपुर (टोंक) परियोजना की दांयी नहर प्रणाली में ग्राम भाट का

(श्री रामनारायण मीणा)

नाड़ा हेतु निर्मित कच्चे धोरे को पक्का कराने में बरती जा रही विभागीय लापरवाही एवं उदासीनता पर चर्चा के लिये।

71. नेगड़िया (देवली) के समीप बीसलपुर बांध (टोंक) में ऊंचा पुल निर्माण कराने में बरती जा रही सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये।

72. गलवा बांध (उनियारा) जिला टोंक की कैनाल संख्या 6 के जर्ये ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ भला जी हाला एवं ग्राम पंचायत बनेठा के अन्य क्षेत्रों की कृषि भूमि को सिंचाई जल उपलब्ध करवाने में विभागीय अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

73. बीसलपुर (टोंक) परियोजना की दांयी नहर आर.डी. 47 से ग्राम देवपुरा (बीसलपुर) की कृषि भूमि में सिंचाई हेतु माइनर निर्माण कराने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

74. मध्यम सिंचाई बांध गलवा (टोंक) के पूर्ण भराव हेतु बलवन नाले का पानी बांध की ओर मोड़ने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

श्री सी.एल.प्रेमी (केशवरायपाटन) :

75. केशवरायपाटन जिला बून्दी की मेज नदी क्षेत्र में एनीकट निर्माण की स्वीकृति जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

76. कोटा चम्बल की बांई नहर ब्रांचे क्रमश: केशवरायपाटन व काप्रेन के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल) :

77. तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर के पंचायत कोलदरा एवं पंचायत बडली के बांधों की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

78. तहसील झाड़ोल, कोटड़ा जिला उदयपुर के साबरमती बांध एवं रोहिणी बांध का कार्य प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

79. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में परवन वृहद सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर-पश्चिम) :

80. किसानों को सिंचाई के लिये नहरों से पानी उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

81. विधान सभा क्षेत्र पोकरण की पोकरण-फलसूण्ड लिफ्ट योजना को शीघ्र पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

82. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में केसरपुरा लिफ्ट की मरम्मत, आलोद नहर में पाइप बदलने एवं नहर की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के हथनी कुडी बांध बनाने एवं लिफ्ट सिंचाई हेतु मरम्मत, पाइप डालने व नई लिफ्ट प्रोजेक्ट यथा ज्ञासपुर चिकलाड़, नकोर, नालेश्वर स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

84. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में सिंचाई पानी की रेगुलेशन कमेटी की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में श्रीगंगानगर शहर के बीचों-बीच माइनर नहर को शहर से बाहर निकालने की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग सख्या-38 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-38 मुख्य शीर्षक लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

1. सीकर जिले में लघु सिंचाई हेतु प्रस्तावित है तथा निर्माणाधीन योजनाओं पर चर्चा के लिये।
2. सीकर जिले की लघु सिंचाई परियोजनाओं से पिछले पांच वर्षो में सिंचित भूमि पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

3. विधान सभा क्षेत्र धोद में भूमि संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. लघु सिंचाई के लिये सीकर जिले की धोद विधान सभा क्षेत्र में बांधों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

5. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले के पुराने तालाब को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

6. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के कृषकों को सिंचाई हेतु कुआ गहरा कराने की अनुमति प्रदान करने पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के कृषकों को सिंचाई हेतु मशीनरी औजार एवं संयंत्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के कास्तकारों को कृषि के लिये लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के लिये प्रशिक्षण एवं सम्मेलनों की भागीदारी हेतु चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

9. खनौड़ा (बालोतरा) जिला बाड़मेर में बरसाती पानी की सही निकासी कर भू-संरक्षण पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) :

10. बून्दी जिले के इन्द्राणी, गुढा, रूणीजा, बसोली, दुगारी, बरावदी मोतीपुरा, बांकियाखाल, मरडिया, चान्दा का तालाब, माचली, मेण्डी

(श्री ओम बिरला)

नारायणपुरा, कोटा जिले के आवां, किशोरपुरा, लाडपुरा, चौमा, खातीखेड़ा, डाहरा लघु सिंचाई परियोजना के स्वीकृत कार्य की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

11. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में लघु सिंचाई योजनाओं में कृषकों एवं भूमि सुधार के लिये मुआवजे के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

12. विधान सभा क्षेत्र भीम में पानी की कमी को देखते हुए लघु सिंचाई योजना बनाकर कृषकों को लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

13. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में भूमि संरक्षण हेतु मेड़बन्दी किये जाने पर चर्चा के लिये।
14. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में ढारिया बांध को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
15. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में कोलर बांध की पुरानी दीवार के स्थान पर नई दीवार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

16. विधान सभा क्षेत्र बाली के आमलिया बांध के रिनोवेशन, केचमेंट एरिया सुधार व नहरें निकाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
17. विधान सभा क्षेत्र बाली के बांकी बांध से नहरें निकाल कर लुन्दाड़ा ग्राम को इसके कमाण्ड एरिया में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
18. विधान सभा क्षेत्र बाली का शैली बांध व काना बांध की क्षमता बढ़ाकर पक्की नहर निर्माण के साथ कमाण्ड एरिया बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
19. विधान सभा क्षेत्र बाली के फूटिया बांध से नहरें निकालने व ऊंचाई बढ़ाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
20. विधान सभा क्षेत्र बाली की ग्राम पंचायत सिंदरली के ओछोरिया

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

तालाब व पंचायत मालनू के साजावाला बांध का नवीन बांध निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :

21. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के ग्राम धून्धरी की खारी नदी, ग्राम देवलिया खुर्द की डाई नदी एवं अन्य स्थानों पर एनिकटों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम जोशी (फलौदी) :

22. फलौदी शहर के पश्चिम में स्थित पांच तालाबों को जोड़कर झील बनाने की स्वीकृत कार्य-योजना को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

23. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के बागेरी नाका को चम्बल परियोजना से जोड़ने एवं चिकलवास नहर की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

24. प्रतापगढ़ जिले में निर्मित भंवर सेमला लघु सिंचाई परियोजना का कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. प्रतापगढ़ तहसील में ओदी एनीकट व अम्बा माता एनीकट में पानी ठहराव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा क लिये।

26. प्रतापगढ़ जिले में स्थित बजरंगगढ़, मचलना, बोरिया, खोरिया, हमजाखेड़ी पाडलियां बांधों की जीर्ण-शीर्ण नहरों का सुदृढ़ीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. कराडिया बांध तहसील प्रतापगढ़ से सिंचाई करने हेतु सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

28. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के बड़ोदा मेव कस्बे के पास स्थित घाट कैनाल योजना हेतु पांच करोड़ रुपये स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

29. भूमिगत जल स्तर बढ़ाने तथा पर्यावरणीय दृष्टि से टोंक एवं बून्दी जिले के प्रमुख नदी नालों में उपयुक्त स्थानों पर यथावश्यक क्षमता के एनीकट निर्माण की योजना बनाकर कार्यान्वित करने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

30. दुगारी बांध (बून्दी) में पानी की आवक बढ़ाने हेतु सकारात्मक एवं सार्थक प्रयास करने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में स्थित पुराने तालाबों एवं लघु सिंचाई बांधों में पानी आवक के स्थानों पर आये एवं लगाये अवरोधों को हटाने तथा नए आवक स्रोत जोड़ने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा (टोंक) के भूमिगत जलस्तर में अभिवृद्धिकरण तथा मृदा अपरदन रोकने हेतु रेट वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण कार्यों से वंचित रखने में सरकारी मशीनरी की लापरवाही एवं अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

33. विगत पांच वर्ष की अवधि में बनास नदी क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण के प्रभावी एवं टिकाऊ कार्य कराने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र कुमार (सागवाड़ा) :

34. भीखा भाई (माही) नहर (सागवाड़ा) पर वर्ष 2010-2011 के बजट में उचित प्रावधान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

35. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में स्वीकृत करलगाव व रिजोन एनीकट हेतु बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाडोल) :

36. तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर की स्वीकृतशुदा उबापाण, पंचायत लाम्बाहल्दू योजनाओं के कार्य शीघ्र शुरू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।